खण्ड-482, अंक-6
बुधवार, 14 अग्रहायण, शक संवत् 1934
(05 दिसम्बर, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2012)

(खण्ड 482 में 06 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
गन्ना मूल्य निर्धारित न होने पर आक्रोश	7-9
प्रश्नोत्तर	9-98
सतर्कता अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1679/39-4-2012-21/03 दिनांक 3 अगस्त, 2012 (सदन के पटल पर रखी गई)	99
उत्तर प्रदेश जल निगम के 33वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (01 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक) (सदन के पटल पर रखा गया)...	99
उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	99
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	99-100
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	100
जनपद शामली की तहसील कैराना के कतिपय ग्रामों में रुकी हुई विशेष राजस्व सर्वेक्षण कार्यवाही पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100
कानपुर महानगर के बाहरी क्षेत्रों की विभिन्न सोसाइटियों द्वारा बेचे गये प्लाटों को न्यूनतम शुल्क लेकर अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	100-101
इलाहाबाद में बाधवा समिति तथा शासन के आदेशों को धता बताकर सर्वे कार्य करने वाले के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	101
महिला कल्याण विभाग में बाल सेविका का वेतनमान सहायक अध्यापिका के वेतनमान के समान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	101-102
लखनऊ कलेक्ट्रेट के गम्भीर बीमार कर्मचारी श्री अनिल कुमार राजस्व अहलमद एस0डी0एम0 कोर्ट मलिहाबाद के रुके हुये वेतन एवं जी0पी0एफ0 का भुगतान किये जाने तथा इलाज कराये जाने हेतु लखनऊ मुख्यालय में स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	102-103
मा0 जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में चयन करके समग्र विकास कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र गोंडा के अन्तर्गत कर्नेलगंज वाया कटरा बाजार में अवैध बालू खनन के चलते खराब हुई 3 सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	103-104
जनपद कुशीनगर के फाजिल नगर क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ डाक्टर की तैनाती किये जाने एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	104
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम हरड़ फतेहपुर में 02 ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	105
सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	105
उत्तर प्रदेश में मौरंग, बालू, गिट्टी की आपूर्ति करने वाले ट्रकों से अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
जनपद फतेहपुर अन्तर्गत तहसील खागा के भू-भाग को जनपद कौशाम्बी में शामिल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	106
विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107
जनपद बलिया के फेफना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युत उपकेन्द्र एवं 400 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के तहत वाराणसी के वरुणा पार क्षेत्र में सीवर एवं ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु जमीन उपलब्ध कराने एवं सीवर लाइन का कार्य तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	107-108
उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान एवं छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108
जनपद सहारनपुर की कतिपय जर्जर सड़कों को बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	109
उ0 प्र0 सचिवालय के लिपिकीय संवर्ग में लेखा संवर्ग की संरचना/पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	109-110
मेरठ विकास प्राधिकरण में प्रावइेट बिल्डरों द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों में सड़कें एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद पीलीभीत के वन क्षेत्र में माफियाओं द्वारा मूल्यवान लकड़ी की चोरी तथा चार शेरों को जहर देकर मारे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बहराइच के थाना रामगांव के राजापुर ग्राम के कश्यप परिवार के घर पर उपद्रवियों द्वारा लूटपाट किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
फिरोजाबाद में कांच/चूड़ी उद्योग के लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके टीटी जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	112
जनपद फैजाबाद की रुदौली विधान सभा में पूर्वांचल राज्यांश योजनान्तर्गत अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	113
विधान सभा क्षेत्र सरधना, मेरठ में नानू नहर में पुल एवं कतिपय ग्रामों में सड़कों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी तथा शिक्षा के गिरते स्तर के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	114-115
मथुरा-वृन्दावन सहित प्रदेश के अधिकांश बड़े शहरों के किनारे से निकलने वाली नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	115
ईंट-भट्ठा उद्योग बन्द होने के कारण 40 लाख परिवारों की रोजी-रोटी की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	115-116
जनपद सीतापुर के हरगांव के कतिपय ग्रामों में सम्पर्क मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116
बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
वाराणसी सहित पूरे राज्य में बिजली की अनुपलब्धता के बावजूद बिजली दरों में भयंकर बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद सुल्तानपुर में कादीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दोस्तपुर, कादीपुर जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	117-118
आंवला विधान सभा क्षेत्र जनपद बरेली में रोडवेज डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
लखनऊ मध्य क्षेत्र में अधिकांश चोक नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118-119
विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद में पसौड़ा से लेकर भौपुरा आदि मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119
गाजियाबाद के माता कालोनी, विजयनगर में पूर्व में डाली गई सीवर लाइन को चालू न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बस्ती में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिला स्तरीय अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	119-120
जनपद लखीमपुर के मितौली कस्बे में नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
प्रदेश के श्रम विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से तथा अधिकारियों की निरंकुशता के चलते विभाग को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर नगरपालिका क्षेत्र साहूकारा में विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121-122
जनपद सहारनपुर में गंगोह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नलों का पानी दूषित होने के कारण फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	122
वर्तमान उ0 प्र0 सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापसी के अनुरूप भू-अधिग्रहण का मुआवजा/प्रतिकर दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, गाजीपुर अन्तर्गत गांगा नदी में बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में नील गायों की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	123-124
जनपद बरेली के सुभाष नगर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124
तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	124-125
जनपद बाराबंकी बिजली विभाग में कार्यरत श्री रामपाल यादव की हत्या की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
नगर पालिका परिषद् सीतापुर में सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	125
बेलथरा रोड एवं पूरे बलिया जनपद में 2 हार्सपावर मोटर पम्पसेट का कामर्शियल कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
भारतीय खाद्य निगम द्वारा राईस मिल के चावल न लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत साऊपुरा-सादुल्लानगर-गौरा चौकी मार्ग को जोड़ने हेतु कुआनों नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	126-127
विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा में मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	127
जनपद महोबा में खनिज क्षेत्र एवं लोक निर्माण विभाग की जर्जर, ध्वस्त सड़कों के शीघ्र निर्माण हेतु राशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127-128
जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा के अन्तर्गत कस्बा एत्मादपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	128
जनपद चन्दौली में प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिये स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	129
जनपद आगरा के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद शाहजहांपुर की डालमियां चीनी मिल में अधिकारियों/ कर्मचारियों की मिलीभगत से कृषकों का हो रहे शोषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129-130
जनपद चित्रकूट के पं0 पुरुषोत्तम द्विवेदी इण्टर कालेज में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री बृजलाल के अवशेष देय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
उ0 प्र0 परिवहन विभाग द्वारा विकलांग के सहवर्ती को पूर्व की भांति किराये में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
जनपद इलाहाबाद की तहसील कोरांव के अन्तर्गत ग्राम पियरी की सस्ते गल्ले की दुकान का स्थानीय निर्धारण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130-131
जनपद अम्बेडकर नगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131
विधान सभा क्षेत्र बल्देव, मथुरा की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131-132
जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील में पखेदना इण्टर कालेज से रायपुर गांव की सीमा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में शिवदान सिंह इण्टर कालेज से मांट वृन्दावन मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय पुलों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	133
उ0 प्र0 के नवनिर्वाचित माननीय विधान सभा सदस्यों के साथ तैनात सुरक्षा कर्मियों का टी0ए0/डी0ए0 बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा की एशियन फर्टिलाइजर प्रा0 लि0 से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के सूखे पड़े जलाशयों में जल की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	134-135
विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया में नहर के क्षतिग्रस्त होने के कारण प्रत्येक वर्ष सैकड़ों एकड़ जमीन के जलमग्न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत खड्डा, पडरौना में प्लाट खरीददारों द्वारा स्टाम्प चोरी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	135-136
जनपद बहराइच नगर के मोहल्ला बड़ीघाट के पूर्णतया आवासीय क्षेत्र में स्थित टीन के बक्सा आदि बनाने के कारखाने से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्र के राजरूपपुर मोहल्ले में सी0सी0 रोड बनाये जाने एवं पानी का प्रेशर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
जनपद इलाहाबाद के करैलाबाग क्षेत्र की सड़क एवं नाली की अत्यन्त जर्जर हालत ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	137
जनपद बागपत की हिन्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
प्रदेश में वर्ष 1980-1995 के मध्य नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में दस नलकूप स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में भूपौली पम्प जीर्णोद्धार परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद आजमगढ़ की मुकुन्दपुर बाजार से भदुली होते हुए निरंकारी भवन तक आने वाली सड़क को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138-139
जनपद संतरविदास नगर की ग्राम पंचायत गोकुल पट्टी के सभी राशन कार्ड ग्राम पंचायत गुवाली स्थित उचित दर की दुकान से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	139
नवनिर्मित जनपद शामली का पूर्ण विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद मिर्जापुर के नगरपालिका क्षेत्र पाण्डेयपुर में उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	140
जनपद कुशीनगर अन्तर्गत सौमैया आर्गेनिक डिस्टलरी फैक्टरी को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	140
जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोरावार में जल निकासी की समस्या को दूर करने हेतु पम्पिंग स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140-141
जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत जल निगम के द्वारा सीवर के कार्यों व मार्गों के निर्माण में प्रचुर मात्रा में घटिया सामग्री लगाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	141
लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 29-6-1991 से नियमित मानते हुए जी0पी0एफ0 कटौती एवं पेंशन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141-142
जनपद बलिया के बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	142-143
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	143-144

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित) ...	144
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	144-147
उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ...	147-148
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	149-150
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	150-151
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	151-153
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	153-158
वाराणसी जिला कारागार तथा केन्द्रीय कारागार में आपातकाल में डी0आई0आर0 तथा मीसा बन्दियों का रिकार्ड न रहने से लोकतंत्र सेनानियों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य	158-160
प्रदेश के जनपदों के विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि को तत्काल अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीमा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य... ...	160-161
जनपद-फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली में जर्जर विद्युत व्यवस्था, आपूर्ति एवं ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	161-162
जनपद-बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत गैडास बुजुर्ग एवं रेहरा बाजार में सरकारी एजेन्सियों द्वारा धान का क्रय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य	162-163
उत्तर प्रदेश की कतिपय जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करके आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	163-165

विषय	पृष्ठ-संख्या
नोएडा में डिप्टी डाइरेक्टर (फैक्ट्रीज) के विरुद्ध जांच कराये जाने एवं उनका स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन ...	165
शाहजहांपुर के ग्राम बरेचा की कु0 सरस्वती के साथ बलात्कार करने एवं उसकी लाश जंगल में मिलने के बाद भी आरोपियों पर पुलिस कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	165-166
जनपद-बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शिवपुरी के निकट पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	166-167
जनपद-बलिया के रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत स्थित राजकीय बालिका विद्यालय का भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	167-168
रामपुर की तहसील विलासपुर के ग्राम खडिया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य... ...	168-169
जनपद रामपुर के ग्राम तिराहा में 132 के0वी0 उपकेन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	169
जनपद-चन्दौली के थाना बबुरी अन्तर्गत वयोवृद्ध किसान नेता श्री लोलारक सिंह के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	170
जनपद मथुरा में यमुना पर बने पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	170-171
जनपद-वाराणसी में राजकीय तथा सहायतित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में शादी-विवाह हेतु अनुमति को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिबंधित कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	171-172

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-शामली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर लगी रोक के बाद भी खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	172-174
गाजियाबाद के अन्तर्गत लोनी क्षेत्र में निम्न वर्ग के व्यक्तियों के ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्ड न बनाने के सम्बन्ध में श्री जाकिर अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य ...	174-175
जनपद-सोनभद्र के कतिपय गांवों में पानी में मरकरी की मात्रा पाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती रूबी प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	176-176
जनपद-अम्बेडकर नगर के आलापुर क्षेत्रान्तर्गत नहरों, ड्रेनों व नालों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य...	176
जनपद-महोबा के चन्देल कालीन इतिहास को जिन्दा रखने हेतु महोबा को पर्यटन उद्योग से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य...	176-178
जनपद-प्रतापगढ़ के रामपुर खास क्षेत्रान्तर्गत तहसील-लालगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य	178-179
जनपद-शाहजहांपुर के पुराने अस्पताल, शाहजहांपुर में आपातकालीन सेवा प्रारम्भ कराये जाने एवं निगोही रोड पर एक पी0एच0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	179-180
जनपद-कुशीनगर के हाटा क्षेत्रान्तर्गत धान क्रय केन्द्रों पर की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	180-181
श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30-5-2012 को श्री जितेन्द्र यादव, थानाध्यक्ष चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना ...	181-182
विधान मण्डल पुस्तकालय द्वारा पुस्तक वितरण के सम्बन्ध में सूचना... ...	183
सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	183
राष्ट्रगान	183
नत्थियां	184-194

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2012

[विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।]

उपस्थित सदस्य-325

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री रायबरेली
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय मिश्र 'टेनी', श्री लखीमपुर खीरी
5. अजय, श्री वाराणसी
6. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
8. अजीमुलहक पहलवान, श्री अम्बेडकर नगर
9. अताउर्रहमान, श्री बरेली
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनीसुर्रहमान, श्री मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
13. अनुप्रिया पटेल, सुश्री वाराणसी
14. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
15. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
16. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
17. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
18. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री आजमगढ़
19. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
20. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
21. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
22. अमित गौरव यादव, श्री एटा
23. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री बाराबंकी
24. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
25. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
28. अली यूसुफ अली, श्री रामपुर
29. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
30. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
31. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री लखीमपुर खीरी
32. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
33. अशफाक अली खां, श्री ज्योतिबाफूले नगर
34. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
35. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
36. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
37. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
38. आलमबदी, श्री आजमगढ़
39. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
40. आशा किशोर, श्रीमती छत्रपति शाहूजी महराज नगर
41. आशीष यादव, श्री बदायूं
42. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
43. इकबाल, श्री बिजनौर
44. इकबाल महमूद, श्री भीमनगर
45. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
46. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
48. इन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
50. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
51. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
52. उदयराज, श्री उन्नाव

53. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
54. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
55. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
56. उमाशंकर, श्री बलिया
57. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
58. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
59. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
60. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
61. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
62. कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
63. काली चरन सुमन, श्री आगरा
64. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
65. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
66. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
67. केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य, श्री कौशाम्बी
68. कैलाश, श्री गाजीपुर
69. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
70. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
71. गंगा, श्री कुशीनगर
72. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
73. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
74. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
75. गायत्री प्रसाद, श्री छत्रपति शाहूजी महराज नगर
76. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
77. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
78. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
79. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
80. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
81. गोमती यादव, श्री लखनऊ
82. गोरख पासवान, श्री बलिया
83. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
84. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
85. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
86. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
87. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
90. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
91. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
92. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
93. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
96. जाहीद बेग, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
97. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
98. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
99. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
100. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
101. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
102. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
103. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
104. दलजीत सिंह, श्री बांदा
105. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
106. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
107. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
108. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
109. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
110. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
111. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
112. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
113. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
114. धर्मराज, श्री बाराबंकी

115. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
116. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
117. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
118. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
119. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
120. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
121. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
122. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
123. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
124. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
125. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
126. पीतमराम, श्री पीलीभीत
127. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
128. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
129. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
130. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
131. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
132. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
133. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
134. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
135. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
136. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
137. फेरन लाल, श्री ललितपुर
138. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
139. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
140. बदलू खां, श्री उन्नाव
141. बब्बन, श्री चन्दौली
142. बाबू खां, श्री हरदोई
143. बाबूलाल, श्री गोण्डा
144. बावन सिंह, श्री गोण्डा
145. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
146. बृजेश कटेरिया, इंजी0 मैनपुरी
147. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
148. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
149. बैजनाथ, श्री मऊ
150. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
151. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
152. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
153. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
154. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
155. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
156. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
157. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
158. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
159. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
160. मनबोध, श्री देवरिया
161. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
162. मनीष रावत, श्री सीतापुर
163. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
164. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
165. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
166. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
167. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
168. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
169. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
170. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
171. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
172. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
173. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
174. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
175. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
176. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
177. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
178. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
179. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
180. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं

181. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
182. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
183. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
184. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
185. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
186. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
187. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
188. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
189. मौहम्मद यूसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
190. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
191. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
192. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
193. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
194. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
195. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
196. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
197. रमेश चन्द, श्री मिर्जापुर
198. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
199. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
200. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
201. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
202. रविन्द्र भड़ाना, श्री मेरठ
203. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
204. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
205. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
206. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
207. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
208. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
209. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
210. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
211. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
212. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
213. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
214. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
215. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
216. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
217. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
218. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
219. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
220. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
221. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
222. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
223. राधेश्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
224. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
225. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
226. राम करन आर्य, श्री बस्ती
227. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर
228. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
229. राम गोविन्द, श्री बलिया
230. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
231. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
232. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
233. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
234. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
235. राम मगन, श्री बाराबंकी
236. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
237. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
238. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
239. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
240. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
241. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़

242. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
243. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
244. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
245. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
246. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
247. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
248. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
249. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
250. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
251. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
252. ललितेशपति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
253. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
254. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
255. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
256. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
257. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
258. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
259. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
260. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
261. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
262. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
263. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
264. विजय सिंह, श्री रामपुर
265. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
266. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
267. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
268. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
269. वीरपाल राठी, श्री बागपत
270. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
271. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
272. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
273. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
274. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
275. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
276. शाकिर अली, श्री देवरिया
277. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
278. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
279. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
280. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
281. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
282. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
283. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
284. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
285. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
286. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
287. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
288. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
289. संजय कपूर, श्री रामपुर
290. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
291. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
292. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
293. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
294. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
295. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
296. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
297. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
298. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
299. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
300. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
301. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
302. सियाराम सागर, डा0 बरेली
303. सीमा, श्रीमती जौनपुर

304. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
305. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
306. सुधाकर, श्री मऊ
307. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
308. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
309. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
310. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
311. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
312. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
313. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
314. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
315. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
316. सुल्तान बेग, श्री बरेली
317. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
318. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
319. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
320. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
321. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
322. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
323. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
324. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
325. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

गन्ना मूल्य निर्धारित न होने पर आक्रोश

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इसी सदन के अन्दर आश्वस्त किया था, जब हम लोगों ने सूचना के माध्यम से गन्ना कीमत तय करने के लिये अनुरोध किया था, तो आपने कहा था मान्यवर कि ''मैं मुख्य मंत्री से बात करूंगा, गन्ना कीमत तय कराने का काम करूंगा,'' लेकिन यह समाजवादी पार्टी की सरकार अभी तक गन्ना कीमत तय नहीं कर पाई है। यह सरकार किसान विरोधी है और गन्ना कीमत तय न हो पाने के कारण पूरे प्रदेश में किसान अपना गन्ना जलाने के लिये मजबूर है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है।

(इसी मध्य बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल एवं अपना दल के मा0 सदस्यगण सदन की वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गई।)

(सदन की वेल में उपस्थित बसपा, भा0ज0पा0, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, रालोद, अपना दल तथा पीस पार्टी के सदस्यगण नारे लगाने और नारे लिखे पोस्टर दिखाने लगे-

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विपक्ष के दलीय नेतागण एक साथ अपनी-अपनी बात कहने लगे, लेकिन घोर व्यवधान के कारण किसी भी सदस्य की बात नहीं सुनाई दी।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण आपने अपनी बात कह ली, अब आप सरकार की तरफ से भी कुछ कह लेने दीजिये। मा0 सदस्यगण कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

प्रदेश के गन्ना किसानों ने गन्ना मूल्य घोषित न होने के कारण अपना गन्ना जलाने का काम किया है और गन्ना जला कर के उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया है, लेकिन इस किसान विरोधी सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है।

श्री अध्यक्ष-

आप लोगों ने अपनी बात कह ली, अब आप लोगों से मेरा अनुरोध है आप लोग अपने-अपने स्थानों पर जाकर शान्तिपूर्वक बैठ जायें। मा0 इन्द्रजीत सरोज जी, आपका विरोध प्रकट हो गया, आपकी बात आ गई, अब आप लोग कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जायें, मा0 उपेन्द्र जी, आप कृपया वहीं पर रहें, इधर डायॅस की ओर आने की कोशिश न करें। मा0 सदस्यगण अब आप अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, हमे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मा0 नेता प्रतिपक्ष ने, नेता भारतीय जनता पार्टी ने, नेता लोकदल ने, नेता कांग्रेस ने सबने सदन का कार्यकाल बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की थी और सदन का समय बढ़ाया गया, इसलिये कि यहां प्रदेश के काम-काज पर बहस हो सके, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। जब अन्तिम दिन था, उस दिन भी सदन में ऐसी ही

अव्यवस्था रही और मान्यवर, आज 11.00 बजे जब सदन शुरू हुआ है तब से ही बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ने प्रश्न प्रहर को भी नहीं चलने दिया है। इससे मान्यवर, यह अन्दाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष की इच्छा सदन को न चलने देने की है और यह भी इच्छा है कि विकास के किसी काम के लिये सदन में बहस न हो सके। विपक्ष का समय था अपनी बातें रखने का, वह समय खराब हो रहा है। ..

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरा आपसे यह निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिये जो एजेण्डे के आइटम्स हैं, उन्हें मेरे ख्याल से ले लिया जाना चाहिये क्योंकि प्रदेश की जनता फैसले का इंतजार कर रही है और आज के एजेण्डे का जो काम है उसे आज ही पूरा होना चाहिये, जनता को इसका भी इंतजार है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, आप अपने-अपने स्थानों पर चलें। मा0 मौर्या जी, अब आपकी बात आ गई, सारे नेताओं ने कह दिया। अब आप अपने-अपने स्थान पर जाएं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

श्रीमन्, आपने कहा था कि मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से बात करके गन्ने की कीमत तय कराने का काम करूंगा लेकिन आज सदन का अन्तिम दिन है और गन्ना कीमत न तय होने के नाते पूरे प्रदेश का किसान आक्रोशित है। गन्ना किसान अपने गन्ने को जलाने के लिये मजबूर है और आज किसानों ने हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर विधान सभा के सामने अपना गन्ना जला करके सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। मान्यवर, हम इस सदन में उत्तर प्रदेश की समस्याओं को लेकर के आते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सदन में आपके माध्यम से ये सारे के सारे सरकार के लोग उन समस्याओं का निदान करेंगे लेकिन समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा है। ये किसानों के साथ धोखा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी को और उसके नेता को किसी भी तरह से अधिकार नहीं है गन्ना किसानों के बारे में एक शब्द कहने का। जिस सरकार ने सारी चीनी मिलें माफियाओं के हाथ कौड़ियों के दाम बेच दी हों, माफियाओं के हाथ कौड़ी के दाम बेच दी हो और लूट लिया हो, सारे प्रदेश पर डाका डाला हो, जिन्होंने किसानों की तकदीर पर डाका डाला हो, किसानों के मुंह से रोटी छीनी हो। सारी चीनी मिलें बेचने वाली बहुजन समाज पार्टी के नेता को गन्ना किसानों के बारे में एक शब्द भी कहते हुये लाज आनी चाहिये, लज्जा आनी चाहिये, शर्म आनी चाहिये। अन्य दल कहें तो समझ में आता है लेकिन बहुजन समाज पार्टी जिसने गन्ना पेरने वाली गन्ना मिलों को कौड़ी के दाम माफियाओं के हाथ बेच लिया हो, उस बहुजन समाज पार्टी को सदन के अन्दर और सदन के बाहर विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये मान्यवर, यह सदन का समय खराब हो रहा है, आप कृपया कार्यवाही को आगे बढ़ाये।

(श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध के बावजूद नेता विरोधी दल लगातार बोलते रहे तथा सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते रहे। भाजपा की सुश्री सवित्री बाई फूले, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी की तथा श्रीमती कृष्णा पासवान आदि महिला सदस्य डायस पर चढ़ने हेतु महिला सुरक्षा सहायकों से धक्का मुक्की करती रहीं)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(11.03 बजे) -प्रश्नोत्तर-

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (क), अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1, मा0 धर्मपाल सिंह जी।

नहीं है।

नत्थी (ख), तारांकित प्रश्न संख्या-1, मा0 श्यामदेव राय चौधरी जी।

नहीं है।

कृपया आप लोग अपने-अपने आसनों पर चलें, बैठ जाएं। अब आपकी बात आ गई मौर्या जी। मेरा आप से निवेदन है कि आप लोग अपने-अपने स्थान जायें। आपसे मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने स्थानों पर जाइये, आपने अपनी बात कह ली, पूरी बात हो गई। अब आगे बढ़ाइये, कार्यवाही को खत्म कर दें क्या ? अगर आपकी सहमति हो तो मैं कार्यवाही आगे बढ़ाऊ। आप लोग बैठ जाएं, क्या फायदा ? आपने अपनी बात कह ली, मौर्या जी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

लगातार व्यवधान के कारण प्रश्नकाल स्थगित करके अगली मद लिये जाने का प्रस्ताव

(11.05 बजे)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, कृपया कार्यवाही आगे बढ़ायें।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, अब मैं कार्यवाही आगे बढ़ाता हूं फिर मैं बढ़ा दूंगा कार्यवाही। आप चलें अब, अच्छा तो मैं प्रश्न प्रहर को...

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कृपया सदन का समय खराब न हो इसलिये कार्यवाही आगे बढ़ाये।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न प्रहर को स्थगित करता हूं।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

ताज ट्रिपैजियम जोन (टी0टी0 जेड0) क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जानकारी

**1-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज ट्रिपैजियम जोन (टी0टी0जेड0) क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति के आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय के हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उपरान्त भी टी0टी0जेड0 क्षेत्र

में कई-कई घण्टे तक लगातार विद्युत कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में टी0टी0जेड0 क्षेत्र को विद्युत कटौती से मुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी हां।

वर्तमान में ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है, किन्तु राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा एवं मांग के सापेक्ष विद्युत की उपलब्धता कम होने पर कटौती अपरिहार्य हो जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को 6 से अधिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की मांग

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री सतीश महाना, श्री दलवीर सिंह एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा रियायती मूल्य पर एल0पी0जी0 सिलेण्डर की संख्या सीमित करने के कारण जनता के समक्ष उत्पन्न कठिनाई से राहत दिलाने हेतु कई अन्य राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से रियायती दर पर अधिक संख्या में सिलेण्डर उपलब्ध कराये जाने की तर्ज पर क्या प्रदेश सरकार भी छः से अधिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद, कारागार मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'')-

जी नहीं।

वर्तमान वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को रियायती दर पर 06 से अधिक अधिक गैस सिलेण्डर दिया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने की योजना की जानकारी

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मित्रसेन यादव, श्री प्रदीप चौधरी, श्री उपेन्द्र तिवारी एवं श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न विद्युत उत्पादक संयंत्रों से उत्पादन की क्षमता क्या है तथा उनसे अलग-अलग वर्तमान में कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन (आपूर्ति) मांग के अनुरूप न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 6 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 10 घण्टे ही विद्युत आपूर्ति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार की विद्युत आपूर्ति मांग के अनुरूप बढ़ाने हेतु कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

श्री अखिलेश यादव-

2-(क) वर्तमान में प्रदेश में विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता 8812 मे0वा0 तथा औसत उत्पादन 4660 मे0वा0 है। परियोजनावार विवरण निम्नवत् है :-

परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता	औसत उत्पादन
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम की परियोजनायें	4433 मे0वा0	2400 मे0वा0
जल विद्युत निगम की परियोजनायें	501 मे0वा0	160 मे0वा0
रोजा तापीय परियोजनायें	1200 मे0वा	1000 मे0वा0
अनपरा ''सी'' तापीय परियोजनायें	1200 मे0वा	800 मे0वा0
बजाज इनर्जी लि0 की परियोजनायें	450 मे0वा	200 मे0वा0
को-जनरेशन	1028 मे0वा	100 मे0वा0
योग	**8812 मे0वा**	**4660 मे0वा0**

(ख) जी नहीं।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 10 घण्टे शहरी क्षेत्रों में जनपद स्तर पर 17 घण्टे, मण्डल स्तर पर 20 घन्टे तथा महानगरों में 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति आदेशित है।

(ग) जी हां।

(घ) विद्युत की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु निम्न विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव है :-

1	राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत	3981 मे0वा0
2	केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत	4633 मे0वा0
3	निजी क्षेत्र के अन्तर्गत 101 मे0 वा0	10199मे0वा0
4	केस-1 एवं केस-2 व अन्य क्षेत्रों के अन्तर्गत	15213 मे0वा0
	कुल उत्पादन क्षमता	**34026 मे0वा0**

इसके अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु पुरानी इकाइयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य भी कराया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जननी मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजना

*3-श्री हुकुम सिंह, श्री राघव लखन पाल एवं श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जननी मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर देश में अन्य राज्यों की अपेक्षा सर्वाधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मृत्युदर को कम करने की कोई कारगर योजना बनाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)-

जी नहीं।

मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा समाजवादी 108 एम्बुलेन्स सेवा चलाई जा रही है।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाये जाने हेतु होम बेस्ड न्यूबोर्न केयर कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं पोषण पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गई है, जिससे गत तीन वर्षों में 10 प्रतिशत की शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

*01-श्री हुकुम सिंह

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर के बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल तथा अन्य मुख्य सामग्री दिलाये जाने की जानकारी

*02-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी बी0पी0एल0 परिवारों तथा अन्य परिवारों को मानक के अनुरूप गल्ला, शक्कर व मिट्टी का तेल वितरित करने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शाहजहांपुर के उपभोक्ताओं को अनुमन्य मिट्टी का तेल तथा मुख्य सामग्री नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समान रूप से अनुमन्य सामग्री का वितरण प्रत्येक कार्ड पर किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी हां।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी0पी0एल0 तथा अन्य परिवारों को मानक के अनुसार सामग्री का वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में पूर्व निर्धारित कैम्प तिथियों पर कराये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में समान रूप से प्रत्येक माह निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में निर्धारित तिथियों पर अनुमन्य खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का राशन कार्ड धारकों में वितरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*03-श्री सतीश महाना एवं श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बस्ती सहित सम्पूर्ण प्रदेश के विद्युत विभाग द्वारा हो रही विद्युत फाल्ट ठीक कराने के मांग

*04-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सहित जनपद-बस्ती में विद्युत विभाग में टेक्निकल हैन्ड कर्मचारियों के स्थान पर अकुशल एवं अप्रशिक्षित प्राइवेट संविदा कर्मियों द्वारा कार्य कराने के कारण विद्युत फाल्ट एवं अन्य प्रकार की गम्भीर शिकायतें आ रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विद्युत व्यवस्था के सुलभ संचालन हेतु अकुशल एवं संविदा के स्थान पर टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती सहित सम्पूर्ण प्रदेश के विद्युत विभाग में कुशल कर्मचारी के स्थान पर कुशल संविदा कर्मी एवं अकुशल कर्मचारियों के स्थान पर अकुशल संविदा कर्मियों से कार्य लिया जा रहा है। विद्युत फाल्ट होना एवं उसे ठीक कराना एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रदेश में वर्ष 2005 से 2012 तक किसानों से खरीदें गये गेहूं का विवरण

*05-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2005 से 2011 तक प्रतिवर्ष कितना-कितना गेहूं किसानों से खरीदा गया तथा वर्ष 2012 में लक्ष्य के सापेक्ष कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य सरकार का है और कितनी खरीददारी हो पाई है ? क्या सरकार उसके तथ्यात्मक आंकड़े सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

प्रदेश में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2011-12 तक प्रतिवर्ष मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किसानों से निम्नानुसार गेहूं की खरीद की गयी :-

वर्ष	गेहूं खरीद (मी0 टन में)
2005-06	5,59,341
2006-07	48,850
2007-08	5,45,673
2008-09	31,37,452
2009-10	38,82,351
2010-11	16,45,379
2011-12	34,61,263

रबी विपणन वर्ष 2012-13 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 42,00,000 मी0टन निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 30-6-12 तक 50,62,735 मी0टन गेहूं की खरीद की गई है।

तथ्यात्मक आंकड़े मेरे कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली सूकरखेत को पर्यटन स्थल बनाये जाने की योजना

*06-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली सूकरखेत को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

इस योजना के अन्तर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्म स्थली सूकरखेत का पर्यटन विकास कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना समिति के द्वारा रु0 20.00 लाख का प्रस्ताव अनुमोदित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लागू करने की जानकारी

*07-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में नये भवनों के मानचित्र पास करने में 'रेन रूफ वाटर हार्वेस्टिंग' (वर्षा जल संचयन) के प्राविधान होने के बावजूद अधिकांशतः भवन निर्माण में इन मानकों का प्रयोग नहीं किये जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करा कर ऐसे सभी प्राधिकरणों एवं भवनों को मानकानुसार 'रेन रूफ हार्वेस्टिंग' का प्राविधान सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लागू करने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर प्रमुखतः निम्न शासनादेश जारी किये गये हैं :-

(i) शासनादेश संख्या-1703, दिनांक 12-04-2001

(ii) शासनादेश संख्या-यू0ओ035 दिनांक 25-04-2006

(iii) शासनादेश संख्या-3982, दिनांक 01-07-08 निर्धारित प्राविधानों के उल्लंघन की दशा में प्राधिकरण स्तर से नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2012-13 में धान खरीद का लक्ष्य

*08-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 2012 में धान की खरीद का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? क्या यह पिछले वर्ष की धान खरीद के लक्ष्य से अधिक है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'

खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार द्वारा धान खरीद का लक्ष्य 25.00 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक कारणों से धान की बुवाई के क्षेत्रफल में कमी के दृष्टिगत वर्तमान खरीफ वर्ष हेतु 25.00 लाख मी0 टन धान का न्यूनतम कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा वन क्षेत्र से बाहर फसलों व जनहानि करने से रोकने की मांग

*09-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा वन क्षेत्र से बाहर आकर फसलों व जनहानि करने से रोकने के लिए वन क्षेत्रों के बाहर खाई खोदने या बाड़ लगाने की सरकार कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

एक वन क्षेत्र से दूसरे वन क्षेत्र में जाने के लिये वन क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र कॉरिडोर (गलियारा) का कार्य करता है। वन क्षेत्र के बाहर खाई खोदने से या बाड़ लगाने से वन्य जीवों का स्वच्छन्द विचरण कुप्रभावित होता है। वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण से उनका अन्तः प्रजनन नहीं होने पाता है, जिससे उनकी उत्तरजीविता बनी रहती है। अतः प्रदेश के वन क्षेत्र की सीमा पर खांई खोदना अथवा बाड़ लगाना व्यवहारिक नहीं है।

जनपद सोनभद्र में वनों के अवैध कटान को रोकने की जानकारी

*10-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में वनों के अवैध कटान से पर्यावरण असंतुलन के कारण जनजीवन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या पर्यावरण को बचाने के लिए वनों के कटान रोकने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता, परन्तु वन विभाग द्वारा वनों के कटान पर नियंत्रण रखा जाता है। भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा विधिक कार्यवाही कर अवैध कटान को नियंत्रित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

*11-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*12-श्री उपेन्द्र तिवारी

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*13-श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[दिनांक 29-11-2012 को तारां0प्रश्न सं0-13 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में संचालित एन0आर0एच0एम0 योजनाओं में कार्यरत आयुष महिला/पुरुष चिकित्सक एवं फार्मासिस्टों/कर्मियों का संविदा नवीनीकरण करने की मांग

*14-श्री केशव प्रसाद (कुशवाहा) मौर्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित एन0आर0एच0एम0 योजनाओं में कार्यरत आयुष महिला/पुरुष चिकित्सक एवं फार्मासिस्टों/कर्मियों का संविदा नवीनीकरण नहीं किया गया है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि डाटा आपरेटर्स, कम्प्यूटर सहायकों व ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों का नवीनीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो आयुष महिला/पुरुष चिकित्सक एवं फार्मासिस्टों का नवीनीकरण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में कार्यरत आयुष महिला/पुरुष चिकित्सकों का संविदा नवीनीकरण/पुनर्अनुबन्ध किये जाने एवं आयुष फार्मासिस्टों का संविदा नवीनीकरण/ पुनर्अनुबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में मिशन निदेश्क, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ के क्रमशः पत्र दिनांक 16-08-2012 तथा दिनांक 27-08-2012 द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

जी हां। ब्लाक कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों में कार्यरत संविदा कर्मियों का नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में मिशन, निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 11-05-2012 द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू, जापानी इन्सेफलाइटिस, डायरिया, डेगू आदि बीमारियों से बचाव की योजना

*15-श्री जाकिर अली, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू, जापानी इन्सेफलाइटिस, डायरिया, डेंगू, मलेरिया तथा तीव्र ज्वर से मार्च, 2012 से दिनांक 10-09-12 तक कुल हुई मौतों का जनपदवार विवरण क्या है ? क्या सरकार के पास उक्त बीमारियों से निपटने हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

उल्लिखित बीमारियों से उत्तर प्रदेश राज्य में मार्च, 2012 से दिनांक 10-09-2012 तक हुई मृत्यु का जनपदवार विवरण निम्नलिखित है :-

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्वाइन फ्लू	जे0ई0	डायरिया	डेंगू ज्वर	मलेरिया	तीव्र ज्वर
		मृतक	मृतक	मृतक	मृतक	मृतक	मृतक
1	इलाहाबाद	0	0	4	0	0	0
2	ललितपुर	0	0	2	0	0	0
3	सुल्तानपुर	0	0	18	0	0	0
4	फैजाबाद	0	0	2	0	0	0
5	बहराइच	0	1	0	0	0	0
6	श्रावस्ती	0	1	0	0	0	0
7	बस्ती	0	0	2	0	0	0
8	सिद्धार्थ नगर	0	1	0	0	0	0
9	सन्त कबीर नगर	0	1	2	0	0	0
10	गोरखपुर	0	5	7	0	0	0
11	कुशीनगर	0	3	0	0	0	0
12	देवरिया	0	1	0	0	0	0
13	महाराजगंज	0	1	0	0	0	0
14	लखनऊ	0	0	4	0	0	0
15	सीतापुर	0	0	8	0	0	0
16	उन्नाव	0	0	7	0	0	0
17	रायबरेली	0	0	1	0	0	0
18	गाजीपुर	0	0	6	0	0	0
19	सोनभद्र	0	0	3	0	0	0
20	मिर्जापुर	0	0	2	0	0	0
	कुल	0	14	68	0	0	0

जी हां।

जी, हां। स्वाइन फ्लू, जापानी इन्सेफलाइटिस, डायरिया, डेंगू तथा मलेरिया की कार्य-योजना बनाई गई है, जिनके अनुसार रोग के कारणों से बचाव हेतु निरोधात्मक कार्यवाही एवं उपचार की कार्यवाही तथा जन-सामान्य को इनसे बचाव की स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में एच0आई0वी0/एड्स रोग की रोकथाम की योजनायें

*16-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एड्स रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु राजकीय चिकित्सालयों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन 'नाको', भारत सरकार द्वारा एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम के लिये विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहें है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की स्थापना की गयी है जो 'नाको', द्वारा वित्त पोषित है तथा उसके दिशा-निर्देशों पर कार्य करती है।

राज्य सरकार, उ0प्र0 राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के माध्यम से एच0आई0वी0/एड्स की रोकथाम एवं एच0आई0वी0 संक्रमित व्यक्तियों की सुविधाओं के लिये निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित है :-

● प्रदेश में एच0आई0वी0 धनात्मक/एड्स मरीजों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराने हेतु 22 ए0आर0टी0 (एन्टी रिट्रोवायरल थेरेपी) केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों पर एड्स रोगियों को निःशुल्क जांचे तथा ए0आर0वी0 दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं एवं अवसरवादी संक्रमण के उपचार की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

● प्रदेश में एड्स रोगियों को उनके निवास के निकट ए0आर0टी0 का उपचार प्रदान करने के उद्देश्य 35 जनपदों के जिला अस्पतालों में लिंक ए0आर0टी0/लिंक ए0आर0टी0 प्लस केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

● एच0आई0वी0/एड्स संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल एवं उन्हें सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 11 कम्यूनिटी केयर सेन्टर कार्यरत हैं।

● पी0एल0एच0ए0 नेटवर्क (पिपुल लिविंग विथ एच0आई0वी0/एड्स) द्वारा एच0आई0वी0/एड्स संक्रमित व्यक्तियों की क्षमता वृद्धि व गुणवत्तायुक्त जीवन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 07 ड्राप इन सेन्टर कार्यरत हैं।

● एच0आई0वी0/एड्स की परामर्श तथा निःशुल्क जांच की सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रदेश के चिकित्सालयों में 264 आई0सी0टी0सी0 (एकीकृत परामर्श एवं जांच केन्द्र) केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों पर एच0आई0वी0 परामर्श एवं जांच, सन्दर्भन की सुविधा एवं धनात्मक गर्भवती स्त्रियों से

नवजात शिशु को होने वाले एच0आई0वी0 संक्रमण को रोकने के लिये उपचार की विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत माता एवं शिशु को निःशुल्क एन्टी रिट्रोवायरल औषधि की व्यवस्था है।

● यौन रोगियों में एच0आई0वी0/एड्स होने की सम्भावना अधिक होती है। अतः यौन रोगों के उपचार हेतु प्रदेश में 96 एस0टी0आई0 (यौन जनित संक्रमण) क्लिनीक स्थापित हैं।

● मेनस्ट्रीमिंग परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न विभागों के साथ एच0आई0वी0 के मुद्दों को विभागों की विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गरीब किसानों को शून्य दर पर ऋण दिये जाने की मांग

*17-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में को-आपरेटिव ऋण किसानों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता है ? क्या सरकार प्रदेश के गरीब किसानों को शून्य दर पर ऋण देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं सहकारिता मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

1-उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को रु0 तीन लाख तक अल्पकालीन फसली ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर दिया जाता है।

2-उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन ऋण विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यानुसार निम्नवत् दिया जाता है :-

क-लघु सिंचाई, पशुपालन, एस0आर0टी0ओ0, कृषि यंत्रीकरण, मधुमक्खी पालन, हार्टीकल्चर, ग्रामीण आवास, पोल्ट्री योजना आदि हेतु रु0 दो लाख का ऋण 14 प्रतिशत वार्षिक तथा रु0 दो लाख से ऊपर 14.25 प्रतिशत वार्षिक।

ख-डेयरी, डनलपकार्ट, मत्स्य पालन व अकृषि क्षेत्र की योजनाओं हेतु रु0 दो लाख तक 14.25 प्रतिशत वार्षिक एवं रु0 दो लाख से ऊपर 14.50 प्रतिशत वार्षिक।

*समय से किश्त की अदायगी करने वाले ऋण सदस्यों को उक्त ब्याज दर में एक प्रतिशत छूट दिये जाने की व्यवस्था है।

इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जनपद तथा उनकी सहायता का विवरण

*18-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उनकी सहायता हेतु सरकार द्वारा कोई विशेष व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रदेश में वर्तमान में 15 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुये हैं।

जी हां,

सिंचाई विभाग द्वारा सभी प्रभावित जनपदों में बाढ़ प्रबन्धन के आवश्यक बाढ़ संरचनाओं के कार्य कराये गये हैं।

बाढ़ प्रभावित जनपदों में बाढ़ संरचनाओं के कराये गये कार्यों की सूची †संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

*19-श्री जय प्रकाश निषाद-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*20-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम बुढ़नी भलुहिया में सहकारी समिति के भवन में समिति संचालित करने की जानकारी

01-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

01-क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद के विकास खण्ड विशेश्वरगंज में सन्तनगर चौराहा ग्राम बुढ़नी भलुहिया में सहकारी समिति का भवन 15 वर्षों से बनकर तैयार है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन में समिति संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालयों के रिक्त पदों की जानकारी

02-श्री हुकुम सिंह-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिनमें एक वर्ष से भी अधिक समय से मानकों के अनुरूप स्वीकृत चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? सरकार द्वारा रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश के जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में श्रेणीवार लेवल-1 से लेवल-7 तक के चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की स्थिति निम्नवत् है-

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 184 पर)

क्र0 सं0	चिकित्साधिकारी	स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की संख्या
1	चिकित्साधिकारी लेबल-1	7028	5260	1768
2	चिकित्साधिकारी लेबल-2	3422	695	2727
3	चिकित्साधिकारी लेबल-3	3138	2271	865
4	चिकित्साधिकारी लेबल-4	2571	2329	242
5	चिकित्साधिकारी लेबल-5	104	63	36
6	चिकित्साधिकारी लेबल-6	20	16	04
7	चिकित्साधिकारी लेबल-7	02	02	00
	कुल योग-	16283	10641	5642

सितम्बर, 2012 में नव चयनित 1276 चिकित्सकों के तैनाती/नियुक्ति आदेश निर्गत कर दिये गये है जिसमें योगदान करने हेतु दिनांक 10-12-2012 तक का समय प्रदान किया गया है।

चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/पदों के सृजन आदि के कारण समय-समय पर पद रिक्त होते रहते हैं। चिकित्सा अधिकारियों के पदों का रिक्त होना और उन पर नियुक्ति किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

जनपद जौनपुर में मछली शहर बंधवा होते हुये गोधना से उंधई तक क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

03-श्रीमती सीमा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में मछली शहर बंधवा होते हुए गोधना से ऊंधई तक का राजमार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग राजमार्ग श्रेणी का नहीं है अपितु यह मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का है जो क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने हेतु वांछित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर के सभी स्टेशनों पर जे0ई0 और लाइनमैन के नियुक्त की जानकारी

04-श्रीमती सीमा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर के सभी सब स्टेश्नों पर जे0ई0 और सरकारी लाइनमैन नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

विधान सभा क्षेत्र मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर के सभी उपकेन्द्रों पर अवर अभियन्ता तैनात हैं एवं उपकेन्द्र सुजानगंज में सरकारी लाइनमैन नियुक्त है।

स्टाफ की कमी के कारण मुंगरा बादशाहपुर एवं करतोरा उपकेन्द्रों पर लाइनमैन संबंधी कार्य बाह्य एजेन्सी से कराया जा रहा है।

सुजानगंज एवं मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति की जानकारी

05-श्रीमती सीमा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुजानगंज एवं मुंगरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाक्टर की तैनाती है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त केन्द्रों पर महिला डाक्टर की तैनाती कब तक करेगी ?

श्री अहमद हसन-

सुजानगंज एवं मुंगरा बादशाहपुर के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्साधिकारियों की कमी के दृष्टिगत रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका है। उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त समय-समय प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर नियुक्ति/तैनाती की जाती है, परन्तु आयोग की संस्तुति पर नियुक्त चिकित्सक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति/त्याग पत्र/पदों के सृजन आदि के कारण चिकित्सा अधिकारियों के समय-समय पर पद रिक्त होते रहते हैं। चिकित्सा अधिकारियों के पदों का रिक्त होना और उन पर नियुक्ति किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की सुलभ योजना के आवंटियों को 9 प्रतिशत ब्याज सहित धनराशि की वापसी

06-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की सुलभ आवास गोमतीनगर विस्तार योजना का कितना क्षेत्रफल/भू-भाग कहां तक चिन्हित किया गया है तथा इसका सेक्टर (8) कहां से कहां तक ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सितम्बर, 2010 में उक्त योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को प्लाट/आवास आवंटित किये गये हैं तथा जिन्होंने सितम्बर, 2010 में पूरी धनराशि भी जमा कर दी है, उनको कब तक मकान का कब्जा मिल जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

लखनऊ विकास प्राधिकरण की गोमतीनगर विस्तार योनजा के सेक्टर-8 में सुलभ आवास हेतु प्राधिकरण की अर्जित भूमि अन्तर्गत ग्राम-अहिमामऊ खसरा संख्या-1126, 1129 से 1137 तक एवं 1139 कुल रकबा 29552.79 वर्ग मीटर पर भवनों/फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित था। सैन्य विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-6607(एम0बी0)/11, ब्रिगेडियर त्रिवेणी प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित कर दिनांक 07-7-2011 को मा0 उच्च

न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किये गये है जिसके अनुपालन में निर्माण कार्य यथास्थिति बन्द है। लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 149वीं बैठक दिनांक 31-8-2012 में भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रश्नगत योजना निरस्त करते हुये आवंटियों को 09 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ धनराशि वापस किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्तानुसार।

एन0आर0एच0एम0 योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में अनुमन्य व्यय एवं जनपद शाहजहांपुर में उक्त योजनान्तर्गत भावलखेड़ा पैना में पी0एच0सी0 में एम्बुलेन्स की व्यवस्था तथा नई पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 की व्यवस्था

07-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0आर0एच0एम0 का धन किस-किस मद में खर्च होना अनुमन्य है ? क्या उक्त योजना से नई पी0एच0सी0 एवं नई सी0एच0सी0 खोलने तथा उन पर एम्बुलेन्स तथा दवा की व्यवस्था की जा सकती है ? क्या सरकार जनपद शाहजहांपुर की पी0एच0सी0 भावलखेड़ा पैना (सुन्दरनगर) वरतारा में एम्बुलेन्स की व्यवस्था तथा शाहजहांपुर सनवां से टिकरी तक किसी ग्राम में नई पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य लक्ष्य मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर एवं कुल प्रजनन दर कम करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये राज्य कार्यक्रम कार्ययोजना के अनसुार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इनमें से मुख्यतः भारत सरकार से आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल, मिशन फ्लैक्सीपूल, टीकाकरण सम्बन्धी गतिविधियां, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य इकाइयों का सुदृढ़ीकरण, विभिन्न उपकरणों एवं औषधियों की व्यवस्था, संविदा मानव संसाधन की तैनाती, एम्बुलेन्स सेवायें, प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण इत्यादि मदों में व्यय किया जाना अनुमन्य है।

वर्ष 2012-13 की कार्यक्रम कार्य योजना में एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत नई पी0एच0सी0 एवं नई सी0एच0सी0 की स्थापना का प्राविधान नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद शाहजहांपुर की पी0एच0सी0 भावलखेड़ा पैना (सुन्दरनगर) वरतारा के अन्तर्गत वर्तमान में एक एम्बुलेन्स क्रियाशील है। ब्लॉक स्तरीय एम्बुलेन्स की ग्राम स्तर तक सेवायें प्रदान करेंगी। शाहजहांपुर सनवा से टिकरी तक किसी ग्राम में नई पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 की स्थापना के सम्बन्ध में जिला योजना एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदन के उपरान्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर मानकों के अनुरूप विचार किया जायेगा।

08-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 26-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-111 द्वारा उत्तरित]

पावर ग्रिड फेल हो जाने के कारणों को जानने हेतु शासन द्वारा समिति गठित करने की मांग

09-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 2012 की रात्रि तथा 01 अगस्त, 2012 को दिन में पावर ग्रिड फेल हो जाने के कारणों को जानने के लिए शासन द्वारा कोई समिति गठित की गई है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन से हैं तथा जांच के बिन्दु क्या हैं ? क्या सरकार उसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में महानगरों की विद्युत वितरण व्यवस्था को निजी क्षेत्रों में दिये जाने की जानकारी

10-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन महानगरों की विद्युत वितरण व्यवस्था सरकार ने निजी क्षेत्रों को दी है तथा किन-किन महानगरों में निजी क्षेत्र में देने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

आगरा शहर की विद्युत वितरण व्यवस्था निजी क्षेत्र को दी गयी है।

कानपुर (केस्को) की विद्युत वितरण व्यवस्था निजी क्षेत्र को दिया जाना विचाराधीन है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के घाटमपुर में लगे विद्युत संयंत्र से विद्युत उत्पादन की जानकारी

11-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जून, 2012 में मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद कानपुर के घाटमपुर में विद्युत संयंत्र का शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो उक्त विद्युत संयंत्र से कितना तथा कब तक विद्युत उत्पादन आरम्भ होगा ? क्या सरकार इसके एम0ओ0यू0 की विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

11-(क) जी हां, दिनांक 11 जून, 2012 को मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जनपद कानपुर के घाटमपुर में 3×660 मे0 वा0 क्षमता के विद्युत संयंत्र को स्थापित करने हेतु शिलान्यास किया गया था। यह विद्युत परियोजना मे0 नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के संयुक्त उपक्रम में स्थापित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 193 पर)

(ख) उक्त परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 1980 मे0वा0 है तथा परियोजना का कार्य आरम्भ होने की तिथि से 58 माह की निर्धारित अवधि फरवरी, 2018 तक प्रथम इकाई से विद्युत उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है।

(ग) एम0ओ0यू0 की विस्तृत जानकारी हेतु छायाप्रति संलग्न है। †

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक मेट्रो ट्रेन चलाने की मांग

12-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती आबादी के कारण सड़कों पर यातायात को सुगम बनाने हेतु क्या सरकार एन0सी0आर0 क्षेत्र में नोएडा की तर्ज पर जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक मेट्रो ट्रेन चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

सम्प्रति एन0सी0आर0 क्षेत्र में नोएडा की तर्ज पर जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक मेट्रो ट्रेन चलाने सम्बन्धी कोई परियोजना/प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

13-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[दिनांक 29-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-185 द्वारा उत्तरित]

जनपद बहराइच के जिला महिला अस्पताल में 100 शैय्या एवं 10 शैय्या वेन्टीलेटर युक्त वार्ड के निर्माण की जानकारी

14-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला महिला अस्पताल बहराइच में 100 शैय्या वार्ड की व्यवस्था तथा जे0ई0/ए0ई0एस0 ग्रसित व्यक्तियों के इलाज हेतु वेन्टीलेटर युक्त 10 शैय्या वार्ड के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कार्य के लिए धन की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

जिला महिला चिकित्सालय में 100 शैय्या वार्ड के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण किया जा चुका है। निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

---

† छापी नहीं गयी।

जे0ई0/ए0ई0एस0 ग्रसित व्यक्तियों के इलाज हेतु वेन्टीलेटर युक्त 10 शैय्या वार्ड हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बइराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में बिजली के जर्जर तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 बंच केबिल लगाने की जानकारी

15-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख बाजारों में बिजली के जर्जर तारों के स्थान पर ए0बी0सी0 बंच केबिल लगाने की कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कुल कितनी धनराशि जारी की गयी है तथा इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जर्जर तारों को बदलने हेतु रु0 16.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है। प्राक्कलन एवं पैकेज की कार्यवाही प्रक्रिया में है। कार्य मार्च, 2013 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 विधान सभा, सदस्य मा0 श्री संगीत सिंह सोम के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16-श्री संगीत सिंह सोम-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सरधना जनपद मेरठ में दौराला से वाया लावड मसूरी तक तथा नानू से सरधना तक मार्ग निर्माण में घोटाला किये जाने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक घोटाले में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

श्री संगीत सिंह सोम, मा0 सदस्य विधान सभा का शिकायती पत्र दिनांक 14-7-2012 इस विषय में प्राप्त हुआ है।

उक्त शिकायतों की जांच हेतु शासन के पत्र दिनांक 08-08-2012 व 25-09-2012 द्वारा प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

राजस्थान, मध्यप्रदेश की भांति उत्तर प्रदेश में भी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु होटलों में रु0 3000/- तक के कमरों को विलासिता कर से मुक्त करने की मांग

17-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत के कई प्रदेशों यथा राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां की राज्य सरकार द्वारा बजट होटलों में

रु0 3,000/-तक के कमरों को विलासिता कर से मुक्त रखा गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में केवल रु0 1,000/-तक के ही कमरों को विलासिता कर से मुक्त रखे जाने से आगरा में पर्यटकों का रात्रि विश्राम नगण्य हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने तथा अधिक से अधिक पर्यटकों को रात्रि विश्राम के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश के बजट होटलों में भी रु0 3,000/-तक के कमरों को विलासिता कर से मुक्त रखने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। राजस्थान में रुपया 3,000/-एवं मध्य प्रदेश में रु0 2,000/- तक होटलों के कमरों को विलासिता कर से मुक्त रखा गया।

जी नहीं। उत्तर प्रदेश में केवल रु0 1,000/-तक के किराये वाले कमरों को विलासिता कर से मुक्त रखे जाने से आगरा में पर्यटकों का रात्रि विश्राम नगण्य नहीं हुआ है।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सभा कांकर कठा में राशन की दुकान का खुली बैठक में आवंटन

18-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर की ग्राम सभा कांकर कठा में राशन दुकान का खुली बैठक में प्रस्ताव न करने की शिकायत ग्रामवासियों ने दिनांक 6-8-12 को उप जिलाधिकारी, जलालाबाद से की है ? यदि हां, तो क्या सरकार खुली बैठक कराकर राशन की दुकान आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी हां।

ग्राम पंचायत की खुली बैठक बुलाकर पुनः प्रस्ताव कराने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी मिर्जापुर को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ओपेक चिकित्सालय कैली में नियमित सफाई कार्य किये जाने की जानकारी

19-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय, ओपेक चिकित्सालय, कैली चिकित्सालय परिसर एवं वार्डों में भयंकर गन्दगी एवं कूड़ा व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में नियमित सफाई की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ओपेक चिकित्सालय, कैली, बस्ती में नियमित सफाई का कार्य किया जाता है। चिकित्सालय के नियमित सफाई कर्मियों के अलावा दैनिक वेतन पर भी सफाई कर्मी तैनात हैं, जिनसे नियमित सफाई कराई जाती है।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर व मिलक में विस्तारित विजनेस प्लान के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

20-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर व मिलक में विस्तारित विजनेस प्लान के अन्तर्गत लखीमपुर, सईदाबाद, वकनौरी, रहसैना, सिमरिया, लखना खेड़ा, उदयपुर, इमरतपुर, मंसूरपुर, चकिया हयातनगर आदि ग्रामों के विद्युतीकरण का आगणन मुख्य अभियन्ता, मुरादाबाद के कार्यालय में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

संबंधित ग्रामों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

क्रम0 सं0	जनपद का नाम	ग्राम का नाम	ब्लाक का नाम	अद्यतन स्थिति
1	रामपुर	लखीमपुर	बिलासपुर	विद्युतीकृत
2	रामपुर	सईदाबाद	मिलक	अविद्युतीकृत
3	रामपुर	बकनौरी	मिलक	विद्युतीकृत
4	रामपुर	रहसैना	मिलक	विद्युतीकृत
5	रामपुर	सिमरिया	मिलक	विद्युतीकृत
6	रामपुर	लखनाखेड़ा	मिलक	विद्युतीकृत
7	रामपुर	उदयपुर पट्टी	बिलासपुर	विद्युतीकृत
8	रामपुर	इमरतपुर (मजरा)	मिलक	अविद्युतीकृत
9	रामपुर	मन्सूरपुर	बिलासपुर	विद्युतीकृत
10	रामपुर	चकिया हयातनगर	मिलक	विद्युतीकृत

उपरोक्त तालिका में वर्णित ग्राम रहसैना ही विस्तारित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ था, जिसका कार्य पूर्ण करा दिया गया था।

उपरोक्त सभी ग्रामों एवं मजरों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत विद्युतीकरण विस्तारीकरण हेतु डी0पी0आर0 में सम्मिलित कर लिया गया है।

डी0पी0आर0 की स्वीकृत प्राप्त होने तथा धन की उपलब्धता होने पर ही अपेक्षित कार्यों को कराना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर व मिलक में पीलाखार नदी से हो रही कटान को बचाने की परियोजना

21-श्री संजय कपूर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर व मिलक में पीलाखार नदी की कटान से प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में गांव व शहर की जमीन की कटान हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाढ़ से बचाव के लिए कोई ठोस उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर व मिलक में ग्राम अशोकपुर पट्टी, गुजरेला आदि ग्रामों को पीलाखार नदी की बाढ़ से बचाने हेतु एक परियोजना जनपद रामपुर में ग्राम अशोकपुर पट्टी व गुजरेला की सुरक्षा हेतु पीलाखार नदी के बायें किनारे पर स्थित बांध का विस्तार व पुनर्स्थापना की परियोजना लागत रु0 309.25 लाख अनुमोदित है, जिसके सापेक्ष रु0 123.70 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भूमिहीन किसानों को खेती के लिए भूमि पट्टे पर दिये जाने की मांग

22-श्री संजय कपूर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई विभाग की भूमि प्रत्येक तीन वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाती थी ? यदि हां, तो क्या अब उस पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार सिंचाई विभाग की खाली पड़ी जमीन को भूमिहीन किसानों को पट्टे पर देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। शासनादेश संख्या-2909/स0ख0/92-27-सिं0-3-57 एल/92, दिनांक 03-09-1992 में निहित प्राविधानानुसार सिंचाई विभाग की भूमि सामान्यतः 05 वर्ष हेतु पट्टे पर दिये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

भूमिहीनों के सम्बन्ध में ग्रामीण कृषि भूमि को शासनादेश के अनुसार खेती के लिए भूमि पट्टे पर दिये जाने के निमित्त प्राथमिकता निम्नवत् है :-

1-ऐसे स्थानीय भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति, जिनके पास पट्टे की भूमि सम्मिलित करके 3.125 एकड़ से अधिक न हो। यह सीमा बुन्देलखण्ड हेतु 5.00 एकड़ होगी।

2-स्थानीय भूमिहीन/खेतिहर श्रमिकों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को।

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए बी0पी0एल0 कार्ड बनाने की जानकारी

23-श्री अखिलेश कुमार सिंह-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए बी0पी0एल0 कार्ड बनाने की योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

जी हां।

प्रदेश में बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्ड जारी करने हेतु जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में रु0 19884/-प्रति परिवार प्रति वर्ष आयु सीमा में प्रत्येक ग्राम सभा में एक-एक बहुउद्देशीय कर्मी/लेखपाल द्वारा ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम सभा के बी0पी0एल0 परिवारों में से अवरोही क्रम में निर्धनतम परिवारों के चयन की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्र में रु0 25546/-प्रति परिवार प्रतिवर्ष आय सीमा में स्थानीय निकाय के अधिकारियों के सहयोग से चिन्हीकरण की व्यवस्था निर्धारित है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 106.79 लाख बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें बी0पी0एल0 श्रेणी के 65,84500 तथा अन्त्योदय श्रेणी के 40,94500 के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत राशन कार्ड निर्गत कर उन पर लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत बालक दास सेतु निर्माण हेतु घटिया निर्माण के कारणों की जांच हेतु समिति का गठन

24-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत बालक दास सेतु निर्माण सुरेमनपुर, गोपालनगर मार्ग पर पिछली सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? क्या यह सही है कि घटिया निर्माण के कारण उक्त पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर पुनः पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सेतु के निर्माण हेतु रु0 140.11 लाख धनराशि आवंटित की गयी थी।

पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारणों को जानने एवं दोषी व्यक्तियों को चिन्हित करने हेतु जांच समिति गठित कर दी गयी है।

उपरोक्तानुसार जांच आख्या पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के दियारांचल में नदी एवं तटबन्ध के बीच बसे गांवों को अन्यत्र विस्थापित करने की मांग

25-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के दियारांचल इलाके में बिहार की तरफ से गंगा और घाघरा के पानी का दबाव बढ़ने के कारण सिताब दियरा इलाके के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके बचाव के लिए ठोकर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सिताब दियरा इलाके के ग्राम रामेश्वर टोला, घुरी का टोला, गरीब टोला, दलजीत टोला व भवन टोला प्रभावित होते हैं, जो फ्लड प्लेन जोन के अन्तर्गत बसे हैं।

जी नहीं।

फ्लड प्लेन जोन के अन्तर्गत बसे ग्रामों को जिला प्रशासन द्वारा अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सिताब दियरा इलाके के गांव तटबन्ध एवं गंगा तथा घाघरा नदी के संगम के क्षेत्र के मध्य पड़ने वाले फ्लड प्लेन तथा मियन्डरिंग जोन में स्थित है, इसलिए यहां पर कोई बाढ़ सुरक्षा कार्य किया जाना साध्य नहीं है। नदी एवं तटबन्ध के बीच बसे गांवों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर अन्यत्र विस्थापित किया जाता है।

जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्वीकृत पदों के अनुरूप स्टाफ व उपकरणों की जानकारी

26-श्री संजय कपूर-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की टाउन एरिया केमरी में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनपद मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर होने के कारण एवं स्टाफ, उपचार के उपकरण एवं सुविधाओं की समुचित व्यवस्था न होने के कारण रोगियों की मौत हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोगियों के उपचार के लिए सम्पूर्ण उपकरण, स्टाफ की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केमरी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र विलासपुर जनपद रामपुर से मात्र 12 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है, में स्वीकृत पदों के अनुरूप स्टाफ एवं उपकरण उपलबध है। मरीजों का उपचार सुचारु रूप से किया जा रहा है तथा स्टाफ एवं उपकरणों के अभाव में किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में 01-07-1995 से 30-6-2007 तक निष्पादन शुल्क की जमा हुई एवं शेष धनराशि

27-श्री संजय कपूर-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-95 (क) के अन्तर्गत जारी प्रमाण-पत्रों के निष्पादन के समय उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम संख्या-362 के अन्तर्गत निष्पादन शुल्क जमा करना होता है ? यदि हां, तो प्रदेश के कितने जनपदों में निष्पादन शुल्क अब तक जमा नहीं किया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद रामपुर में 01-07-1995 से 30-6-2007 तक कितनी धनराशि जमा की गयी और कितनी शेष है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम बराखास में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की मांग

28-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक में बराखास व आस-पास के लगभग बीस ग्रामों को पन्द्रह बीस कि0मी0 दूर केमरी उपकेन्द्र से विद्युत आपूर्ति हो रही है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युत लाइन के तार लगभग 30-40 वर्ष पुराने एवं जर्जर होने के कारण विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से दिलाने के लिये ग्राम बराखास में 33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

(क) जी हां।

(ख) विद्युत लाइन के तार पुराने हैं परन्तु जर्जर अवस्था में नहीं है। विद्युत आपूर्ति निर्धारित शिड्यूल के अनुसार सुचारु रूप से की जा रही है।

(ग) 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र केमरी से बराखास मात्र बारह कि0मी0 की दूरी पर स्थित है एवं 11 के0वी0 सिहारी फीडर से पोषित है जोकि अतिभारित नहीं है। नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बराखास का निर्माण कराना तकनीकी रूप से सम्भव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों के प्रकोप को रोकने हेतु दवा के छिड़काव की व्यवस्था

29-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात के कारण जानलेवा मच्छरों का प्रभाव एवं प्रकोप बढ़ जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में दवा छिड़काव की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

समस्त प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में दवा के छिड़काव की व्यवस्था करा दी गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने हेतु चीनी मिलों तथा फैक्ट्रियों द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने की मांग

30-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने हेतु चीनी मिलों तथा अन्य फैक्ट्रियों जैसे इफ्को आंवला बरेली आदि द्वारा बिजली का उत्पादन कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने हेतु इन्हें प्रोत्साहित करने की कोई योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में प्रदेश की विभिन्न चीनी मिलों में स्थापित सह उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत क्रय हेतु कुल 1112.16 मेगावाट क्षमता के अनुबन्ध हस्ताक्षरित हुए है। जिनमें से 1017.66 मेगावाट के अनुबन्धों के विरुद्ध चीनी मिलों से सीजन में विद्युत क्रय किया जाता है। इफको आंवला बरेली से कोई अनुबन्ध नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बरेली के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की तैनाती की मांग

31-डा0 अरुण कुमार-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल बरेली में कई स्पेशलिस्ट एवं सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की तैनाती न होने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विषय विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। जिला चिकित्सालय, बरेली ने स्पेशलिस्ट एवं सुपर स्पेशलिस्ट यथा-न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजीशियन, यूरो सर्जन, नेफ्रोलाजिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन, चर्मरोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं।

चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/पदों के सृजन आदि के कारण समय-समय पर पद रिक्त होते रहते हैं। चिकित्सा अधिकारियों के पदों का रिक्त होना और उन पर नियुक्ति किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्ति निरीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

32-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग में पूर्ति निरीक्षक अथवा अन्य कर्मचारियों की एक स्थान पर तैनाती अवधि का मानक क्या है ? क्या एक ही स्थान पर मानक अवधि से अधिक समय तक कर्मचारी कार्यरत होने के कारण भ्रष्टाचार एवं अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक अवधि से अधिक समय तक तैनात कर्मचारियों का स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भइया'-

वर्ष 2012-2013 की स्थानान्तरण नीति में दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार समूह ''क'' एवं ''ख'' के अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए तैनाती की अवधि का मानक जनपद में 06 वर्ष तथा मण्डल में 10 वर्ष निर्धारित है। उक्त स्थानान्तरण नीति में समूह ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारियों के स्थानान्तरण हेतु तैनाती अवधि के मानक का उल्लेख नहीं है।

जी नहीं। अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बस्ती के रुधौली विधान सभा क्षेत्र में खराब राजकीय नलकूपों को ठीक कराने की मांग

33-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के रुधौली विधान सभा के अन्तर्गत सिंचाई हेतु लगाये गये अधिकांश नलकूप खराब हैं एवं नालियां क्षतिग्रस्त एवं टूटी हुयी हैं ? यदि हां, तो खराब पड़े नलकूपों एवं क्षतिग्रस्त नालियों की मरम्मत हेतु क्या सरकार द्वारा कोई प्रबन्ध किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रुधौली में कुल 145 राजकीय नलकूप कार्यशील हैं। राजकीय नलकूपों के निरन्तर कार्यशील रहने के कारण यह अस्थायी रूप से यांत्रिक एवं विद्युत दोष से खराब होते हैं, जिन्हें सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत ठीक कराया जाता है। साप्ताहान्त दिनांक 8-11-12 को नलकूप बन्दी के अनुसार यांत्रिक दोष से 04 नलकूप एवं विद्युत दोष से 08 नलकूप इस प्रकार कुल 12 नलकूप बन्द हैं।

राजकीय नलकूपों पर निर्मित जल वितरण प्रणाली हेतु नालियों के क्षतिग्रस्त होने की दशा में समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध संसाधनों से मरम्मत एवं सुधारात्मक कार्य कराया जाता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की आशा बहुओं को आशा प्रमाण-पत्र निर्गत करने की जानकारी

34-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसव कार्य में सहयोग करने वाली आशा बहुओं को आशा प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा जननी सुरक्षा लाभार्थी फार्म आशा बहू द्वारा जमा कराये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्राविधान का पालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

सरकार द्वारा संचालित जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रसव कार्य में सहयोग करने वाली आशा बहुओं को आशा प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने का प्राविधान है, परन्तु जननी सुरक्षा लाभार्थी फार्म आशा बहु द्वारा जमा कराये जाने का प्राविधान नहीं है।

उक्त प्राविधान का पालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सहदेव सिंह पुण्डीर जिला अध्यक्ष युवजन सभा हरिद्वार का शिकायती-पत्र दिनांक 07-08-12 जो मा0 विधायक भीम प्रसाद सोनकर के पत्र सहित जो उ0 प्र0 सिंचाई विभाग की करोड़ों की सम्पत्ति देख-रेख के अभाव में हरिद्वार जनपद के कलियर कस्बा में स्टोर में सड़ने व खराब होने के सम्बन्ध में है, मा0 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

शिकायतों की जांच कराकर जांच आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा गजियापुर सिंचाई विभाग के बन्धे से कवलपुरा सिवान तक नाले पर पुल व रोड बनवाने का कथित प्रकरण

36-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा गजियापुर में सिंचाई विभाग के बन्धे से कवलपुरा सिवान तक नाले पर पुल व रोड न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आने-जाने एवं खेती करने में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले पर पुल व रोड बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कवलपुरा सिवान तथा गजियापुर गांव हाहानाला मुख्य बांध तथा हाहानाला रिंग बांध के मध्य पड़ने वाले फ्लड प्लेन में स्थित हैं। वर्षा ऋतु में इस भू-भाग के नसेब जमीन में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे तत्समय क्षेत्रीय जनता को आवागमन में असुविधा होती है।

जल भराव का बरसाती पानी बांध पर बने रेगुलेटर से खारिज हो जाता है।

इस भू-भाग में कोई नाला नहीं है। अतएव पुल बनवाने का औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

भू-भाग में कोई नाला न होने के कारण पुल बनाने का औचित्य नहीं है।

जनपद मऊ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामगढ़ से खन्टिहा तक क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

37-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रामगढ़ से खन्टिहा तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार रामगढ़ से खन्टिहा तक मार्ग का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 2.00 कि0मी0 है, जिसमें रामगढ़ से सतना तक 1.00 किलोमीटर भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है जो कि लेपित एवं संतोषजनक है। शेष भाग (1.00 कि0मी0) सतना से खन्टिहा तक लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बउराँव से कटिहारी तक जर्जर एवं क्षतिग्रस्त मार्ग का कथित प्रकरण

38-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बउराँव से कटिहारी तक मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार बउराँव से कटिहारी होते हुये सरबसपुर तक लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। मार्ग पर यातायात सुगम रूप से चल रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दोहरीघाट मार्ग से गोधनी गांव के क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

39-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दोहरीधाट मार्ग से गोधनी गांव तक मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग का लेपित भाग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा 419 मीटर मार्ग खड़न्जा स्तर पर निर्मित है।

मार्ग के मरम्मत/लेपन का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

40-श्री उमेश पाण्डेय-

[2सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-192 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

41-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

[दिनांक 26-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-110 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर मुख्यालय में रिंग रोड बनवाने का कथित प्रकरण

42-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर मुख्यालय में रिंग रोड बनाने हेतु कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार उक्त रिंग रोड कब तक बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर मुख्यालय में पूर्व से बाईपास निर्मित है, जिससे होकर आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है। अतः रिंग रोड बनवाने का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के मिर्जापुर में वनरोजों को पकड़े जाने की योजना की जानकारी

43-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ब्लाक जलालाबाद के मिर्जापुर में वनरोज स्थानीय कृषकों की फसलों को नष्ट कर देते हैं जिससे कृषकों को अत्यधिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वनरोजों को पकड़वाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद शाहजहांपुर में वनरोज द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की छुटपुट घटनाएं प्रकाश में आई हैं।

कार्य योजना पूर्व से ही विद्यमान है।

वनरोजों के द्वारा कृषि फसलों की क्षति के दृष्टिगत उत्पाती वनरोजों को नष्ट करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित की धारा-4 (1) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-736/14-4-94-854/92, दिनांक 09-03-1994 एवं शासनादेश संख्या-2194/14-4-2001-854/92, दिनांक 28-09-2001 व शासनादेश संख्या-1464/14-4-2008-854/92, दिनांक 31-07-2008 से जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, वन विभाग के समस्त वन क्षेत्राधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक एवं राजस्व विभाग के समस्त तहसीलदारों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस प्रकार प्रभावित कृषकों की सुविधा हेतु अनुमति के स्तर को व्यापक कर दिया गया है ताकि सुगमता से अनुमति प्राप्त हो सके। अतः प्रभावित कृषक अपने-अपने क्षेत्र के इन अधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या का निदान कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

44-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[2सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के कतिपय सूखे तालाबों में पानी भरवाने की मांग

45-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में नया खेड़ा तालाब, खाड़ी का तालाब, मानपुर का तालाब, चुनावली तालाब, रक्सा का तालाब इस भीषण गर्मी में सूख गये हैं जिससे ग्रामीणों एवं पशुओं के लिये पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन तालाबों को राजघाट नहर से भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग

46-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र में रामनगर रोड से करगुवां होते हुये नन्द सियादेवरा तक, सुकुवाँ-ढुकुवाँ रोड से चन्दौली तक, ग्राम-निवी से खिवरियाराम होते हुये ग्राम नरी तक, गनेशपुरा से राजगढ़ तक रसोई से गंगली होते हुये झौरों मुहल्ला तक, मोंठ-भाण्डेर रोड से ग्राम-भरोसा, छपार, पुलगहना, शाहजहांपुर, बझेरा, खजूरी होते हुये

पण्डोखर रोड तक, पारीछा रेलवे क्रासिंग से पचार सम्पर्क मार्ग तक, पारीछा-चार लाइन से जौरी होते हुये सम्पर्क मार्गों के निर्माण का प्राविधान क्या बजट में किया जाना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में रामनगर रोड से करगुवा होते हुए देबरा तक लम्बाई 10.700 कि0मी0 है। रामनगर से नन्दसिया तक 7.600 कि0मी0 का भाग लेपित है एवं नन्दसिया से दुबरा तक 3.100 कि0मी0 कच्चा मार्ग है, किन्तु देबरा ग्राम चिरगांव भाण्डेर मार्ग से जुड़ा हुआ है ? प्रश्नगत ग्राम सिंगल कनेक्टविटी के अन्तर्गत लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है, अतः इन्हें आपस में जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

सुकवां ढुकवां मार्ग से चन्दौली तक सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 5.000 कि0मी0 है जिसमें से 1.300 कि0मी0 का मार्ग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा निर्मित है एवं यह कोटी सम्पर्क मार्ग का भाग है। चन्दौली मजरें की आबादी 2.50 से कम होने के कारण सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने का प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम निवी एवं नरी दोनों ही गांव सम्पर्क मार्ग से जुड़े है। खिरियाराम की आबादी 250 से कम होने के कारण सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने का प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम गनेशपुरा पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है। राजगढ़ की आबादी 250 से कम होने के कारण सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने का प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम रसोई पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है। गंगली, झौरी मुहल्ला की आबादी 250 से कम होने के कारण सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने का प्रस्ताव नहीं है।

गोठ भाण्डेर रोड से पाण्डोखर तक सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 20.300 कि0मी0 लेपित स्तर तक पूर्व से निर्मित है।

पारीछा रेलवे क्रासिंग से पचार सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 4.700 कि0मी0 है जो जिला पंचायत के स्वामित्व में है। पचार ग्राम चिरगांव मियापुर मार्ग से जुड़ा हुआ है।

पारीछा चार लेन से जौरीबुजुर्ग की लम्बाई 4.500 कि0मी0 है जो पूर्व से ही लेपित सतह तक निर्मित है।

जनपद झांसी में बबीना तालाब से नाले में प्रवाहित होते पानी को कतिपय ग्रामों को सिंचाई सुविधा देने की मांग

47-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्थित बबीना तालाब (माताटीला बांध से पाइप लाइन झांसी तक डाली गयी है) के पानी का शुद्धीकरण बबीना तालाब के पास ही होता है और काफी मात्रा में पानी बबीना तालाब से नाले में प्रवाहित होता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब से नहर (माइनर) बनवाकर रसोई, मुटरन झोरों गंगली, खजराहा खुर्द, खजराहा बुजुर्ग, चन्द्रनगर, पनिहारी दयानगर, पथरवारा टूंका, किल्चवारा खुर्द किल्चवारा बुजुर्ग, छर्रा भड़रा,

कसावरी, बड़ैरा, वैदोरा डुबकी, मुरारी, मथुरापुरा, सलैयन सफा, चमरौआ कोटि वंडा, गोपालपुरा, भड़रा टपरियन आदि गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

माताटीला बांध से पेयजल हेतु पाइप लाइन झांसी तक डाली गई है तथा पानी का शुद्धीकरण बबीना में बबीना तालाब के पास ही होता है परन्तु शुद्धीकरण के पश्चात अवशेष नगण्य जल बबीना तालाब से नाले में प्रवाहित होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर्याप्त जल उपलब्धता के कारण।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के अन्तर्गत झरेखापुर रेलवे क्रासिंग से फत्तेपुर आदि क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत की मांग

48-श्री रामहेत भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव के अन्तर्गत झरेखापुर रेलवे क्रासिंग से फत्तेपुर, मातिनपुर, बेलामऊ सम्पर्क मार्ग से सेमरी मोतिमदपुर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत/नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेंडी के अन्तर्गत बिलरायां-पनवारी मार्ग से जाने वाला पगरोई सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की जानकारी

49-श्री रामहेत भारती-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड परसेंडी के अन्तर्गत बिलरायां-पनवारी मार्ग से जाने वाला पगरोई सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने की जानकारी

50-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामों को जाने वाले सम्पर्क मार्गों की मरम्मत तथा गढ्ढों को भरे जाने की क्या नीति है ? क्या शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा के ग्राम अहमदपुर, नियाजपुर (मेजवान होटल) के पास से जाने वाला रास्ता एवं ग्राम हथौड़िया, कुरसंडा टिकरा, दंदिउरा, तिउलक को जाने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सामान्य मरम्मत के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों का पैच मरम्मत कर गड्ढामुक्त किये जाने की नीति है।

उक्त मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उक्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम घुसगवां के मजरे के विद्युतीकरण की योजना की स्वीकृति

51-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में ग्रामों के (पुरवों) मजरों के विद्युतीकरण तथा आंशिक विद्युतीकरण वाले ग्रामों को पूर्ण विद्युतीकृत करने की सरकार की कोई योजना है ? क्या यह सही है कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम घुसगवां के मजरे का विद्युतीकरण अब तक नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

(क) जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण की योजना है।

(ख) जी हां।

(ग) जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम घुसगवां के मजरे का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हो पाया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना फेज-2 में जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम घुसगवां के मजरे के विद्युतीकरण की योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त मजरों का विद्युतीकरण संभव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं दवाओं के अभाव की पूर्ति करने की मांग

52-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, पी0एच0सी0 एवं सी0एच0सी0 में चिकित्सकों, पैरा-मेडिकल स्टाफ एवं दवाओं का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में मानक के अनुरूप चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ तथा पर्याप्त मात्रा में दवायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद फिरोजाबाद में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन चिकित्साधिकारियों के स्वीकृत 120 पदों के सापेक्ष 66 चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं तथा 54 रिक्त हैं। जिला महिला चिकित्सालय में चिकित्साधिकारियों के 09 पद स्वीकृत हैं जो सभी भरे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ के कुल 100 पद स्वीकृत हैं जिन पर 50 पैरामेडिकल स्टाफ कार्यरत हैं। जनपद-फिरोजाबाद में जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, पी0एच0सी0 व सी0एच0सी0 में औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/पदों के सृजन आदि के कारण समय-समय पर पद रिक्त रहते हैं। चिकित्सा अधिकारियों के पदों का रिक्त होना और उन पर नियुक्ति किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत जर्जर पोल, तार एवं ट्रांसफार्मर बदलवाने की जानकारी

53-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में कितनी विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त हुई है तथा इसे रोकने हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि भारत सरकार के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों में इलाहाबाद जनपद में कितने जर्जर खम्भे तार, ट्रान्सफार्मर आदि बदले गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में वर्ष 2008-2009, 2009-10, 2011-12 तथा 2012-13 में क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों का विवरण निम्न है :-

वर्ष	योग (कि0मी0)
2008-2009	2489.81
2009-2010	3804.81
2010-2011	5576.58

2011-2012	3843.85
2012-2013 (माह अक्टूबर, 2012 तक)	865.06

विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण जिसके अन्तर्गत जर्जर पोल एवं तार को भी बदलने हेतु कार्य बिजनेस प्लान/आर0ए0पी0डी0आर0 के अन्तर्गत किया जा रहा है।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत इलाहाबाद जनपद में विगत तीन वर्षों में कुल 2974 नग जर्जर पोल, 3690 कि0मी0 जर्जर तार एवं 1147 नग ट्रान्सफार्मर बदले गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में आवंटित धनराशि व कार्य की जानकारी

54-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा इसे कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बहराइच में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में कुल रु0 13050.13 लाख धनराशि की योजना स्वीकृत है तथा योजना के अन्तर्गत धन प्राप्त होने के पश्चात् कार्य को कराने में लगभग 24 माह का समय लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कैसरगंज में 50 शैय्या मैटरनिटी विंग की स्थापना की जानकारी

55-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैसरगंज में 50 शैय्या मैटरनिटी विंग की स्थापना पी0आई0पी0 वर्ष 2012-13 में स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक आरम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण किया जा चुका है। निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

56-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[2सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-193 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर महानगर में सिंचाई विभाग की कालोनी की बाडन्ड्रीवाल बनवाने की जानकारी

57-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में स्थित राजेन्द्र नगर कालोनी के पूर्वी छोर पर सिंचाई विभाग की कालोनी की समस्याओं के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का पत्रांक ख-5 नं0 308017, दिनांक 08-08-2012 प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

गोरखपुर महानगर में स्थित राजेन्द्र नगर कालोनी के पूर्वी छोर पर सिंचाई विभाग की कालोनी के बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

आरोग्य निधि योजना के पात्रों को लाभ देने हेतु कागजी खानापूरी का सरलीकरण करने की मांग

58-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आरोग्य निधि योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले रोगी की अत्यन्त गम्भीर अवस्था को देखते हुये तथा विभिन्न स्तरों पर कागजी खानापुरी में विलम्ब होने के कारण मरीजों को क्या तत्काल राहत मिल पाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस योजना का लाभ देने हेतु कागजी खानापूरी का सरलीकरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

शासनादेश संख्या-945/पांच-1-2012-4(51)/06, दिनांक 10-7-2012 द्वारा राज्य आरोग्य निधि (मुख्य मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) के अन्तर्गत अधिकतम रु0 1,50,000/-की आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है।

यथोचित संशोधन उक्तानुसार किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

59-श्री मनीष असीजा-

[दिनांक 29-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-58 द्वारा उत्तरित]

जनपद गोरखपुर में नकहा नं0-1 से गुजरने वाली रेल लाइन पर फ्लाई ओवर/ओवर ब्रिज बनाने की प्रक्रिया

60-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 28(4)/23-11-2012, दिनांक 14-05-2012 के द्वारा गोरखपुर महानगर में 6 फ्लाई ओवर के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 लखनऊ को निर्देशित किया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

शासन का सन्दर्भित पत्र संख्या-28 (4)/23-11-2012, दिनांक 15-05-2012 प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ को प्रेषित किया गया है।

गोरखपुर में नकहा नं0-1 से गुजरने वाली रेल लाइन के ऊपर से स्पोर्ट्स कालेज जाने वाली सड़क पर फ्लाई ओवर/ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

61-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[2सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-194 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र राशन की दुकानों का आवंटन ग्राम सभा की खुली बैठक में एवं वीडियोग्राफी कराये जाने की मांग

62-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उचित दर राशन की दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने हेतु ग्राम सभाओं की खुली बैठकों की वीडियोग्राफी कराकर प्रस्ताव के साथ लगाये जाने की प्रक्रिया सरकार लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकानों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पास कर किये जाने की व्यवस्था है। दुकान आवंटन की वर्तमान प्रक्रिया पूर्ण रूप से सरल एवं पारदर्शी है। वीडियोग्राफी कराकर प्रस्ताव के साथ लगाये जाने की प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विधान सभा रूधौली में विद्युत आपूर्ति की जानकारी

63-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा रूधौली में तय मानक (समय सारणी रात व दिन पारी) के अनुसार बिजली देने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बस्ती के विधान सभा रूधौली में वर्तमान में 23 बजे से 5 बजे एवं 10 बजे से 14 बजे तक (कुल 10 घण्टे) विद्युत आपूर्ति आदेशित है। माह नवम्बर, 2012 में औसतन लगभग 10.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गयी है। राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा एवं स्थानीय व्यवधान के कारण कभी-कभी विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय राज्य मार्गों पर पड़ने वाले (टोल प्लाजा) पर टोल वसूली हेतु वी0आई0पी0, एम्बुलेन्स आदि के निर्बाध रूप से आवागमन हेतु रिजर्व लेन

64-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राज मार्गों पर पड़ने वाले (टोल प्लाजा) पर टोल वसूली हेतु पर्याप्त स्टाफ न होने के कारण जाम की समस्या के कारण गम्भीर रूप से बीमार मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेन्स सेवा एवं अन्य आपातकालीन राहत प्रदान करने वाली सेवा यथा फायर ब्रिगेड, बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बस आदि सेवायें बुरी तरह से बाधित होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

सभी टॉल प्लाजा पर एक-एक लेन वी0आई0पी0 वाहन हेतु एवं आपातकालीन वाहन जैसे कि फायर ब्रिगेड, एम्बुलेन्स आदि के निर्बाध रूप से आवागमन हेतु रिजर्व है।

प्रश्न नहीं उठता।

65-श्री मनीष असीजा-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-115 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव राजेपुर में एक पुलिया बनवाने की मांग

66-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के गांव राजेपुर में एक पुलिया न होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में पुलिया का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पुलिया निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पिपरी, सोनभद्र को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

67-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा के म्योरपुर विकास खण्ड के ग्राम कुलडोंमरी टोला सिदहवाडाड में ट्रान्सफार्मर न लगने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01-06-12 अधिशाषी

अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड पिपरी, सोनभद्र को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

(क) प्रश्नगत क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हो रही है।

(ख) जी हां।

(ग) पूर्व से ही जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड म्योरपुर के ग्राम कुलडोंमरी टोला सिदहवाडाड में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना वर्ष 2009-10 में 10 के0वी0ए0 का एक ट्रांसफामर्र लगा कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिस पर 7 उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत संयोजन लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में अनपरा बाजार से काशी मोड़ तक के क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

68-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में अनपरा बाजार से काशी रोड मोड़ तक की सड़क लगभग तीन वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

(क) जी हां।

(ख) अनपरा बाजार से काशी मोड़ तक की सड़क का अनुरक्षण कार्य धनाभाव के कारण उत्पादन निगम द्वारा नहीं कराया जा सका है। कार्य को लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने हेतु अनुरोध उत्पादन निगम के पत्र संख्या-2407/परि0 एवं अनु0जान0 मं0-6/अ0ता0प0/डब्लू0-2 दिनांक 09-08 द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[दिनांक 27-11-2012 को अता0 प्रश्न संख्या-49 द्वारा उत्तरित]

मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग गोरखपुर क्षेत्र गोरखपुर द्वारा निविदा को निरस्त करने की प्रक्रिया

70-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियमित निविदा प्रक्रिया की अवधि कम से कम पन्द्रह दिन निर्धारित है ? यदि हां, तो जनपद बस्ती के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग (टेण्डर प्रकाशन 17 मई, निविदा तारीख 19 मई से 24 मई, 2012) द्वारा सारी प्रक्रिया एक हफ्ते में पूरी की गई ? यदि हां, तो क्या दोषी के खिलाफ कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सामान्यतः निविदा की अवधि एक माह निर्धारित होती है। विशेष परिस्थितियों में अल्पकालिक निविदा की समयावधि 15 दिन तथा कार्य की आकस्मिकता के परिप्रेक्ष्य में उक्त समयावधि को और भी घटाया जा सकता है।

निविदा सूचना दिनांक 17 मई, 2012 विभिन्न समाचार-पत्रों में दिनांक 18 मई, 2012 को प्रकाशित की गयी थी, किन्तु उक्त निविदा मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गोरखपुर क्षेत्र, गोरखपुर द्वारा दिनांक 26 मई, 2012 को निरस्त कर दी गयी। अतएव निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के मौजा चकतुल्ला में मुन्नी लाल के ट्यूबवेल से ब्रजेश के ढोह तक बसावरों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की मांग

71-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा उसरी बुजुर्ग के मौजा चकतुल्ला में मुन्नीलाल के ट्यूबवेल से ब्रजेश के ढोह तक की सड़क जिसकी लम्बाई लगभग 1.5 किलीमीटर है पर लेपन कार्य न होने के कारण बरसात के समय में क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग का लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद मऊ की ग्राम सभा उत्तरी बुजुर्ग पूर्व से ही लेपित सतह से जुड़ा है, मौजा चकतुल्ला में मुन्नीलाल के ट्यूबवेल से ब्रजेश के ढोह तक की आबादी 250 से कम है। ऐसी आबादी की बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने की योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

72-श्री उमेश पाण्डेय-

[दिनांक 26-11-2012 को अता0 प्रश्न संख्या-109 द्वारा उत्तरित]

73-श्री उमेश पाण्डेय-

[2सरे सोमवार के अता0 प्रश्न सं0-195 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश

74-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला राज्य कर्मचारियों की भांति उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) प्रदान किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) की सुविधा अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र के सुकुवां ढुकुवां में सिंचाई हेतु नई पम्प कैनाल योजना की मांग

75-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र में सुकुवाँ-ढुकुवाँ बांध से उसके आस-पास स्थित लगभग 50 गांवों की हजारों हेक्टेयर भूमि पानी न होने के कारण बंजर एवं अनुपजाऊ हो रही है ? क्या पम्प कैनाल योजना उक्त बांध पर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं। सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने का एक मात्र स्रोत बेतवा नदी है तथा इस नदी के समस्त जल का बंटवारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य हुआ है तथा जल का उपयोग भी सुनिश्चित किया जा चुका है। इस कारण कोई नई पम्प कैनाल योजना प्रस्तावित नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कतिपय मजरों व ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

76-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधान सभा क्षेत्र बबीना जनपद झांसी में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत मजरों (ग्रामों) भड़रा (सखां), छर्रा, डुबकी छोटी, डुबकी बड़ी (वैदोरा), धमनाई रिवरक (चिपलौटा), हनुमान रिवरक, दीवान बाबा का रिवरक (कोलवा) चौका, मखरऊ, वादली, कोड़रा, डुबकी (सिमरावासी) जनकपुर, भरतेले काडेरा, सिमरइयन काडेरा, पुरतनया, बांध मुहल्ला (रक्सा), पाल काडेरा (चिरगांव देहात), गोमटा रिवरक (तेंदौल) मटियारी मु0 (रसीना), ढंगा मु0 (हीरापुर) सारमधु, खिरकन (लहरगांव) मोंटा, टौरिया, दयानगर, पथरवारा, चन्द्रनगर पनिहारी (खजराहा बुजुर्ग), टपरियन भड़रा, (मथुरापुरा), मातनपुरा (खजराहा खुर्द), हरपालपुर (बुड़पुरा), बैरागढ़, खुशीपुरा (खांड़ी), गोंची खेरा, मुखिया मुहल्ला (बबीना रूरल) ढिमरपुरा, परती परिहार मु0 पाल मु0 (खैरा), चपरियन (चमरौआ) को आच्छादित किये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण होना है जिसमें चन्द्रनगर, पथरवारा एवं भड़रा मजरे विद्युतीकरण हेतु शामिल हैं। अवशेष ग्राम/मजरों की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 से कम है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में बराटा, धुसगवां बेसिन माइनर व सिमरधा बांध गढ़मऊ की सिल्ट सफाई की जानकारी

77-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बराटा बेसिन (माइनर), धुसगुवां बेसिन (माइनर) सिमरधा बांध से गढ़मऊ माइनर में जमी सिल्ट की सफाई करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त माइनरों की सिल्ट सफाई हेतु कार्य योजना मनरेगा के अन्तर्गत बनाकर जिला प्रशासन को भेज दी गयी है। सिल्ट सफाई का कार्य जिला प्रशासन से धन उपलब्ध होने पर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में स्थित सुकुवां-ढुकुवां (बांध) व गड़मऊ झील को पर्यटन हेतु सौन्दर्यीकरण करने की जानकारी

78-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में स्थित सुकुवाँ-ढुकुवाँ (बांध), बरूआसागर ताल (झील) व गड़मऊ ताल (झील) को पर्यटन हेतु सौन्दर्यीकरण किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। गड़मऊ झील के विकास के लिये रु0 806.18 लाख की योजना का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना को प्राथमिकताबद्ध सूची में सम्मिलित भी कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं को उपलब्ध कराने की जानकारी

79-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में कितने स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं ? क्या उन केन्द्रों पर दवाओं का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार दवायें उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में 16 स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं जिसमें 01 राजकीय महिला चिकित्सालय बलिहार भी सम्मिलित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित होने की जानकारी

80-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट में कोई अस्पताल न होने से आम जनता को समुचित इलाज नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अस्पताल खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं। जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुंआरी, लोझरा, जुगैल एवं बड़गवां में संचालित है जिसके माध्यम से आम जनता को इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में लो-वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति का कथित प्रकरण

81-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में बहुत कम वोल्टेज पर विद्युत आपूर्ति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त समस्या को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम से लो-वोल्टेज की शिकायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भूमिहीनों को भूमि का पट्टा दिये जाने की मांग

82-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में भूमिहीन परिवार वन विभाग की खाली पड़ी जमीन पर गुजर-बसर करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमिहीनों को उक्त जमीन का पट्टा देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि पर पट्टा दिये जाने की कोई विधिक व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करने हेतु सीमेन्ट के पोल लगवाने का प्रकरण

83-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के किन-किन क्षेत्रों में बांस की बल्लियों से विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार जहां विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है वहां विद्युत आपूर्ति कराने एवं सुरक्षा की दृष्टि से बांस के खम्भों के स्थान पर सीमेन्ट पोल लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में बांस/बल्ली लगाकर विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है।

योजना से आच्छादित होने पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कें, पुल/पुलियों की जानकारी

84-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में कितनी सड़कें पुल/पुलिया निर्माणाधीन तथा कितने प्रस्तावित हैं ? निर्माणाधीन सड़कों व पुल/पुलिया का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में कुल 28 सड़कें, 30 पुलिया व एक पुल निर्माणाधीन है तथा 34 सड़कें व 61 पुलियों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

निर्माणाधीन सड़कों/पुलियों में से 23 सड़कों व 25 पुलियों तथा एक पुल का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष सड़कों/पुलियों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद, मिर्जापुर एवं कलान में स्वीकृत सड़कें, पुल, पुलिया व रपटा बनाने तथा कार्य पूर्ण की जानकारी

85-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद, मिर्जापुर एवं कलान में स्वीकृत कितनी सड़कें, पुल, पुलिया व रपटा विगत एक वर्ष में बने

हैं तथा कितने बनने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

विकास खण्ड जलालाबाद में वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल 8 मार्ग, मिर्जापुर में 1 मार्ग तथा कलान में 6 मार्ग व एक काजवे का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था जिसके सापेक्ष जलालाबाद व कलान में 3-3 मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण है। जलालाबाद में 5, मिर्जापुर में 1 एवं कलान में 3 मार्ग व 1 (एक) काजवे का निर्माण कार्य शेष है। उक्त विकास खण्ड में पुल/पुलिया का कोई निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं हुआ था।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर से कलान से ग्राम बेहटा, नरसुइया के पास अंधी मोड़ को सुधारने का प्रकरण

86-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड मिर्जापुर से कलान मार्ग से ग्राम बेहटा जंगल आदि ग्रामों को जाने वाले लिंक रोड पर ग्राम नरसुइया के पास अंधी मोड़ होने से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अंधी मोड़ को सुधारने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद से जनपद हरदोई जाने वाले मार्ग का कथित प्रकरण

87-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के गांव लालपुर इमलिया से धानी नगला जनपद हरदोई को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। यह एक कच्चा मार्ग है।

प्रश्नगत कार्य वित्तीय वर्ष 2011-12 के जिला योजना में स्वीकृत हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के विद्युत ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि करने की जानकारी

88-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में कितने विद्युत ट्रान्सफार्मरों पर अपनी क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक अधिभार है ? क्या इनकी क्षमती वृद्धि प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इनकी क्षमता वृद्धि कब तक होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ में 102 नं0 (वितरण) अपनी क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक अधिभार है।

जी हां।

बिजनेस प्लान 2012-13 के अन्तर्गत उपरोक्त परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के ब्लाक सल्टौआ के अन्तर्गत चौरा घाट सम्पर्क मार्ग के निर्माण का कथित प्रकरण

89-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती, विधान सभा क्षेत्र रूधौली की तहसील भानपुर के ब्लाक सल्टौआ के अन्तर्गत चौराघाट सम्पर्क मार्ग का निर्माण मानक के विपरीत हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर से निकलने वाले नाले के रख-रखाव की जानकारी

90-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के ग्राम-पयागपुर के उत्तर बड़ना तालाब के जल निकासी हेतु बने नालों की सफाई न होने से सैकड़ों एकड़ भूमि जल-प्लावित हो जाने से खेती कार्य नहीं हो रहा है और फलदार वृक्ष सूख रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवरुद्ध नाले को 500 मीटर पक्का बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। इस तालाब से निकलने वाले नाले का रख-रखाव ग्राम सभा पयागपुर द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में स्थित बघेल तालाब का कथित प्रकरण

91-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर में स्थित बघेल तालाब में स्थित कृषकों की हजारों एकड़ जलमग्न भूमि की जल निकासी हेतु मुख्य अभियन्ता, सिंचाई/नहर प्रखण्ड, खण्ड-1, गोण्डा द्वारा जमुआर नाले से टेढ़ी नदी तक नहर खुदाई व पुल/पुलिया के निर्माण का 80 प्रतिशत कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जमुआर नाले से टेढ़ी नदी तक के अवशेष 20 प्रतिशत नहर खुदाई तथा पुल/पुलिया का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त कार्य योजना हेतु अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उसके सापेक्ष कौन-कौन कार्य कराये गये और उसमें कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की तहसील हरैया में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति की जानकारी

92-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती की तहसील हरैया के ग्राम-केशवापुर में दलित बस्ती को छोड़कर शेष गांव में बांस-बल्ली के माध्यम से विद्युतीकरण हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में सीमेन्टेड पोल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

ग्राम का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की स्वीकृति प्राप्त होने पर ग्राम में पी0सी0सी0 पोल लगा दिया जायेगा।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु आर0ई0सी0, नई दिल्ली को प्रस्ताव प्रस्तुत है। योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर में ए0बी0सी0 कण्डक्टर द्वारा विद्युत आपूर्ति की जानकारी

93-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के म्योरपुर विकास खण्ड के वार्ड नं0-1, पूर्वी परासी, शारदा मंदिर अनपरा में पूर्व से गड़े विद्युत पोलों पर तार खींचकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01-06-12 अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण

खण्ड, पिपरी, जनपद-सोनभद्र को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ। जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर के वार्ड नं0-1 पूर्वी परासी, शारदा मन्दिर, अनपरा में पूर्व से ही ए0बी0सी0 कण्डक्टर द्वारा विद्युत आपूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के कतिपय विकास खण्डों में विद्युतीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य का विवरण

94-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-म्योरपुर, राबर्ट्सगंज एवं चोपन हेतु वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 में विभिन्न ग्राम पंचायतों/टोलों के विद्युतीकरण एवं विद्युत व्यवस्था सुधारने हेतु वर्षवार कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी एवं क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या सरकार आवंटित धनराशि तथा कराये गये कार्यों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर का वर्षवार विवरण निम्न है :-

वर्ष 2007-08	13.60 लाख
वर्ष 2008-09	53.84 लाख
वर्ष 2009-10	732.24 लाख
वर्ष 2010-11	84.49 लाख
वर्ष 2011-12	827.98 लाख

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड राबर्ट्सगंज का वर्षवार विवरण निम्न है :-

वर्ष 2007-08	51.82 लाख
वर्ष 2008-09	53.35 लाख
वर्ष 2009-10	265.92 लाख
वर्ष 2010-11	182.10 लाख
वर्ष 2011-12	104.42 लाख

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन का वर्षवार विवरण निम्न है :-

वर्ष 2007-08	6.46 लाख
वर्ष 2008-09	24.55 लाख
वर्ष 2009-10	1842.60 लाख
वर्ष 2010-11	शून्य
वर्ष 2011-12	209.89 लाख

उपरोक्त प्राक्कलित धनराशि के विरुद्ध भण्डार खण्ड में मांग-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त सामग्री प्राप्त कर ग्रामों के विद्युतीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है। सूची संलग्न।

सूची संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा देने हेतु चिकित्सालय के उच्चीकरण की योजना

95-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिला अस्पताल सोनभद्र के उच्चीकरण की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां। मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिये जिला चिकित्सालय, सोनभद्र के उच्चीकरण की निम्नवत् योजना है :-

मॉडुलर आपरेशन थियेटर, आधुनिक धुलाई व्यवस्था हेतु लाण्ड्री, रैन बसेरा, दवाओं के रख-रखाव हेतु केन्द्रीय भण्डार गृह का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है नवजात शिशु के लिये वार्ड, पंजीकरण एवं दवा वितरण कक्ष व ओ0पी0डी0 कक्ष के विस्तार का 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पोषण पुनर्वास केन्द्र का कार्य प्रारम्भ होने वाला है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र की समस्त सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच व कार्यवाही

96-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में समस्त शहरी एवं ग्रामीण सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें समय से न खुलने एवं स्वीकृत मात्रा से कम राशन देने के कारण स्थानीय जनता को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का समाधान करते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जनपद सोनभद्र में उचित दर विक्रेताओं के वितरण की माह अप्रैल, 2012 से 18 अक्टूबर, 2012 तक 269 जांचें की गयीं। 07 मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उक्त अवधि में 34 उचित दर दुकानें निलम्बित की

† (छापी नहीं गयी)

गयी, 07 दुकानें निरस्त की गयीं तथा शासन के पक्ष में रु0 1,14,000.00 की प्रतिभूति राशि जब्त की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के अनपरा क्षेत्र में संयुक्त चिकित्सालय संचालित होने की जानकारी

97-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में अनपरा में 100 बेड का उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल न होने के कारण क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 100 बेड वाला अस्पताल खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के अनपरा क्षेत्र में 50 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय क्रियाशील है, जहां पर एक्सरे एवं पैथालॉजी की सुविधा उपलब्ध है तथा महिला चिकित्सक एवं दन्त चिकित्सक तथा अन्य चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में अधिनियम, 3/7 के पंजीकृत कोटेदारों द्वारा संचालित कोटे की जानकारी

98-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत कितने कोटेदार ऐसे हैं जोकि धारा 3/7 के अभियोग पंजीकृत कर व जेल जाने के बाद भी कोटा चला रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कोटेदारों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में कुल पांच उचित दर विक्रेता ऐसे हैं जिनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 3/7 का अभियोग/प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है तथा वर्तमान में मा0 न्यायालयों के आदेशानुसार कोटा चला रहे हैं।

मा0 न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

99-श्री मनीष असीजा-

[दिनांक 29-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-188 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा में पर्यटन विभाग द्वारा ताज नेचर वाक के विकास हेतु स्वीकृत धनराशि व कार्य

100-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल के निकट स्थित 'ताज नेचर वाक' के सौन्दर्यीकरण के लिए कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां तो उसे कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पर्यटन विभाग द्वारा ताज नेचर वाक के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2010-11 में रु0 256.83 लाख की धनराशि ताज नेचर वाक के विकास हेतु स्वीकृत की गयी है, जिसके अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है।

नगर फिरोजाबाद के आफसाबाद चौराहे पर टूण्डला कानपुर रेल सेक्शन पर उपरिगामी पुल के निर्माण की मांग

101-श्री मनीष असीजा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद के आफसाबाद चौराहे पर टूण्डला कानपुर रेल सेक्शन में रेलवे किमी0 1228/20-21 पर आवागमन की सुविधा हेतु रेल उपरिगामी सेतु निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

इस स्थल से आफसाबाद चौराहे की ओर समुचित लम्बाई एवं चौड़ाई में भूमि उपलब्ध न होने के कारण उपरिगामी सेतु का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद गोरखपुर के बांसगांव कालोनी बिलन्दपुर में 250 के0वी0ए0 परिवर्तक स्थापित करने की जानकारी

102-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-4 नं0 347523, दिनांक 18-07-2012 के साथ गोरखपुर महानगर के श्री संतोष कुमार दुबे, बिलन्दपुर, बांसगांव कालोनी का एक आवेदन, जो बांसगांव कालोनी, बिलन्दपुर में 400 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त स्थल पर विद्युत भार की गणना के अनुसार 250 के0वी0ए0 के परिवर्तक स्थापित किया जाना था जो दिनांक 08-11-2012 को स्थापित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में जिला चिकित्सालय के इमरजेन्सी वार्ड के सीवर की सफाई की जानकारी

103-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सदर अस्पताल व महिला अस्पताल जनपद बस्ती में व्याप्त भीषण दुर्गन्ध, गन्दे गद्दे, फटी पुरानी मोरचा लगी हुयी चादरें, कम्बल तथा अस्पताल परिसर गेट से लगायत जगह-जगह पर गन्दगी, वार्डों के गन्दे शौचालय आदि के कारण संक्रमण तथा बीमारियां फैलाने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में नये बेड्स, गद्दे तथा चादरें उपलब्ध कराकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जिला अस्पताल बस्ती के इमरजेन्सी वार्ड के जाम शौचालय को भी ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय, बस्ती के इमरजेन्सी वार्ड एवं पूरे चिकित्सालय के सीवर अधिक बरसात के कारण जाम हो गये थे उन्हें तत्काल ठीक कराकर साफ करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के जिला चिकित्सालय में खून चढ़ाने की नली, दवा आदि मेडिकल स्टोरों से मंगवाने का कथित प्रकरण

104-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय बस्ती में बिगो, हैन्डीप्लास्ट, खून चढ़ाने वाली नलकी एवं आवश्यक इमरजेन्सी सेवा की कई दवायें भर्ती मरीजों से मेडिकल स्टोरों से मंगवाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यटन नीति लागू होने की जानकारी

105-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन नीति लागू हैं ? यदि हां, तो वर्ष 2012 की पर्यटन नीति सरकार कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां। प्रदेश में पर्यटन नीति लागू है।

वर्ष 2012 की पर्यटन नीति लागू किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली पहूंज नदी व बेतवा नदी पर पुल निर्माण की मांग

106-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आरी-पोहरा एवं ग्राम विठरी-मुड़ेई के मध्य प्रवाहित पहूँज नदी पर एवं बड़ागांव से पच्चरगढ़ के मध्य प्रवाहित बेतवा नदी पर पुल न होने के कारण जनता को जिला मुख्यालय आने में 30-40 कि0मी0 अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन नदियों पर पुल निर्माण करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र स्थित पारीछा बांध के भराव क्षेत्र के ऊपर स्थित कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु पानी की मांग

107-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र में स्थित पारीछा बांध के भराव क्षेत्र के ऊपर स्थित तेंदोल कोलवा बरेठी, तिलैथा, हनुमान खिरक जरवौ घुघुवा गांवों में सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में पम्प कैनाल (लिफ्ट) बनाकर सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं। बबीना विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल प्राप्त करने का एक मात्र साधन बेतवा नदी है तथा इस नदी के समस्त जल का बंटवारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के बीच वर्ष 1977 में हुआ था तथा जल का उपयोग भी सुनिश्चित किया जा चुका है। किसी नवीन पम्प नहर के निर्माण हेतु बेतवा नदी में अतिरिक्त जल उपलब्ध नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन देने की मांग

108-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन देने की नीति है ? यदि हां, तो जनपद बहराइच के पयागपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य वर्ष 2012-13 में है तथा इसके सापेक्ष अब तक कितने बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये हैं ? शेष को कब तक विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

सम्प्रति बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को विद्युत संयोजन दिये जाने की कोई नीति प्रचलित नहीं है। वर्ष 2011-12 में बहराइच जनपद में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को 3848 घरेलू संयोजन दिये जाने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 832 बी0पी0एल0 संयोजन निर्गत किये गये हैं। उक्त लक्ष्य के शेष बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने एवं औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् संयोजन दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक के कर्मियों की भांति सुविधायें देने की मांग

109-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को उ0प्र0 को-आपरेटिव बैंक के कर्मियों की भांति ही सारी सुविधायें (जैसे-वेतन/भत्ता/अवकाश आदि) दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 को-आपरेटिव बैंक एवं जिला सहकारी बैंक दोनो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं। दोनों की अलग-अलग प्रबन्ध कमेटी हैं, जिनके कर्मियों की सेवायें उ0 प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचित उ0 प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के विनियमों से विनियमित होती है। उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचित उ0 प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के विनियम संख्या-3 (2) एवं विनियम संख्या-10(1) (ख) में कर्मचारी वर्ग की संख्या, उसमें वृद्धि या वेतनमान में वृद्धि के संबंध में प्राविधान है, जिसके अनुसार समिति द्वारा अपनी आर्थिक क्षमता एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रस्ताव पारित कर निबन्धक के पूर्व अनुमोदन से अपनी संस्था के कार्मिकों को वेतन भत्ता दिया जाता है।

जहां तक अवकाश का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यह सूचित करना है कि उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के विनियम संख्या-50 से 61 में विभिन्न प्रकार के अवकाशों का प्राविधान किया गया है।

जनपद के ब्लाक बनकटा स्थित सम्पर्क मार्ग बनकटा से अहिरौली बघेल (उत्तर पट्टी) के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

110-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया के ब्लाक बनकटा स्थित सम्पर्क मार्ग, बनकटा से अहिरौली बघेल (उत्तर पट्टी) तक पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की कुल लम्बाई 3.620 कि0मी0 के सापेक्ष लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाले प्रारम्भिक लम्बाई 1.50 कि0मी0 में नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है एवम् अन्तिम 0.620 कि0मी0 लम्बाई की स्थिति सन्तोषजनक है। मार्ग के शेष अन्य भाग पर लोक निर्माण विभग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का निरस्तीकरण व नये लाइसेन्स देने की जानकारी

111-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत कुल कितने लाइसेन्स सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के माह मार्च, 2012 से 13-08-12 तक निरस्त हुये हैं और कितने लाइसेन्स नये बने हैं ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैय्या'-

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा के अन्तर्गत मार्च, 2012 से 13-08-12 तक कुल 32 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं तथा कुल 07 लाइसेन्स नये बने हैं।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर की ग्राम सभा बोहाबर उचित दर की दुकान का आवंटन

112-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर अन्तर्गत ग्राम सभा बोहाबर के उचित मूल्य विक्रेता को दिनांक 16-11-11 में वरिष्ठ जिला पूर्ति निरीक्षक द्वारा की गयी जांच के क्रम में निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

दुकान को निरस्त करते हुये किसी अन्य पात्र व्यक्ति को नियमानुसार आवंटित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी हां।

ग्राम सभा बोहाबर की उचित दर दुकान जिला पूर्ति अधिकारी के आदेश दिनांक 21-11-2012 द्वारा निरस्त कर दी गई है। ग्राम सभा में नई उचित दर दुकान की नियुक्ति हेतु ग्राम सभा का नियमानुसार प्रस्ताव पारित कराकर प्रस्तुत करने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी ब्रहमपुर को दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के अन्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत की मांग

113-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के अन्तर्गत जीवनपुर दोहरी घाट मेन सड़क पर राम नगर चट्टी से चक भगवान दास अम्बेडकर मूर्ति तक की सड़क (लगभग दो कि0मी0) अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग पर आंशिक रूप से पैच थे, मार्ग पर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है, जिस पर आवागमन सुचारु रूप से चल रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

114-श्री उमेश पाण्डेय-

[दिनांक 26-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-112 द्वारा उत्तरित]

जनपद लखनऊ की गोमती नगर योजना में रिक्त भू-खण्डों का आंवटन करने की जानकारी

115-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर विस्तार योजना, लखनऊ में कितने प्लाट रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त प्लाटों का आवंटन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

दिसम्बर, 2011 से फरवरी, 2012 के मध्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर विस्तार योजना में आवंटित भू-खण्डों का ले-आउट से सत्यापन कराया गया, जिसमें 195 रिक्त भू-खण्डों की जानकारी प्राप्त हुई थी।

जी नहीं।

रिक्त भू-खण्डों के समायोजन की कार्यवाही गोमती नगर विस्तार योजना के ऐसे आवंटियों हेतु प्रस्तावित है, जिनके द्वारा भू-खण्ड के विक्रय मूल्य की समस्त धनराशि जमा की जा चुकी है, परन्तु आवंटित भू-खण्ड विवाद से प्रभावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शांहजहांपुर में जिला चिकित्सालय में मानव संसाधन द्वारा चिकित्सा सुविधायें संचालित करने की जानकारी

116-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर का जिला अस्पताल 300 बेड का स्वीकृत हुआ था परन्तु आज तक 100 बेड से अधिक का कार्य नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये इसे 300 बेड के साथ डाक्टर, पैरा-मेडिकल स्टाफ व अन्य, सी0टी0 स्कैन आदि की सुविधायें बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद में जिला चिकित्सालय के 300 बेड की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वर्तमान में उपलब्ध मानव संसाधन द्वारा पूर्णरूप से संचालित है।

उपलब्ध मानव संसाधन द्वारा चिकित्सा सुविधायें पूर्णरूप से संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के रौजा थर्मल पावर यूनिटों में रेडियस एरिया में 6 से 8 घण्टे विद्युत आपूर्ति की मांग

117-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन स्थानों पर थर्मल पावर यूनिट स्थापित हैं उसके 5 किमी0 रेडियस एरिया के अन्दर 6-8 घण्टे विद्युत आपूर्ति अतिरिक्त की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में निजी सेल के थर्मल पावर यूनिटों में भी यही व्यवस्था लागू करेगी ? क्या शाहजहांपुर के रौजा थर्मल पावर यूनिट के पांच किमी0 के रेडियस एरिया में भी विद्युत आपूर्ति 6 से 8 घण्टे तक बढ़ाना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 27 अप्रैल, 2010 के द्वारा सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग्स द्वारा स्थापित की जाने वाली तापीय विद्युत परियोजना के 05 कि0मी0 रेडियस में 6-8 घण्टे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मुहल्लों व कालोनियों में विद्युत पोल लगवाने की मांग

118-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मुहल्लों व कालोनियों में विद्युत तार लकड़ी के लठ्ठों, बांस या पेड़ों के सहारे खींचे गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके स्थान पर विद्युत पोल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद-वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आवासीय कालोनियों यथा छित्तूपुर, भगवानपुर, मदरवां, हरिओम नगर, महादेव नगर एवं गंगा बिहार आदि कालोनी प्राइवेट कॉलोनाइजरों द्वारा विकसित की गयी हैं, जिनके द्वारा विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया है। अधिशासी अभियंता द्वारा उक्त कालोनियों का निरीक्षण किया गया है एवं जहां पर कोई विद्युत पोल झुके पाये गये उन्हें ठीक करा दिया गया है।

जहां तक उनके स्थान पर विद्युत पोल लगाने का प्रश्न है, वहां के निवासियों द्वारा पैसा जमा करने के उपरान्त ही कार्य सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्रामीण अंचलों में रिक्त महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

119-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में महिला चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितनी महिला चिकित्सक ग्रामीण अंचलों में कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त जनपद में खाली पदों को भरेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद-लखीमपुर खीरी में महिला चिकित्साधिकारियों के कुल 29 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 09 महिला चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं तथा 20 पद रिक्त हैं। ग्रामीण अंचलों में 05 महिला चिकित्सक तैनात हैं।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त समय-समय प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर नियुक्ति/तैनाती की जाती है, परन्तु आयोग की संस्तुति पर नियुक्त चिकित्सक कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति/सेवानिवृत्ति/त्याग-पत्र/पदों के सृजन आदि के कारण चिकित्सा अधिकारियों के समय-समय पर पद रिक्त होते रहते हैं। चिकित्सा अधिकारियों के पदों का रिक्त होना और उन पर नियुक्ति किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में बाढ़ सुरक्षा कार्य/स्टड के निर्माण हेतु धनांवटन की जानकारी

120-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ को रोकने हेतु ग्राम खमरिया, तहसील निघासन, जिला लखीमपुर खीरी के तिकुनियाँ, सुरतनगर में स्टड निर्माण हेतु कितने धन का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन में बाढ़ सुरक्षा कार्य/स्टड के निर्माण हेतु कोई धनावंटन नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभारियों के पास एक से अधिक गोदामों के चार्ज की जानकारी

121-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभारियों के पास कई-कई गोदामों का चार्ज है ? क्या निघासन कस्बे के गोदाम का कार्य उक्त प्रभारी द्वारा प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा अनियमित रूप से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जनपद लखीमपुर खीरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दो कर्मचारियों के पास एक से अधिक गोदाम का प्रभार है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में बन्द सीतापुर नेत्र चिकित्सालय को चालू करने की मांग

122-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुख्यालय बस्ती शहर के मध्य स्थित वर्षों से बन्द सीतापुर नेत्र चिकित्सालय की भूमि पर कतिपय लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल को चालू कराकर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

123-डा0 धर्मपाल सिंह-

[दिनांक 29-11-2012 को अता0 प्रश्न सं0-189 द्वारा उत्तरित]

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत नेमडाड़ चट्टी से अल्लीपुर नहर तक सड़क निर्माण की मांग

124-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत नेमडाड़ चट्टी से अल्लीपुर नहर तक की सड़क पर बड़ी गिट्टी वर्ष 2006 से पड़ी होने के बावजूद अभी तक उक्त सड़क का निर्माण नहीं हो सका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

यह कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

125-श्री उमेश पाण्डेय-

[1ले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम परसपुर से खैरा नासीर तक की सड़क की मरम्मत की मांग

126-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम परसूपुर अनुसूचित जाति बस्ती से खैरा नासीर तक की सड़क (लगभग 2 किमी0) अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो जाने से क्षेत्रीय जनता को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/लेपन कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्न में वर्णित मार्ग पर लोक निर्माण विभाग का स्वामित्व नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

127-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 133, तिलहर, जनपद-शाहजहांपुर के अन्तर्गत ब्लाक निगोही के 13 मार्ग एवं ब्लाक तिलहर के 12 तथा विकास खण्ड

सिधौली के 14 मार्गों के बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-07-2012 तथा 29-07-2012 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उपरोक्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा, अनपरा में अघोषित बिजली कटौती रोकने की जानकारी

128-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र ओबरा, जनपद सोनभद्र में विद्युत कटौती से जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ओबरा, अनपरा में बिजली की घोषित कटौती की निर्धारित समय सीमा क्या है ? क्या सरकार अघोषित बिजली कटौती को रोकने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जनपद सोनभद्र के ओबरा नगर में 16.00 घण्टे के विद्युत आपूर्ति का शिड्यूल निर्धारित है। माह अक्टूबर, 2012 में औसतन 15.00 घंटे तथा माह नवम्बर, 2012 में औसतन 15.30 घंटे विद्युत आपूर्ति की गई है।

अनपरा नगर में 20.00 घंटे के विद्युत आपूर्ति का शिड्यूल निर्धारित है, जिसके सापेक्ष माह अक्टूबर, 2012 में औसतन 19.10 घंटे तथा माह नवम्बर, 2012 में औसतन 19.30 घंटे की विद्युत आपूर्ति की गयी है।

उपरोक्तानुसार निर्धारित शिड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है, किन्तु राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा एवं स्थानीय व्यवधान के कारण कभी-कभी विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण करवाये जाने की मांग

129-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र ओबरा, जनपद सोनभद्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पूर्ण रूप से विद्युतीकरण दिखा दिया गया है जबकि आज भी काफी गांव/टोले विद्युतीकरण से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर वंचित गांवों का विद्युतीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के प्रथम चरण में चोपन विकास खण्ड के 20 ग्राम एवं म्योरपुर विकास खण्ड के 19 राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया था। उपरोक्तानुसार दोनों विकास खण्डों में कोई भी राजस्व ग्राम अविद्युतीकृत नहीं है।

राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 से उपर की आबादी वाले ग्राम/मजरों को विद्युतीकरण किये जाने के दिशा निर्देश हैं। 300 से अधिक आबादी वाले विकास खण्ड चोपन के 159 एवं विकास खण्ड म्योरपुर के 80 मजरों को विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित कर, डी0पी0आर0 में सम्मिलित कर लिया गया है। 300 से कम आबादी वाले अवशेष चोपन विकास खण्ड के 42 एवं म्योरपुर विकास खण्ड के 41 मजरों का विद्युतीकरण दिशा निर्देशों के अनुसार वर्तमान में सम्भव नहीं है।

300 से अधिक आबादी वाले 239 मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण की प्रेषित डी0पी0आर0 मैसर्स आर0ई0सी0 नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने एवं धन अवमुक्त होने के उपरान्त सम्भव है।

300 से कम आबादी वाले अवशेष 83 मजरों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत भविष्य में उक्त योजना लागू होने पर संभावित हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न व अन्य सामग्री के वितरण की योजना

130-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुँचाने के लिए सरकार ने कोई नई कारगर योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं।

जी हां।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न व अन्य सामग्री के वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सामग्री के उठान की त्रिस्तरीय चेकिंग के साथ ही पूर्व प्रचारित व निर्धारित कैम्प तिथि में पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में सामग्री वितरण की व्यवस्था है। भारतीय खाद्य निगम गोदाम से ब्लाक गोदाम तक खाद्यान्न पहुंचने की व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव, चिरगांव व बबीना के चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक की तैनाती की जानकारी

131-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव, चिरगांव व बबीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला डाक्टरों की नियुक्ति न होने के कारण क्षेत्रीय महिलाओं को प्रसूति के समय में जिला चिकित्सालय भेजना पड़ता है जो अत्यधिक दूर होने के कारण कई बार रास्ते में ही जच्चा-बच्चा दोनों की मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में महिला डाक्टरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद-झांसी के विकास खण्ड, बड़ागांव व बबीना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना है। इन केन्द्रों में महिला चिकित्साधिकारी के पदों का सृजन है, जिनमें क्रमशः डा0 संघमित्रा व डा0 कुमुदबाला गौतम, कु0 निशा बुन्देला महिला चिकित्सक तैनात हैं। विकास खण्ड, चिरगांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। इस केन्द्र पर महिला चिकित्सक का पद सृजित नहीं है। शासन की नीति के अनुसार इस केन्द्र को उच्चीकृत किया जाना प्रस्तावित है। एन0एच0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत 24 घण्टे प्रसव सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरगांव में संविदा महिला आयुष चिकित्सक की तैनाती की गयी है। इस प्रकार सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर महिला चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत सिमराधा बांध में रिपलवे का कार्य करवाये जाने की जानकारी

132-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत सिमराधा बांध व सुकवाँ-ढुकवाँ बांध का उच्चीकरण किये जाने के कारण किसानों की जमीन एवं फसल डूब जाती है ? यदि हां, तो किसानों को उनकी फसल नष्ट होने का मुआवजा सरकार देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

सिमराधा/पहूंज बांध का निर्माण 1909 में करवाया गया था। पहूंज बांध 100 वर्षों से अधिक पुराना होने के कारण इसका उच्चीकरण का कार्य प्रस्तावित है। अभी तक इस परियोजना में रिपलवे का कार्य प्रगति में है, जबकि बांध के उच्चीकरण कार्य नहीं करवाया गया है। सुकवां ढुकवां बांध पर कोई उच्चीकरण का कार्य प्रस्तावित नहीं है। अतः किसानों की जमीन एवं फसल डूबने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के 12 साधन सहकारी समितियों में सचिव की नियुक्ति न होने का कथित प्रकरण

133-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के 12 साधन सहकारी समितियों पर सचिव की नियुक्ति न होने के कारण क्षेत्रीय जनता एवं किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त साधन सहकारी समितियों पर सचिवों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र में कुल 18 साधन सहकारी समितियां हैं। इनमें से 04 साधन सहकारी समितियों में कैडर सचिव कार्यरत हैं। कैडर सचिव की व्यवस्था समाप्त हो जाने के फलस्वरूप शेष 13 साधन सहकारी समितियों में समिति कर्मचारी ही सचिव पद पर कार्यरत हैं। 01 समिति परिसमापन के अन्तर्गत हैं जिसमें सचिव की व्यवस्था नहीं होनी है। इस प्रकार सभी साधन सहकारी समितियों में सचिव कार्यरत हैं तथा क्षेत्रीय जनता एवं किसानों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के जिला चिकित्सालय कैली तक आने-जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

134-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय बस्ती से 500 शैय्या युक्त ओपेक चिकित्सालय कैली तक आने जाने वाला मार्ग गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोगियों एवं यात्रियों की सुविधा हेतु उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में सामान्य राशन कार्ड धारकों की संख्या के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध करने की जानकारी

135-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबों को अनुमन्य सस्ता गल्ला, तेल, शक्कर आदि की कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो

क्यों ? क्या सरकार शाहजहांपुर में बढ़ती हुई आबादी व सामान्य राशन कार्डों की संख्या के अनुरूप खाद्यान्न उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए 106.79 लाख बी0पी0एल0 परिवारों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें बी0पी0एल0 श्रेणी के 65,84,500 तथा अन्त्योदय श्रेणी के 40,94,500 राशन कार्डों के लक्ष्य के सापेक्ष जनपदों का लक्ष्य निर्धारित है । ए0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए खाद्यान्न का आवंटन निर्धारित किया जाता है। इस लक्ष्य में कोई भी वृद्धि प्रदेश सरकार के स्तर से सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री को प्राप्त पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

136-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन के ग्राम सभा कनहरा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सरकारी मिट्टी तेल एवं गल्ले) की दुकान के कोटेदार द्वारा ए0पी0एल0/बी0पी0एल0/ अन्त्योदय कार्ड धारकों को खाद्यान्न तथा मिट्टी का तेल न दिये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र क्रमांक 42/वि0ओ0/11-06-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी हां।

विक्रेता के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्र की जांच में पायी गयी अनियमितता के फलस्वरूप उप जिलाधिकारी राबर्ट्सगंज के आदेश संख्या-667/उप जिला0/प्रर्वतन/आपूर्ति-2012, दिनांक 18-10-2012 द्वारा श्रीमती निर्मला देवी, उचित दर विक्रेता, ग्राम पंचायत कनहरा, विकास खण्ड चोपन की दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-म्योरपुर के ग्राम परासी नयी बस्ती में विद्युत फेल व तार लगाये जाने की जानकारी

137-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड-म्योरपुर के ग्राम परासी, नई बस्ती में बिजली के पोल एवम् तार लगाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-39/वि0ओ0 दिनांक 11-06-12 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

विकास खण्ड म्योरपुर के ग्राम परासी नयी बस्ती में विद्युत पोल गड़े हैं एवम् पोलों पर ए0बी0सी0 कण्डक्टर डालकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय ग्रामों में सिंचाई हेतु नलकूप के निर्माण कराये जाने की मांग

138-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में सिंचाई का घोर संकट होने के कारण किसानों को सिंचाई हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड बबीना एवं चिरगांव के मुराटा-दवरा बुजुर्ग रमपुरा खड़ैया, पुलगहना, पुलिया आदि स्थानों पर नलकूप की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

विकास खण्ड बबीना में भू-गर्भीय कारणों से राजकीय नलकूप निर्माण साध्यता दुरुह होने के कारण नलकूप निर्माण नहीं हो पाता है। विकास खण्ड चिरगांव के इंगित ग्राम पुलगहना में पूर्व से ही 02 राजकीय नलकूप सिंचाईरत हैं। शेष ग्रामों में साध्यता परीक्षण में अनुकूलता पाये जाने पर नलकूप निर्माण सम्भव हो सकेगा।

वर्णित ग्रामों में भू-गर्भीय साध्यता की तकनीकी अनुकूलता पर निर्णय किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के ग्रामों/पुरवों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण योजना पूर्ण करने केन्द्र सरकार को भेजे जाने की सूचना की जानकारी

139-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-92 के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच के 300 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों/पुरवों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज-2 में कराने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 13,05,013 लाख रुपये के परिव्यय की परियोजना को निगरानी समिति की बैठक में दिनांक 19-12-2011 को मन्जूरी प्रदान की गई है ? यदि हां? तो क्या उक्त कार्य को कराने के लिए सरकार ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी करके केन्द्र सरकार को भेज दिया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद बहराइच के 300 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों/पुरवों के विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 13050.13 लाख रुपये की स्वीकृति हो गयी है।

उक्त कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित कर ली गयी हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यदायी संस्था को कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त, धन निर्गत किया जाता है। अतः कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सूचित कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, बहराइच, रुपईडीहा राष्ट्रीय राजमार्ग का सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण कराने की मांग

140-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, बहराइच, रूपईडीहा राष्ट्रीय राजमार्ग 28 सी के सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण करने सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रदेश सरकार भारत सरकार को भेजेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। इस मार्ग के स्वामित्व की कार्यवाही केन्द्र सरकार के गजट दिनांक 5-10-2012 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के ब्लाक मुख्यालय से गांव रसूलपुर जाने वाले मार्ग को बनवाने की मांग

141-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड मिर्जापुर के ब्लाक मुख्यालय से ढाई मार्ग पर रामपाल के भट्ठे से गांव रसूलपुर जाने का मार्ग अत्यन्त जर्जर व गढ्ढों से युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, यह एक कच्चा मार्ग है।

कुल लम्बाई 2.50 कि0मी0 के सापेक्ष प्रारम्भ से 550 मी0 का भाग जिला योजना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के गांव भर्रा के जर्जर लाइन को सही करवाने की जानकारी

142-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के गांव भर्रा मई में विद्युतीकरण होते हुये भी जर्जर लाइनों के कारण ग्रामवासियों को विद्युत सप्लाई नहीं मिल

पा रही है जबकि विद्युत बिल लगातार आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर लाइन सही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

12 जून, 2011 को आये आंधी-तूफान में ग्राम भर्रा मई के 10 खम्भे टूट गये थे, जिसके ठीक कराने हेतु रु0 2.50 लाख का प्राक्कलन स्वीकृत है। उक्त कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा।

नियमानुसार बिल संशोधन की कार्यवाही की जायेगी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में हुई आगजनी की जांच

143-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह नवम्बर/दिसम्बर, 2003 के मध्य लखनऊ स्थित रानी लक्ष्मी बाई अस्पताल में आगजनी की घटना में अस्पताल के स्टोर में रखा गया सामान एवं रिकार्ड जलकर नष्ट हो गया था ? यदि हां, तो क्या इस घटना की एफ0आई0आर0 करायी गयी थी ? यदि नहीं, तो इसके लिये दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठ चिकित्साधिकारी से जांच करायी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के ग्राम ढ़ड़वल एवं ग्राम मझौवां का विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

144-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम ढ़ड़वल एवं ग्राम मझौवां अनुसूचित जाति बस्तियों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम ढ़ड़वल एवं ग्राम मझौवां अनुसूचित जाति बस्तियां राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आच्छादित हैं तथा डी0पी0आर0 में सम्मिलित हैं। डी0पी0आर0 मैसर्स आर0ई0सी0 नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

मैसर्स आर0ई0सी0 से उपरोक्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्राप्त होने एवं धन अवमुक्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के ग्राम परसिया, जैराम गिरी में ट्रान्सफार्मर लगवाने की जानकारी

145-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर, मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम परसिया जैराम गिरी अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण एवं वहां पर 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उपरोक्त कार्य राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर लिया गया है। योजना स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता प्राप्त होने के उपरान्त कार्य करना संभव हो पायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ग्राम फतहपुर में विद्युत ट्रान्सफार्मर से डा0 नसीर के घर तक जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने की जानकारी

146-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम फतहपुर में विद्युत ट्रान्सफार्मर से डा0 नसीर के घर तक विद्युत तार अत्यन्त जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो उक्त विद्युत तारों को कब तक बदला जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद-मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम-फतहपुर में विद्युत ट्रांसफार्मर से डा0 नसीर के घर तक विद्युत तार बदलने हेतु वर्ष 2012-13 में बिजनेस प्लान के अन्तर्गत प्राक्कलन बनाया गया है।

बिजनेस प्लान के अन्तर्गत धन की उपलब्धता होने के उपरान्त तीन माह के अन्दर जर्जर तार बदल दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मऊ के ब्लाक बड़राव के ग्राम सरवरसपुर का विद्युतीकरण कराने की जानकारी

147-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक बड़राव के अन्तर्गत ग्राम सरवरसपुर अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के बड़रांव के अन्तर्गत ग्राम सरवरसपुर अनुसूचित जाति बस्ती विद्युतीकरण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आच्छादित है तथा डी0पी0आर0 में सम्मिलित है । डी0पी0आर0 मैसर्स आर0ई0सी0 नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

मैसर्स आर0ई0सी0 से उपरोक्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्राप्त होने एवं धन अवमुक्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के ग्राम करौदी नरायनपुर दक्षिणी का विद्युतीकरण एवं ट्रान्सफार्मर लगवाने की मांग

148-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के अन्तर्गत ग्राम करौदी नरायनपुर दक्षिणी अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण एवं वहां पर 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के अन्तर्गत ग्राम करौंदी, नरायनपुर दक्षिणी अनुसूचित जाति बस्ती का विद्युतीकरण एवं वहां पर 25 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर लगाने के कार्य को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त विद्युतीकरण एवं ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य कराना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओवरा विधान सभा क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के तैनाती की मांग

149-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने सरकारी अस्पताल हैं ? क्या उनमें मानक के अनुरूप चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी तैनात है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अस्पतालों में मानक के अनुरूप चिकित्सकों तथा अन्य कर्मचारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

09 सरकारी अस्पताल हैं। मानक के अनुरूप चिकित्सक तैनात नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सकों के पदों पर चयन की कार्यवाही की जाती है। आयोग द्वारा गत चयनों में अधियाचन के सापेक्ष कम चिकित्सकों का चयन किया गया, जिसके फलस्वरूप चिकित्सक संवर्ग में रिक्तियां हैं। आयोग से रिक्त पदों के सापेक्ष चिकित्सकों के चयन के उपरान्त ही मानक के अनुरूप चिकित्सालयों में समस्त रिक्त पदों पर नियुक्ति सम्भव हो सकेगी।

जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर के वार्ड नं0 1 पूर्वी परासी शारदा मन्दिर में विद्युत आपूर्ति

150-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा के म्योरपुर विकास खण्ड के वार्ड नं0-1 पूर्वी परासी शारदा मन्दिर अनपरा में गड़े विद्युत पोलों पर तार खींचकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 19/वी0ओ0/दिनांक 01-06-12 अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड पिपरी, जनपद सोनभद्र को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड म्योरपुर के वार्ड नं0-1 पूर्वी परासी शारदा मन्दिर, अनपरा में पूर्व से ही ए0बी0सी0 कण्डक्टर द्वारा विद्युत आपूर्ति हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मिर्जापुर मण्डल के अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने एवं चिकित्सकों आदि की मांग

151-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर मण्डल मे कितनी जनसंख्या पर सरकारी अस्पतालों में एक बेड औसतन उपलब्ध है एवं मानक के अनुरूप कितने व्यक्ति पर एक बेड औसतन होना चाहिये ? क्या सरकार मिरजापुर मण्डल के अस्पतालों में मानक के अनुरूप बेडों की संख्या बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद मिर्जापुर की कुल जनसंख्या 2494533 के सापेक्ष मिर्जापुर के सरकारी अस्पतालों में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन 322, जिला चिकित्सालय 155, महिला चिकित्सालय 60 बेड उपलब्ध हैं। जनपद सोनभद्र में कुल जनसंख्या-1862612 के सापेक्ष सोनभद्र के सरकारी अस्पतालों में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन 112 जिला चिकित्सालय में 100 बेड उपलब्ध हैं। संतरविदास नगर (भदोही) की कुल जनसंख्या-1554203 के सापेक्ष सरकारी अस्पतालों में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन 112 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अधीन 100 एम0बी0एस0 चिकित्सालय में 40 बेड उपलब्ध हैं। सरकारी चिकित्सालयों में व्यक्तियों के संख्या के आधार पर बेडों की संख्या का कोई विभागीय मानक निर्धारित नहीं है। मिर्जापुर मण्डल के अस्पतालों में आवश्यकतानुसार बेडों की संख्या बढ़ाया जाना विशेषज्ञ चिकित्सकों/तकनीकी मानव संसाधनों एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में सब स्टेशन के विस्तार की मांग

152-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र में 33 के0वी0ए0 के कुल कितने सब-स्टेशन बने हैं ? क्या सरकार उक्त सब-स्टेशनों का विस्तार करके 120 के0वी0ए0 के सब-स्टेशन बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद-सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 04 नग 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र स्थित है।

जी नहीं।

120 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन तकनीकी कारणों से प्रचलन में नहीं है।

132 के0वी0ए0 का सब-स्टेशन तकनीकी रूप से प्रचलन में है। ओबरा विधान सभा क्षेत्र में कोई भी नया 132 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण अथवा क्षमता वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में सम्बन्धित 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र, डाला अतिभारित नहीं है।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के कतिपय मुहल्लों/कालोनियों में विद्युत पोल लगवाने की जानकारी

153-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी के कौन-कौन मुहल्ले/ कालोनियाँ विद्युतीकृत नहीं हैं एवं किन-किन मुहल्लों/कालोनियों में विद्युत तार बांस बल्लियों पर लगाये गये हैं ? क्या सरकार डण्डों, बांसों तथा झुके हुये विद्युत पोलों को हटाकर नये पोल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा लोनी क्षेत्र में आने वाली कालोनियों जैसे-इन्द्रापुरी डी-ब्लाक, सी-ब्लाक, लाल बाग सी-ब्लाक, राहुल गार्डेन, संगम विहार, सरल कुंज, सरस्वती विहार, न्यू विकास नगर, राजीव गार्डन, सुनीता विहार, बागराणप, संतोशी विहार, मधुवन, अमर विहार, पूजा कालोनी, पानी, बेहटा, जवाहर नगर, गुलाब वाटिका, नसीब विहार, पुनीत इन्कलेव, चर्च कालोनी, खुराना इन्कलेव, निशान्त इन्कलेव, राजधानी कालोनी, सिल्वर सिटी, राधेश्याम पार्क, खुशल पार्क, शिव विहार, ग्रीन सिटी राम बाग, वसीम पार्क, कासिम विहार शंकर इन्कलेव, चमन विहार, राजपुरी इत्यादि कालोनियों के आंशिक हिस्सों में केबिल द्वारा विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। कई स्थानों पर बांस-बल्ली भी वहां के निवासियों द्वारा लगाये गये हैं। आवासीय कालोनियों के विद्युतीकरण का कार्य विकासकर्ता द्वारा कराये जाने का प्रावधान है, जो नहीं कराया गया है।

यदि उस कालोनी के निवासियों द्वारा आवंटित प्लाट की एरिया के अनुरूप विभागीय प्राक्कलन का पैसा जमा किया जाता है, तो विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत पोल तथा ट्रान्सफार्मर लगवाने विषयक-पत्र

154-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के अशोक नगर दक्षिणी में विद्युत पोल गाड़े जाने तथा शिवापुरम् कालोनी में ट्रान्सफार्मर लगाने विषयक संलग्नकों सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-4 नं0 347523 दिनांक 18-07-2012 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

गोरखपुर महानगर के अशोक नगर दक्षिणी में विद्युत पोल गाड़े जाने तथा शिवापुरम कालोनी में ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य विकास संबंधित कार्य के अन्तर्गत है, जो नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत होने के कारण उनके द्वारा कराया जाना आपेक्षित है। यदि नगर निगम इस कार्य हेतु धन उपलब्ध कराता है, तो विद्युत विभाग द्वारा कार्य तत्काल करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में निरस्त उचित दर की दुकानें व स्थगन आदेश

155-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा, में नायब तहसीलदार की आख्या पर वर्ष 2012 में कितने कोटे निरस्त हुये और कितने सक्षम न्यायालय से स्थगन/पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुये हैं ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में वर्ष 2012 में कुल सात उचित दर विक्रेताओं के अनुबन्ध पत्र नायब तहसीलदार की आख्या के आधार पर निरस्त किये गये हैं, जिसमें से दो उचित दर विक्रेताओं के पद्वा में सक्षम न्यायालय से स्थगन/पुनर्विचार हेतु आदेश प्राप्त हुए हैं।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के ग्रामों व मजरों के विद्युतीकरण की मांग

156-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के कुल कितने ग्रामों व मजरों में विद्युतीकरण हो चुका है एवं कितने वंचित हैं ? क्या सरकार वंचित ग्रामों एवं मजरों का विद्युतीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद-सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड चोपन के कुल 93 ग्रामों में निहित 145 मजरों एवं विकास खण्ड म्योरपुर के कुल 116 ग्रामों में निहित 154 मजरों का विद्युतीकरण कराया जा चुका है। उपरोक्तानुसार दोनों विकास खण्डों में कोई भी राजस्व ग्राम

अविद्युतीकृत नहीं है। वर्तमान में विकास खण्ड चोपन के 201 तथा विकास खण्ड म्योरपुर के 121 मजरों का विद्युतीकरण कराय जाना अवशेष है।

उपरोक्त अवशेष मजरों विकास खण्ड चोपन के 159 एवं विकास खण्ड म्योरपुर के 80 (कुल 239) मजरों की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 से अधिक है एवं विकास खण्ड चोपन के 42 एवं विकास खण्ड म्योरपुर के 41 (कुल 83) की आबादी 300 से कम है।

300 से अधिक आबादी वाले 239 मजरों के विद्युतीकरण को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित करते हुए डी0पी0आर0 मेसर्स आर0ई0सी0, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

300 से कम आबादी वाले अवशेष 83 मजरों का विद्युतीकरण दिशा निर्देश के अनुसार वर्तमान में सम्भ्व नहीं है।

300 से अधिक आबादी वाले 239 मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण की प्रेषित डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धन प्राप्त होने के उपरान्त सम्भव होगा।

300 से कम आबादी वाल अवशेष 83 मजरों का विद्युतीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत उक्त योजना लागू होने पर सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

157-श्री जय प्रकाश अंचल-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्रश्न सं0-28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दवाओं के उपलब्ध होने की जानकारी

158-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत प्रा0 स्वा0 केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक दवाओं का अभाव होने के कारण मरीजों को सही रूप से दवायें नहीं मिल पा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार दवायें उपलब्ध कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा मरीजों को आवश्यकतानुसार दवाएं वितरित की जा रही हैं।

पर्याप्त मात्रा में दवायें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जय प्रकाश नगर, सोनबरसा व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर में एक्स-रे व अन्य जांच उपकरण क्रियाशील होने की जानकारी

159-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जय प्रकाश नगर, सोनबरसा व सामु0 स्वा0 केन्द्र सीयर में एक्स-रे अन्य जांच उपकरण न होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों केन्द्रों पर एक्स-रे व अन्य जांच उपकरण उपलब्ध कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जय प्रकाश नगर की स्थापना शासनादेश दिनांक 6-9-12 द्वारा की गयी है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य अभी पूरा न होने के कारण निर्माण एजेन्सी (उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, वाराणसी के द्वारा विभाग को हस्तगत नहीं हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनबरसा की एक्स-रे मशीन मरम्मत के उपरान्त क्रियाशील है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर पर एक्स-रे मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है। साथी ही सोनबरसा व सीयर में अन्य जांच संबंधी उपकरण उपलब्ध व क्रियाशील है। इस प्रकार स्थानीय लोगों को कोई असुविधा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में वित्तीय वर्ष में कराये गये कार्यों का विवरण

160-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बहराइच मे वित्तीय वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 में लो0नि0वि0 को कुल कितना धन आवंटित हुआ था तथा उसके सापेक्ष विधान सभा क्षेत्रवार कौन-कौन सी सड़कों, पुल/पुलिया का निर्माण तथा मरम्मत कार्य कराया गया तथा उसमें कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद-बहराइच में वित्तीय वर्ष 2010-11 में कुल रु0 8042.65 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल रु0 4445.72 लाख की धनराशि का 3.57 लाख भुगतान लो0नि0वि0 को किया गया था। वर्ष 2010-11 में रु0 8042.65 लाख तथा 2011-12 में रु0 4445.72 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

उक्त आवंटन के सापेक्ष निर्मित/मरम्मत कराये गये सड़कों, पुल/पुलिया की विधान सभा क्षेत्रवार सूची संलग्न है।[†]

उपरोक्तानुसार।

[†] छापी नहीं गयी।

लखनऊ-बहराइच रोड की रेलवे क्रासिंगों पर उपरिगामी सेतु के निर्माण की मांग

161-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-2 के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे लखनऊ-बहराइच सड़क मार्ग पर पड़ने वाले रेलवे क्रासिंगों रामनगर, जरवल, घाघरा घाट, चौकाघाट के रेलवे क्रांसिंगों पर उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु प्रदेश सरकार अपना प्रस्ताव भारत सरकार को भेजेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैकों में संविलयन करने की मांग

162-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक में संविलयन करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से कोई निर्देश संविलयन हेतु नहीं है।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने की जानकारी

163-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम पदारतपुर अनु0 बस्ती, टमसा इस्लामिया पुरा, तिनहरी अनु0 बस्ती, इनामीपुर परियाबाद, कुन्तुपुर धनेवा, काठतरॉव अनु0 बस्ती, ग्राम सभा उफरौली मौजा चक गोपाल एवं ग्राम मोलनापुर मिश्रौली आदि ग्रामों का विद्युतीकरण एवं उक्त ग्रामों मे 25 के0वी0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मंडाव के अन्तर्गत ग्राम पदारतपुर अनुसूचित बस्ती टमसा इस्लामियापुरा, तिन्हारी अनुसूचित बस्ती, इनामीपुर, परियाबाद, कुन्तुपुर धनेवाद, काठतरॉव अनुसूचित बस्ती ग्राम सभा उफरौली मौजा चक गोपाल एवं ग्राम मोलनापुर मिश्रौली आदि ग्राम/मजरें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आच्छादित हैं तथा डी0पी0आर0 में सम्मिलित है। डी0पी0आर0 मेसर्स आर0ई0सी0 नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

मैसर्स आर0ई0सी0 से उपरोक्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्राप्त होने एवं धन अवमुक्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक घोसी के ग्राम मुरारपुर राजभर बस्ती का विद्युतीकरण कराने की जानकारी

164-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक घोसी के अन्तर्गत ग्राम मुरारपुर राजभर बस्ती का विद्युतीकरण एवं 25 के0वी0 विद्युत ट्रान्सफार्मर लगवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के ब्लाक घोसी के अन्तर्गत ग्राम मुरारपुर राजभर बस्ती का विद्युतीकरण एवं वहां पर 25 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर लगाने के कार्य को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त विद्युतीकरण एवं ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य कराना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम धर्मपुर विशुनपुर मौजा लिलहवा का विद्युतीकरण करवाये जाने की जानकारी

165-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम धर्मपुर विशुनपुर मौजा लिलहवा अनु0 बस्ती का विद्युतीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम धर्मपुर, विशुनपुर मौजा, लिलहवा अनुसूचित बस्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत आच्छादित है तथा डी0पी0आर0 में सम्मिलित हैं। डी0पी0आर0 मैसर्स आर0ई0सी0 नई दिल्ली को स्वीकृत हेतु प्रेषित की जा चुकी है।

मैसर्स आर0ई0सी0 से उपरोक्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्राप्त होने एवं धन अवमुक्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरीघाट के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण, डबल फेस लाइन करवाये जाने की जानकारी

166-श्री उमेश पाण्डेय

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक दोहरी घाट के ग्राम मु0 सिपाह अनु0 बस्ती दक्षिणी का विद्युतीकरण एवं ग्राम दोस्तपुर जजौली मन्दिर से गांव तक डबल फेस लाइन लगायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद मऊ के ब्लाक दोहरीघाट के ग्राम मु0 सिपाह अनसूचित बस्ती दक्षिणी का विद्युतीकरण एवं ग्राम दोस्तपुर जजौली मन्दिर से गांव तक डबल फेस लाइन डालने के कार्य को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित कर डी0पी0आर0 भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त उपरोक्त विद्युतीकरण का कार्य कराना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के ग्राम मारूफपुर राम बनारस शुक्ल (पूर्व प्रधानाचार्य) के ट्यूबवेल तक विद्युतीकरण की मांग

167-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम मारूफपुर में राम बनारस शुक्ल (पूर्व प्रधानाचार्य) के ट्यूबवेल तक विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मऊ के ब्लाक फतहपुर मण्डाव के अन्तर्गत ग्राम मारूफपुर में राम बनारस शुक्ल (पूर्व प्रधानाचार्य) के ट्यूबवेल तक विद्युतीकरण का कार्य करने हेतु वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

जनपद झांसी के कतिपय विकास खण्डों में पालीटेक्निक एवं आई0टी0आई0 खोले जाने की मांग

168-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के तीन असेवित विकास खण्डों (चिरगांव, बबीना, बड़ागांव) में ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक, तकनीकी शिक्षा व्यवस्था के लिए बजट 2012-13 में घोषित योजनान्तर्गत क्या सरकार पॉलीटेक्निक एवं आई0टी0आई0 कालेज खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला मुख्यालय झांसी में पूर्व से ही एक परिसर में छात्र-छात्राओं के लिए एक-एक राजकीय पालीटेक्निक संचालित हैं। इन तीन विकास खण्डों में वर्ष 2012-13 में पालीटेक्निक खोला जाना प्रस्तावित नहीं है जनपद झांसी में वर्तमान में कुल 10 (05 राजकीय और 05 निजी) राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। वर्ष 2012-13 में नये आई0टी0आई0 की स्थापना हेतु चिन्हान्कन अभी नहीं किया गया है।

जनपद ललितपुर के ग्राम पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की मांग

169-श्री फेरन लाल-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के अन्तर्गत ब्लाक पाली में एक नगर पंचायत के साथ-साथ 250 गांवों में लगभग 1 लाख की आबादी है जिसमें कोई भी अस्पताल नहीं है, जिससे क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पाली में अस्पताल की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद ललितपुर में नगर पंचायत पाली, ब्लाक विरधा के अन्तर्गत आता है। नगर पंचायत पाली की आबादी 12 हजार है एवं पाली के आस-पास के गांवों की आबादी लगभग 50 हजार है। पाली नगर पंचायत जिला मुख्यालय से 25 कि0मी0 दूरी पर स्थित है। पाली से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विरधा की दूरी 11 कि0मी0 है। नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बालवेहटा व ड़ोगराकलां क्रमशः 22 कि0मी0 व 13 की दूरी पर स्थित है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध हैं। वर्तमान में वर्ष 1991 की जनगणना के आधर पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 सामान्य जनसंख्या पर उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में जनपद ललितपुर के ग्राम पाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी की सोर नदी पर पुल के निर्माण की मांग

170-श्री फेरन लाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी के अन्तर्गत ग्राम वाला बेहट दसान व सोर नदी के समीप बसा होने के कारण दोनों नदियों में बाढ़ आने से इन गांवों का आवागमन महीनों तक बाधित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार सोर नदी पर पुल का निर्माण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर से यडावरा मार्ग का चौड़करण करवाये जाने की मांग

171-श्री फेरन लाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र महरौनी के अन्तर्गत ललितपुर से यडावरा तक एकल मार्ग होने की वजह से बरसात में अक्सर जाम के कारण दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के महानगर के चाणक्यपुरी में ट्रान्सफार्मर लगवाने की जानकारी

172-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के चाणक्यपुरी में ट्रान्सफार्मर लगाये जाने से सम्बन्धित संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्रांक क-4 नं0 347523, दिनांक 18-07-12 आपको प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

गोरखपुर महानगर की चाणक्यपुरी एक प्राइवेट कालोनी है, जिसका विद्युत संबंधी विकास कार्य गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना अपेक्षित है। नगर निगम द्वारा विद्युत संबंधी कार्य हेतु धन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में प्रश्नगत ट्रांसफार्मर की स्थापना का कार्य तत्काल करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रोगियों को निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने की जानकारी

173-श्री मनीष असीजा-

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गम्भीर रूप से बीमार रोगियों को जिला अस्पताल में इलाज न हो पाने के कारण बड़े अस्पताल में रिफर करने की दशा में निःशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

प्रदेश के बी0पी0एल0 कार्ड धारक रोगियों को जिला चिकित्सालय से बड़े चिकित्सालयों में रिफर करने के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था है तथा अन्य रोगियों को जिला चिकित्सालय से बड़ें अस्पतालों में रिफर करने की दशा में रु0 5.00 प्रति कि0मी0 की दर निर्धारित करते हुए न्यूनतम रु0 50.00 लिये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश की अर्थोपाय नीति के दृष्टिगत सभी रोगियों को निःशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का औचित्य नहीं है।

प्रदेश में वनों की भूमि पर खेती करने वाले किसानों को उस पर खेती करने का अधिकार देने की मांग

174-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वनों के किनारे 30-40 वर्षों से कृषि कार्य कर रहे किसानों को उस भूमि पर खेती करने का अधिकार देने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों को वनों के किनारे वन भूमि पर खेती करने का अधिकार देने हेतु कोई विधिक व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश में फुंके/क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मरों को बदले जाने की जानकारी

175-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत के फुंके ट्रांसफार्मरों के बदलने तथा बड़ी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने की क्या नीति है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 2007 से 2011 तक कुल कितने ट्रांसफार्मर प्रदेश में फुंके एवं इसके लिये दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शहरी क्षेत्रों के खराब/क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 24 घण्टे के अन्दर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खराब/क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को 72 घण्टे के अन्दर बदले जाने का प्राविधान है। अधिकांश ट्रांसफार्मर इस अवधि में बदल दिये जाते हैं। बड़ी क्षमता वाले ट्रांसफार्मर क्षेत्र में विद्युत भार की बढ़ोत्तरी एवं नये संयोजनों को संयोजित करने इत्यादि कारणों से लगाये जाते हैं।

वर्ष 2007 से 2011 तक कुल 3,41,921 नग वितरण ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं।

अधिकांश परिवर्तक अधिभारिता, दैवीय आपदा, (आंधी, अत्यधिक वर्षा, आकाशीय बिजली एवं आन्तरिक दोषों के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में लोक निर्माण विभाग, खण्ड-2 के अधिशासी अभियन्ता के प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

176-श्री जाकिर अली-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र लोनी में सादुल्लाबाद सभापुर पुश्ता चौकी तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-07-2012, अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, खण्ड-02, जनपद गाजियाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पत्र में अंकित क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत/सुधार का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद लोनी के मुहल्ला सलाहनगर, विकास नगर वार्ड में खम्भे लगवाने एवं लाइनों को ठीक करवाने की जानकारी

177-श्री जाकिर अली-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद लोनी के मुहल्ला सलाहनगर, विकास नगर वार्ड में जर्जर खम्भों पर तार खींचने तथा मानक से अधिक दूरी पर खम्भे लगाये जाने के कारण केबल लाइन खम्भे से काफी नीचे लटके होने से दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-07-12 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-लोनी, गाजियाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त लाइन को ठीक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद गाजियाबाद के लोनी के मुहल्ला सलाहनगर विकास नगर वार्ड में एल्युमूनियम कन्डक्टर हटाकर एरियल बन्च कन्डक्टर लगा दिया गया तथा जिन स्थानों पर एरियल बन्च कन्डक्टर ज्यादा नीचे हैं उन्हें चिन्हित कर लिया गया है।

जी हां।

खम्भे लगाने एवं लाइनों को ठीक सम्बन्धी कार्य की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। प्रश्नगत कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम घुसगवां का विद्युतीकरण कराने की जानकारी

178-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में ग्रामों के (पुरवों) मजरों आंशिक रूप से विद्युतीकरण ग्रामों तथा अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? जनपद शाहजहांपुर के ग्राम घुसगवां का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत 300 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत/आंशिक विद्युतीकृत ग्राम एवं मजरों का सघन विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

जनपद शाहजहांपुर का ग्राम घुसगवां का विद्युतीकृत है, परन्तु उसका मजरा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में स्वीकृत डीपीआर में सम्मिलित है। भारत सरकार से धन प्राप्त होने के उपरान्त मजरे का विद्युतीकरण सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर में विद्युत पोलों की मरम्मत कराने की जानकारी

179-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर नगर में विद्युत के पोल नीचे से गल जाने के कारण दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार पोल नम्बर एच0 आर0 आर0 टी0 टू-11 बी2-जी0ए0 461 मो0 ख्वाजा फिरोज नई बस्ती सहित सभी क्षतिग्रस्त पोलों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत् पोल नं0-एच0आर0आर0टी0टू0-11, बी02-जी0ए0 461, मो0 ख्वाजा फिरोज नई बस्ती में पोल बैल्डिंग कराकर ठीक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसी क्षेत्र के लगभग 6 अन्य क्षतिग्रस्त पोलों के मरम्मत का कार्य करा दिया गया है।

जनपद लखीमपुर खीरी के राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार खोले जाने की जानकारी

180-श्री अजय मिश्र 'टेनी'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय पार्क में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाने हेतु बेलरॉयां वि0स0 क्षेत्र निघासन, जनपद लखीमपुर खीरी में पर्यटकों हेतु प्रवेश द्वार शुरू करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह योजना कब तक शुरू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा भारत सरकार के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सीमित पर्यटन की अनुमन्यता के दृष्टिगत प्रवेश द्वार नहीं खोला जा सकता है।

जनपद शाहजहांपुर भावलखेड़ा व ददरौल ब्लाक में निजी नलकूपों के संयोजन की योजना

181-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में पिछले एक वर्ष से कितने लोगों ने 200/- रु0 जमा करके भावलखेड़ा व ददरौल ब्लाक में निजी नलकूप के कनेक्शन हेतु आवेदन किया है ? यदि हां, तो उक्त आवेदन पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

भावलखेड़ा व ददरौल ब्लाक में निजी नलकूपों के संयोजन हेतु 200 रु0 जमा करके वर्ष 2011-12 में 109 एवं वर्ष 2012-13 में 30-08-2012 तक 83 भावी उपभोक्ताओं ने आवेदन किया है।

निजी नलकूपों के संयोजन सामान्य योजना के अन्तर्गत शासन से रु0 68000.00 प्रति नलकूप के अनुदान प्राप्त होने पर प्रथम आवत प्रथम पावत की नीति के अनुसार प्रदान किये जाते हैं।

पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता द्वारा परिवर्तक व लाइन व्यय जमा करने पर लगभग एक माह में प्रदान कर दिये जाते हैं। तद्नुसार शासन से धन प्राप्त होने पर सामान्य योजना के अन्तर्गत तथा उपभोक्ता द्वारा धन जमा करने पर लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक व थाना असोहा की कतिपय ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की मांग

182-श्री रमेश चन्द्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के ब्लाक व थाना असोहा के अन्तर्गत स्थित ग्राम-दऊं, दरसवां, मिहीखेड़ा, राधा नगरी, गोसाईखेड़ा आदि को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण न होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामवासियों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद उन्नाव के ब्लाक व थाना असोहा के अन्तर्गत स्थित दऊं, दरसवां, राधा नगरी, गोसाईखेड़ा ग्राम लेपित मार्गों से जुड़े हैं एवं यातायात हेतु सुलभ है। मिही खेड़ा ग्राम की आबादी 500 से कम होने के कारण लेपित मार्ग से जोड़े जाने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक व थाना असोहा के ग्राम इकघरा को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

183-श्री रमेश चन्द्र-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला-उन्नाव के ब्लाक व थाना असोहा के अन्तर्गत स्थित गोसाईखेड़ा, राधा नगरी, एकघरा आदि ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने एवं जोरावरगंज जाने वाली सड़क से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण आवागमन को सुगम बनाने हेतु सरकार करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद उन्नाव के ब्लाक व थाना असोहा के अन्तर्गत स्थित गोसाईखेड़ा, राधा नगरी ग्राम पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े हैं। ग्राम इकघरा की आबादी 500 से कम होने के कारण लेपित मार्ग से जोड़े जाने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर सदर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मार्गों की मरम्मत करवाने की मांग

184-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर सदर विधान सभा क्षेत्र के वसिलिया-ददिउरा मार्ग, जमलापुर-अटसलिया मार्ग, चिनौर-सुन्दर नगर-पैना बुजुर्ग मार्ग,

शहवाजनगर-घुसगंवां, कपेड़ कटका मार्ग एवं श्यामतगंज गौटिया वाला मार्ग वर्तमान में क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। जनपद शाहजहांपुर सदर विधान सभा क्षेत्र के शहवाजनगर घुसगवां, कपेड़ कटका मार्ग को छोड़कर शेष मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

185-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की जानकारी

186-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2011-12 द्वारा चयनित ग्राम सभा सिंधुआ बांगर, गम्भरिया परसौली कला, पड़री, पिपरपाती टोल, नौगावा, मीरगंज बड़गांव, बेनियापट्टी मीरगंज, मटिहनिया बुजुर्ग (अनुसूचित बस्ती), सरैयाडीह, डूमरभार के नौका टोला, बहोरापुर दलित बस्ती व उत्तर टोला तथा नौका टोला एवं ग्राम सभा जरार बिचला टोला आदि में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्राथमिकता के आधार पर उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के कैसरगंज-हजूरपुर-पयागपुर-मोहनीपुर मोड़ (इकौना) तक सड़क मार्ग का उच्चीकरण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना की स्वीकृति एवं प्रदत्त धनराशि

187-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2012 के पहले बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-108 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा जनपद बहराइच के कैसरगंज-हजूरपुर-पयागपुर-मोहनीपुर मोड़ (इकौना) तक के सड़क मार्ग के उच्चीकरण एवं मरम्मत हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई मांग के सापेक्ष केन्द्र सरकार द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति एवं धनराशि प्रदान की गई है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी का पुरवा से पड़मई के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग के मरम्मत की मांग

188-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विकास खण्ड महुआ के ग्राम मोतियारी के अन्तर्गत मोतियारी का पुरवा (कछिया पुरवा) से पड़मई सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ एवं गोरखपुर में सरयू नदी से हो रही भू-कटान को रोकने की व्यवस्था

189-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन एवं जिला गोरखपुर के बीच दोहरी घाट, धनौली रामपुर, भैंसा खरग एवं लोहड़ा में सरयू नदी से हो रही भू-कटान को रोकने हेतु सरकार समुचित व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक मेहनगर में किसानों के चेक बाउन्स होने की जानकारी

190-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में वर्तमान वर्ष 2012-2013 में राजकीय क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा फसल बेचने के बाद भुगतान सम्बन्धी प्राप्त चेक बाउंस होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को उनकी फसलों का भुगतान त्वरित एवं निश्चित अवधि में करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

जी नहीं। जनपद आजमगढ़ में मेहनगर ब्लाक के अन्तर्गत खाद्य तथा रसद विभाग की विपणन शाखा का एक गेहूं क्रय केन्द्र एवं पी0सी0एफ0 संस्था का एक गेहूं क्रय केन्द्र वर्ष 2012-2013

में स्थापित किया गया था। इन क्रय केन्द्रों पर किसानों से क्रय गेहूं का कोई भी भुगतान चेक किसी भी एजेन्सी का बाउन्स नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के अनपरा रेनूसागर शिव मन्दिर के समीप अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने की जानकारी

191-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के अनपरा रेनूसागर शिवमंदिर के समीप अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाने के बावजूद आज तक शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर प्रतिबन्ध लगाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-60 के अन्तर्गत अवैध शराब की बिक्री दण्डनीय अपराध है और पूर्णतया प्रतिबन्धित है। जनपद सोनभद्र के अनपरा रेनूसागर शिव मन्दिर के समीप अवैध शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध/अंकुश लगाने हेतु क्षेत्र में निरन्तर दबिश/छापे की कार्यवाही की गयी है तथा अवैध मदिरा की बिक्री में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध मुकदमें भी पंजीकृत किये गये हैं। प्रश्नगत क्षेत्र में माह जनवरी, 2012 से अब तक कुल 27 मुकदमें पंजीकृत हुये हैं, 545 लीटर अवैध मदिरा जब्त की गयी है तथा 04 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है।

आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा-60 के अन्तर्गत अवैध शराब की बिक्री पहले से ही पूर्णतया प्रतिबन्धित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के फाजिलनगर में पी0सी0एफ0 के बन्द शीतगृह को पुनः चालू करने की मांग

192-श्री गंगा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर जनपद कुशीनगर के अमवा में पी0सी0एफ0 द्वारा स्थापित शीतगृह एक दशक से भी अधिक समय से बन्द होने के कारण आलू उत्पादकों को अपने उत्पाद के भण्डारण हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अमवा शीतगृह को पुनः चलाने की योजना पर विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद कुशीनगर के फाजिलनगर में पी0सी0एफ0 का शीतगृह वर्ष 1982 में संचालित किया गया था। वर्ष 1994-95 तक इस शीतगृह से संस्था को रु0 121.56 लाख की संकलित हानि होने पर इसे बन्द करना पड़ा। वर्ष 1994-95 से लगभग 18 वर्षों से बन्द होने के फलस्वरूप प्लान्ट/मशीनरी सब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है और किसी प्रकार से मरम्मत योग्य नहीं रह गई है।

अतः इसका जीर्णोद्धार करके पुनः चालू करना संभव नहीं है।

जनपद कानपुर स्थित कतिपय घाटों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण करवाये जाने की जानकारी

193-श्री सतीश महाना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित नाना राव घाट, शक्ति चौराहा घाट, गोला घाट एवं बिठूर घाट के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में जिला योजना के अन्तर्गत कानपुर में गोलाघाट पर सीढ़ियों, पट्टियों के निर्माण कार्य हेतु रु0 3231 लाख तथा 2007-08 में नानाराव घाट (सत्ती चौरा एवं मैस्कर घाट) के निर्माण कार्य हेतु रु0 9.98 लाख की लागत से निर्माण कार्य कराए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में 75 कि0मी0 लम्बी पंचकोशी यात्रा को यात्रियों हेतु सुविधापूर्ण बनाने हेतु प्रस्ताव

194-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में 75 किमी0 लम्बी पंचकोशी यात्रा में यात्रियों के आराम और सुविधापूर्ण यात्रा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत योजना रु0 601 करोड़ धनराशि की भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की गयी है। भारत सरकार द्वारा इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्राथमिकता सूची में सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में होटल मुगल से हुण्डई शोरूम तक प्रस्तावित झलकारी बाई लेन के सौन्दर्यीकरण के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने की मांग

195-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में होटल मुगल से हुण्डई शोरूम तक प्रस्तावित झलकारी बाई लेन के सौन्दर्यीकरण के लिए प्रस्तावित कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो इसे कब पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मुगल शेरेटन होटल के आगे झलकारी बाई लेन का निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा था। इस सम्बन्ध में महापौर, नगर निगम, आगरा के पत्र दिनांक 23-09-08 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि यह जमीन कैनाल की है और इसका हस्तान्तरण नगर निगम आगरा को

किया जा चुका है। इस पर आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कराया जाना उचित नहीं है तथा कार्य तुरन्त प्रभाव से रोकने के लिये कहा गया। इसके अतिरिक्त होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट ऐसोसिएशन आगरा द्वारा भी प्रश्नगत कार्य को नहीं किये जाने का अनुरोध किया है। उपरोक्त स्थिति में कार्य नहीं कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पार्क में कराये गये कार्य

196-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक काफी समय से रख-रखाव न होने के कारण शहीदों की मूर्तियां एवं फव्वारे जर्जर हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शहीद स्मारक का सुदृढ़ीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पार्क के रख-रखाव कार्य के अन्तर्गत आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा हाल ही में पाथ-वे पर रेडस्टोन लगाने, फव्वारे को ठीक कराने के साथ ही टाइल्स लगाने, टॉयलेट्स की मरम्मत, बेसमेंट में स्थित पुस्तकालय में टाइल्स लगाते हुए रंगाई-पुताई आदि कार्य करा दिये गये हैं। शहीदों की मूर्तियां व्यवस्थित ढ़ंग से लगी हुई हैं एवं यथा आवश्यक मरम्मत कार्य समय-समय पर कराये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती स्थित स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मृति स्थल के सुन्दरीकरण/विकास हेतु स्वीकृत धनराशि

197-श्री संजय प्रताप जायसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पैड़ा जनपद बस्ती स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मृति स्थल के सुन्दरीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-05-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त स्थल के सुन्दरीकरण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

ग्राम पैड़ा जनपद बस्ती स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मृति स्थल के सुन्दरीकरण/विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला योजना समिति द्वारा रु0 10.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नागऊ में यातायात नगर बनाने हेतु भूमि का अर्जन

198-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर फिरोजाबाद में ट्रांसपोर्ट नगर बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम नागऊ में यातायात नगर बनाये जाने की योजना प्रस्तावित है। इस हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 व 6 की कार्यवाही करते हुए 15.559 हे0 भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट एरिया में पालिटेक्निक कालेज खोलने की मांग

199-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के भाट एरिया में पालिटेक्निक कालेज खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

1-जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज तहसील में पूर्व से ही एक राजकीय पालीटेक्निक संचालित है।

2-जनपद सोनभद्र के तहसील राबर्ट्सगंज, परगना-अगोरी, ग्राम सिन्दुरिया में भारत सरकार के सहयोग से एक राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन है।

3-इसके अतिरिक्त जनपद सोनभद्र के चोपन स्थान में एक और राजकीय पालीटेक्निक निर्माणाधीन है।

जनपद गोरखपुर में जिला जेल बाई पास के निर्माण हेतु अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा दिये जाने की मांग

200-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में जिला जेल बाई पास के निर्माण हेतु अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा हरसेवकपुर नं0-1 के नागरिकों को अब तक न दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-3 नं0-612688, दिनांक 21-8-12 जिलाधिकारी, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सतर्कता अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1679/39-4-2012-21/05, दि0 3 अगस्त, 2012†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सतर्कता अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-1679/39-4-2012-21/05, दि0 3 अगस्त, 2012 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-24 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश जल निगम के 33वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक)††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल निगम के 33वें वार्षिक लेखे एवं सम्परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 तक) को उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा-50 (5) (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2012-2013 का अनुपूरक) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मा0 अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2012, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 29 नवम्बर, 2012 को वापस प्राप्त हो गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, अब आपकी बात आ गई है। अब सब बात हो गई है, आप लोग बैठ जाएं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7-8 में कुछ नहीं है। मद संख्या-9 आगे लेंगे।

(घोर व्यवधान)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाएं ले रहा हूं। आज दिनांक 05-12-2012 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 85 सूचनायें प्राप्त हुईं और सभी माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई।

(स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद शामली की तहसील कैराना के कतिपय ग्रामों में रुकी हुई विशेष राजस्व सर्वेक्षण कार्यवाही पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हुकुम सिंह-

[महोदय,

जनपद शामली की तहसील कैराना के गांव सहपत एतमाल साबिक, महमौर एममाल साबिक, रामड़ा, मवी एतमाल साबिक, बलहेड़ा, मोहम्मदपुर राई, बसेड़ा एतमाल, बसेड़ा गैर एतमाल, मण्डावर, पढ़ेड़, बिडौली, भंडी, नगला राई एतमाल, साबिक, शीतलगढ़ी, मंगलौरा एतमाल कदीम, नाई नगला (बिडौली) में विशेष राजस्व सर्वेक्षण की कार्यवाही आरम्भ हुई थी। कुछ महीने विशेष टीम द्वारा सर्वेक्षण का काम किया जाता रहा। नियमानुसार इस कार्यकाल में प्रभावित भूमि का स्थानान्तरण या विभाजन की कार्यवाही नहीं हो पाती। दुर्भाग्य से कुछ समय सुचारू कार्य चलने के पश्चात् शासन द्वारा उक्त सर्वेक्षण टीम को वापस बुला लिया गया जिसके कारण सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हो सका। अब स्थिति इस प्रकार है कि तकनीकी रूप से गांव सर्वेक्षण से आच्छादित हैं परिणामस्वरूप कृषक उक्त भूमि पर न तो ऋण ले सकते हैं और न ही उसको स्थानान्तरित कर सकते हैं और अभी विरोधाभास की स्थिति बन गयी है। 16 गांव के हजारों कृषक प्रभावित हैं। एक असंतोष और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

स्थिति की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए सदन के माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि सर्वेक्षण की कार्यवाही पुनः अविलम्ब आरम्भ की जाय।]

कानपुर महानगर के बाहरी क्षेत्रों की विभिन्न सोसाइटियों द्वारा बेचे गये प्लाटों को न्यूनतम शुल्क लेकर अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय,

कानपुर महानगर में बाहरी क्षेत्रों की जो भी विभिन्न सोसाइटी द्वारा किसानों द्वारा बेचे गये खेत में प्लाट काटकर एवं कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में जो मकान बनाये जा चुके हैं उनके नियमतीकरण हेतु सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण, आवास विकास प्राधिकरण, नगर निगम जैसी संस्थाओं द्वारा पूर्ण रूप से उसका ले-आउट प्लान पास करके एवं उनसे न्यूनतम शुल्क लेकर अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए गोपाल नगर, यशोदा नगर, शंकराचार्य नगर, खाण्डेपुर, राजीव विहार, गांधी ग्राम, पटेल नगर आदि क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण, आवास विकास प्राधिकरण, नगर निगम जैसी संस्थाओं द्वारा पूर्ण रूप से उसका ले-आउट प्लान पास करके एवं उनसे न्यूनतम शुल्क लेकर अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद में बाधवा समिति तथा शासन के आदेशों को धता बताकर सर्वे कार्य करने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[महोदय,

भारत सरकार द्वारा दिनांक 12-07-2012 को उ0प्र0 में अतिरिक्त गरीबों को दिसम्बर, 2012 से मार्च, 2013 तक बी0पी0एल0 दर पर खाद्ययान उपलब्ध कराने हेतु 3,27,370 मी0 टन गेहूं तथा 4,91,500 मी0 टन चावल उपलब्ध कराया गया है। उ0प्र0 खाद्यय विभाग में भी दिनांक 25-10-2012 को पत्रांक-3607ए/मु0वि0अ0 अति0 आवंटन/बी0पी0एल0/अन्त्यो0/2012 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारियों को माननीय न्यायमूर्ति बाधवा समिति द्वारा सुझाये गये 5 हजार रुपये मासिक आय वाले तथा एक्सक्ल्यूजन मानकों के अनुसार विधवा, विकलांग, बेसहारा, आदिवासी, लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त लोगों का घर-घर जाकर चिन्हांकन-मुद्रांकन करने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद में बाधवा समिति तथा शासन के आदेशों को धता बताकर सर्वे का कार्य सरकारी सस्ते गल्ले वाले दुकानदारों को सौंप दिया गया है। वह लोग मलिन बस्ती में रहने वाले अति निर्धन लोगों का शोषण कर रहे हैं। अल्लापुर, संजयनगर, दश्वाश्वमेध घाट दारागंज, परेड कैन्ट क्षेत्र, नयापूरा, बक्शी बांध दारागंज, गल्ला बाजार, सादियाबाद, चांदपुर, सलोरी, एलनगंज, ऊंचवा, छोटा-बड़ा बघाड़ा, बड़ी बगिया, म्योराबाद, ऊंचवागढ़ी, राजापुर, सागरपेशा सिविल लाइंस आदि की झोपड़ियों में रहने वाले हजारों गरीब अभी भी वंचित हैं। इससे उनमें भारी आक्रोश-असन्तोष एवं क्षोभ है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर तत्काल जांच कराकर पारदर्शी ढंग से घर-घर जाकर अतिरिक्त बी0पी0एल0 परिवारों का चिन्हांकन मुद्रांकन कराने तथा दोषियों को दंडित कराने की मांग करता हूं।]

महिला कल्याण विभाग में बाल सेविका का वेतनमान सहायक अध्यापिका के वेतनमान के समान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित गौरव यादव-

[मान्यवर,

मुझे सदन के माध्यम से यह अवगत कराना है कि महिला कल्याण विभाग में बाल सेविका के 03 पद हैं। इस वर्ष के प्रथम सदन में बाल सेविका के 03 पदों में 01 पद को उच्चीकृत कर मुख्य बाल सेविका करने तथा उनका वेतनमान बाल विकास पुष्टाहार में कार्यरत मुख्य सेविका के बराबर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

किये जाने तथा शेष 02 बाल सेविकाओं का वेतनमान कार्य की समानता के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग में स0 अध्यापकों के बराबर किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 03-07-2012 को विधान सभा में सूचना दी गई थी।

उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में दिनांक 20 नवम्बर, 2012 को जो सूचना सदन को दी गई वह सूचना भ्रामक एवं तथ्यों के परे थी जो सदन की गरिमा के विरुद्ध है। बाल सेविका के 03 पदों में से 01 पद को मुख्य बाल सेविका के रूप में उच्चीकृत करने पर विचार करना था न की सृजन जिससे शिक्षा विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसा करना जनहित में आवश्यक है क्योंकि इन पदों पर कार्य करने वालों को आगे किसी उच्च पद पर प्रोन्नति का अवसर नहीं मिल सकेगा और ये लोग इसी पद से सेवा निवृत्त हो जायेंगे। जहां तक 02 अन्य बाल सेविका के वेतनमान का प्रश्न है जिन्हें कार्य की समानता के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग के स0 अध्यापकों के बराबर वेतन मिलना चाहिए क्योंकि बाल सेविका का दायित्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षित करना है तथा बेसिक शिक्षा विभाग के स0 अध्यापकों का कार्य भी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षित करना ही दोनों समतुल्य दायित्वों का निर्वाह करते है।

अतः बाल सेविकाओं को शिक्षा विभाग के स0 अध्यापकों के बराबर वेतनमान स्वीकृत करने का औचित्य है। इस सम्बन्ध में भी उल्लेखनीय है कि महिला कल्याण विभाग में भी स0 अध्यापक के पद स्वीकृत हैं जबकि बाल सेविका एवं स0 अध्यापक के दायित्वों में समानता है फिर भी उनके वेतानमान भिन्न हैं यदि इस पहलू पर भी विचार किया जाय तो भी बाल सेविका एवं सहा0 अध्यापिका का वेतनमान बराबर होना चाहिए।

मैं सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।]

लखनऊ कलेक्ट्रेट के गंभीर बीमार कर्मचारी श्री अनिल कुमार राजस्व अहलमद एस0डी0एम0 कोर्ट मलिहाबाद के रुके हुए वेतन एवं जी0पी0एफ0 का भुगतान किये जाने तथा इलाज कराये जाने हेतु लखनऊ मुख्यालय में स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौ0 इरफान-

[मान्यवर,

मैं आपका ध्यान जनपद लखनऊ के कलेक्ट्रेट कर्मचारी श्री अनिल कुमार राजस्व अहलमद एस0डी0एम0 कोर्ट मलिहाबाद लखनऊ की तरफ ले जाना चाहता हूं, जो विगत 3 वर्षों से गम्भीर रूप से बीमार हैं। इनका वेतन रोक दिया गया है। जिसके कारण परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण भुखमरी की कगार पर है। धनाभाव के कारण घर खर्च एवं इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इनका जमा किया पैसा जी0पी0एफ0 भी नहीं दिया जा रहा है। उपरोक्त कर्मचारी ने समय-समय पर प्रार्थना-पत्रों के माध्यम से अपनी स्थिति से अवगत कराते हुए विनती की कि उसे उचित लाभ दिया जाये। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 12-06-2012 को मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सहित इनके निरन्तर उपचार की सलाह दी थी, जो कि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संलग्न है। लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि इनके इलाज की समुचित व्यवस्था कराते हुए इनका रुका हुआ वेतन तथा जी0पी0एफ0 से अपेक्षित भुगतान शीघ्र करा करके इनके परिवार को राहत प्रदान करने की मांग करता हूं, ताकि इनका परिवार भुखमरी की कगार से उबर सके।

इस सम्बन्ध में इनका स्थानान्तरण जिला मुख्यालय लखनऊ करके त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें।]

मा0 जनेश्वर मिश्र ग्राम विकास योजना में चयन करके समग्र विकास कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय,

हमारे विधान सभा क्षेत्र 135-शाहजहांपुर में दो ग्राम (1) उदियापुर ब्लाक भावलखेड़ा (2) निजामपुर गौटिया ब्लाक ददरौल अत्यन्त पिछड़े ग्राम है। इनमें सी0सी0 रोड व नाली का अभाव है, विद्युतीकरण आधा है, शुद्ध पेयजल की कमी है। निजामपुर गौटिया में हर वर्ष या एक वर्ष छोड़कर बाढ़ आती है, पूरा ग्राम डूब जाता है। ग्राम में रोजगार के अवसर भी कम हैं। दोनों ही ग्राम जिला मुख्यालय से 15-20 किलोमीटर दूरी पर हैं। इस दोनों ग्राम में जनहित में सम्पूर्ण विकास होना है।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने दिनांक 3-7-2012 को विधान सभा में अपने वक्तव्य में कहा था कि समग्र विकास हेतु ग्रामों का चयन करते समय मा0 विधायकों की राय लेकर ही उनको चिन्हित किया जायेगा।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त दोनों ग्रामों को चयनित करके समग्र विकास (सी0सी0 रोड नाली, पर्याप्त शुद्ध पेयजल, पंचायत भवन, सम्पूर्ण ग्राम का विद्युतीकरण, हाई स्कूल तक की शिक्षा का अवसर तथा चिकित्सा सुविधा) कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र गोण्डा के अन्तर्गत कर्नेलगंज वाया कटरा बाजार में अवैध बालू खनन के चलते खराब हुई 3 सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बावन सिंह-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र 297-कटरा बाजार, जनपद गोण्डा के अंतर्गत अवैध बालू खनन से दस टायर ट्रकों की ओवरलोडिंग के चलते निम्नलिखित सड़कें ध्वस्त और दयनीय हालत में गड्ढ़े में बदल गयी है। क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों की जनता को मोटर साईकिल/साईकिल से चलना दुश्कर हो गया है। आये दिन कोई न कोई दुर्घटना घटित होती रहती है। यहां तक कि कई महिलायें और बच्चे भी चोटिल हो चुके हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-कर्नैलगंज-हुजूरपुर मार्ग लम्बाई लगभग 12.00 किमी0 जो बहराईच जनपद को सीधा जोड़ता है,

2-कर्नैलगंज वाया कटरा बाजार कौड़िया आर्यनगर मार्ग लम्बाई 24.00 किमी0

3-कर्नैलगंज-सेल्हीमंडप-देव्वापसिया-माधवपुर-झोनहा मार्ग लम्बाई, 18.00 किमी0

उपरोक्त सड़कों के आसपास रहने वाले निवासियों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। जनहित में उक्त मार्गों का निर्माण पूर्ण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय को नियम-301 के तहत सदन में उठाने की अनुमति देने तथा सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के फाजिलनगर क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में विशेषज्ञ डाक्टर की तैनाती किये जाने एवं आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गंगा-

[महोदय,

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र 332 फाजिलनगर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फाजिलपुर मरीजों की परेशानियों को देखते हुए समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्थायें एवं आधुनिक उपकरण लगाये गये थे। यहां पर आंख के मरीजों की सुविधा के लिए आधुनिक मशीन उपलब्ध करायी गयी किन्तु पूरे जनपद कुशीनगर में मात्र एक आंख का डाक्टर है और वह भी नर्सिंग होम चलाता है। जिसके कारण यहां के मरीजों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शासन एवं प्रशासन द्वारा आंख के डाक्टर की तैनाती न करके उक्त मशीन को ही वापस मंगाने का कार्य किया जा रहा है जो कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निदान के बजाय परेशानी का सबब बन रहा है। इसी प्रकार से महिला विशेषज्ञ डाक्टर की तैनाती न होने के कारण इस अस्पताल में दाईयां बच्चा पैदा कराने का काम कर रही हैं जिसके कारण आये दिन जच्चा एवं बच्चा की मृत्यु हो रही है। कुछ कर्मचारी एवं स्टाफ दादागीरी करके वर्षो से यही जम हुए हैं वे कुछ भी नहीं करते हैं। इसलिए यहां के नागरिकों में सरकार एवं शासन की उदासीनता के कारण इलाज की समस्या का निदान न होने के कारण असन्तोष एवं आक्रोश है। मेरी मांग है कि उक्त अस्पताल में विषय विशेषज्ञ डाक्टरों की नियुक्ति की जाय और जो डाक्टर एवं स्टाफ तैनात हैं और ड्यूटी पर नहीं आते हैं जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फाजिलनगर में विषय विशेषज्ञ डाक्टर की तैनाती करने एवं आंख के लिए उपलब्ध करायी गई मशीन को वहीं पर स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के ग्राम हरड़ फतेहपुर में 02 ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश राणा-

[महोदय,

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम हरड़ फतेहपुर में 5-5 एम0वी0ए0 क्षमता के दो ट्रांसफारमर लगे हुए हैं। 50 गांवों की लगभग 01 लाख आबादी इन दो ट्रांसफारमरों पर निर्भर है। जिसके कारण विद्युत सप्लाई बाधित होती थी और लो-बोल्टेज की भी समस्या बनी हुई थी। आये दिन इसके लिए स्थानीय जनता आन्दोलन करती थी।

इस समस्या को मेरे द्वारा पिछले सत्र में भी उठाया गया। जिसके परिणामस्वरूप 10-10 एम0वी0ए0 के दो ट्रांसफारमर विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये, परन्तु लगभग 6 माह व्यतीत होने के बाद भी अब तक उक्त ट्रांसफारमर नहीं लग सके हैं जिसके कारण बिजली की समस्या जस की तस बनी हुई है। आये दिन ट्रांसफारमर फुंक रहे हैं और ग्रामीणों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम हरड़ फतेहपुर में 10-10 एम0वी0ए0 क्षमता के दो ट्रांसफारमर तत्काल लगवाये जाने की मांग करता हूं।]

सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में छात्रवृत्ति वितरण में धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय मिश्र ''टेनी''-

[महोदय,

राज्य सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों के साथ-साथ सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जाती है जिसमें विभिन्न विद्यालयों द्वारा अपने यहां पढ़ने वाले छात्रवृत्ति के पात्र छात्रों की सूची शिक्षा विभाग को दी जाती है। इस प्रकरण में लखीमपुर जिले में बहुत बड़ा घपला हो रहा है। विभिन्न विद्यालयों के अधिकारियों व सरकारी कर्मचारियों से मिलकर छात्रों की संख्या में बड़ा हेर-फेर करके सरकार का धन भ्रष्टाचार द्वारा लूटा जा रहा है। छात्रों की वास्तविक संख्या तथा छात्रवृत्ति हेतु दी गयी संख्या में बहुत अन्तर है, जिसकी जांच आवश्यक है। इन कारणों से व भ्रष्टाचार के कारण वास्तविक पात्रों को लाभ नहीं मिल रहा है। जिससे छात्रों व अभिभावकों में निराशा व आक्रोश है तथा सरकार को आर्थिक नुकसान के साथ उसकी छवि भी खराब हो रही है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार से भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0प्र0 में मौरंग, बालू, गिट्टी की आपूर्ति करने वाले ट्रकों से अवैध वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[महोदय,

उ0प्र0 में मोरंग बालू, गिट्टी आदि सामग्री जो कि भवन निर्माण में प्रयोग में लाये जाते हैं इसकी आपूर्ति करने वाले ट्रकों से अवैध वसूली खनिज विभाग ओवर लोडिंग के नाम पर कर रहा है जबकि ओवर लोडिंग की जिम्मेदारी खनिज विभाग की होती है। जब खनिज विभाग ओवर लोडिंग माल ही नहीं देगा तो ओवर लोडिंग का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि खनिज विभाग की ओवर लोडिंग मिले तो इस पर वाहनों पर कोई कार्यवाही न करके खनिज विभाग के पट्टेदारों पर करनी चाहिए। ऐसा न करके खनिज विभाग वाहनों से वसूली कर रहा है। जनहित में इस प्रकार की कार्यवाही पर तत्काल अंकुश लगाया जाना चाहिए।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते इस अवैध वसूली पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद फतेहपुर अन्तर्गत तहसील खागा के भू-भाग को जनपद कौशाम्बी में शामिल करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[महोदय,

वर्ष 2008 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा तहसील खागा के 5 राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों एवं खागा नगर तथा किशनपुर नगर पंचायत को जनपद कौशाम्बी में शामिल करने का शासनादेश जारी किया गया था। इस प्रकरण को लेकर सम्पूर्ण जनपद में सभी राजनैतिक दलों एवं जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। इसके विरोध में बाजार बन्दी, सड़क जाम, धरना एवं आन्दोलन हुए हैं। जनाक्रोश को देखते हुए तत्कालीन सरकार ने शासनादेश में ढिलाई बरतते हुए दिनांक 07-06-2008 को प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री द्वारा शासनादेश जारी कर स्थगित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09-11-2012 को अनुसचिव उ0प्र0 शासन ने अपने पत्र संख्या वि0प0-18/उ-5-2012-15/2012, दिनांक 05 नवम्बर, 2012 द्वारा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद् उ0प्र0 लखनऊ को पत्र लिखकर 09 जून, 2008 को गठित उच्च स्तरीय टीम तहसील खागा क्षेत्र को जनपद कौशाम्बी में शामिल होने की संस्तुति शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने को कहा है।

इस प्रकरण के संबंध में पुनः खागा बचाओ संघर्ष समिति व जनपद का जनमानस आन्दोलित है कभी भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

[महोदय,

मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद के चगोली मोड से हुसैनपुर सम्पर्क मार्ग से वैलाना सम्पर्क मार्ग तथा सिकन्द्राबाद औद्योगिक क्षेत्र से अंधैल सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जीर्ण-क्षीण अवस्था में है। यह दोनों सम्पर्क मार्ग अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथा इन मार्गों पर कई-कई गांव पड़ते हैं। इनके टूटे होने के कारण इन पर पड़ने वाले गांवों के निवासियों का जीना दूभर हो रहा है। बच्चे शिक्षा ग्रहण करने तथा इलाज कराने के लिए शहर नहीं जा पा रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों के लिए तहसील तथा जिला मुख्यालय जाना मुश्किल हो रहा है।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद बलिया के फेफना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में विद्युत उपकेन्द्र एवं 400 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र तिवारी-

[महोदय,

जनपद बलिया के फेफना विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विद्युत विभाग से संबंधित निम्नलिखित सुधार होने से बिजली की सुचारु रूप से आपूर्ति की जा सकेगी तथा अपेक्षित सुधार होगा :-

1-ग्राम सभा चौरा में 33/11 एम0वी0ए0 के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण,

2-चितबड़ा गांव नगर में 400 के0वी0ए0 का अतिरिक्त परिवर्तक की स्थापना,

3-ग्राम सभा सरयां में 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाया जाना,

4-ग्राम सभा रतसर कला में 400 के0वी0ए0 का परिवर्तक की स्थापना,

5-ग्राम सभा सागरपाली में 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त विद्युत कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के तहत वाराणसी के वरुणा पार क्षेत्र में सीवर एवं ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु जमीन उपलब्ध कराने एवं सीवर लाइन का कार्य तत्काल पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[महोदय,

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के तहत वाराणसी के वरुणा पार क्षेत्र में 407 करोड़ रु0 सीवर लाइन एवं ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु स्वीकृत हुआ तथा धनराशि भी अवमुक्त कर दी गयी। इस योजना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में पूरे वरुणा पार क्षेत्र में सीवर लाइन डालने व ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाना था। नगर निगम के द्वारा गंगा प्रदूषण को सथवां में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन सथवां को ही केन्द्रित करते हुए लगभग 80 प्रतिशत सीवर लाइन डाल दी गयी और लगभग 300 करोड़ रु0 का भुगतान भी हुआ। इस कार्य को पूरा होने में लगभग तीन साल लग गया। लेकिन जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा सथवां में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु जमीन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है, अगर सथवां में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट नहीं लगा तो सरकार का 407 करोड़ रु0 की बर्बादी होगी तथा वरुणा पार के लोगों को सीवर लाइन की जो अपेक्षाएं थीं वह पूरा नहीं हो पाएगी। वहां के लोग सीवर समस्या से त्रस्त हो जायेंगे।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम, सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों को प्रोन्नत वेतनमान एवं छठा वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

साध्वी निरंजन ज्योति-

[महोदय,

मैं माननीय सदन का ध्यान उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के उन शोषित, पीड़ित तथा उपेक्षित कर्मचारियों की ओर आकर्षित करता चाहती हूं, जो निगम प्रबन्धन तथा शासन के लोक निर्माण अनुभाग-आठ की मिली भगत के कारण चौतरफा शोषण के शिकार हो रहे हैं। एक ओर इन कर्मचारियों को ''पंचम वेतनमान'' के करीब दस वर्षों के लम्बित एरियर भुगतान को निरर्थक पत्राचार करके पिछले चार वर्षों से टाला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गैर तकनीकी कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-2768/23-8-08-12सीबी/03, दिनांक 18 फरवरी, 2009 के अनुपालन में योगदान की तिथि से सेवाकाल की गणना करके समयमान वेतनमान तथा प्रोन्नत वेतनमान का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार से वर्ष 2006 से देय छठा वेतनमान और ए0सी0पी0 व्यवस्था को भी जानबूझकर अनुचित तरीके से लटकाया जा रहा है। जबकि उसी प्रमुख सचिव, के नियंत्रणाधीन उ0प्र0 राज्य सेतु निगम में उपरोक्त तीनों सुविधायें काफी समय पहले से कर्मचारियों को दी जा रही हैं। एक ही प्रमुख सचिव/अध्यक्ष के अधीन कार्यरत दोनों सहयोगी सरकारी निगमों में असमानता का कोई वैध आधार नहीं है। पिछले बीस वर्षों से अधिक समय से कार्यरत टंककों को अपने अब तक के सेवाकाल में एक भी पदोन्नति या उच्च वेतनमान की सुविधा न देना, निगम में व्याप्त तकनीकी साम्राज्यवाद का स्पष्ट प्रमाण है। जिसके कारण निगम के कर्मचारी, प्रबन्ध निदेशक के पद पर किसी अभियन्ता के स्थान पर किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती चाहते हैं।

उपरोक्त कारणों से कर्मचारी वर्ग में व्यापक आक्रोश तथा निराशा व्याप्त है, जो किसी भी समय विस्फोटक रूप धारण कर सकती है।

अतः व्यापक जनहित के इस सुनिश्चित विषय पर मैं तत्काल प्रभावी कार्यवाही तथा वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर की कतिपय जर्जर सड़कों को बनवाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघव लखनपाल शर्मा-

[महोदय,

जनपद सहारनपुर की सड़कें अत्यन्त ही जर्जर अवस्था में हैं। इन सड़कों की जर्जर स्थिति के कारण आम नागरिकों को अत्यन्त असुविधा हो रही है। क्षतिग्रस्त सड़कों पर फिसल कर आये दिन कोई न कोई दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है। ऐसी कुछ सड़कें निम्न प्रकार हैं :-

1-सहारनपुर से देवबंद मार्ग,

2-सहारनपुर से चिलकाना मार्ग,

3-सहारनपुर-मलिकपुर-बड़गांव मार्ग,

4-गंदेवड़ से हथनीकुण्ड बैराज मार्ग,

5-सहारनपुर से देहरादून मार्ग,

6-फतेहपुर से कलसिया रोड,

7-देवबंद-बड़गांव-नानौता मार्ग,

8-सिड़की से जबरेड़ा मार्ग,

9-गागालेहड़ी से भगवानपुर बाई पास।

उपरोक्त मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय नागरिकों में अत्यन्त आक्रोश व्याप्त है। यहां के नागरिकों द्वारा स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश शासन, प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराया है परन्तु सड़कों का निर्माण नहीं हो सका।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त जर्जर मार्गों को बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

उ0प्र0 सचिवालय के लिपिकीय संवर्ग में लेखा संवर्ग की संरचना/पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सीमा-

[महोदय,

आपके माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में यह लाना है कि उ0प्र0 सचिवालय के लिपिकीय संवर्ग (समीक्षा अधिकारी संवर्ग)/अपर निजी सचिव संवर्ग की भांति ही लेखा संवर्ग का संरचना/पुनर्गठन लगभग 23 वर्षों से लम्बित है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि लेखा संवर्ग की शैक्षिक योग्यता अन्य संवर्ग की शैक्षिक योग्यता अन्य संवर्ग से उच्च कोटि की है तथा, इनकी भी भर्ती का स्रोत लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के माध्यम से है। सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा उक्त संवर्ग की संरचना हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की गयी समीक्षा के अन्तर्गत निर्मित संरचना का ढांचा तैयार कर अपना परामर्श सचिवालय प्रशासन विभाग को लगभग एक वर्ष पहले दिया था। इस परामर्श पर सचिवालय प्रशासन विभाग ने सही स्थिति पाते हुए वित्त विभाग से सहमति मांगी गयी। वित्त विभाग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा पांच बार अनावश्यक रूप से आपत्तियां दर्ज कर पत्रावली सचिवालय प्रशासन को वापस किया जाता रहा है। जिसपर सचिवालय प्रशासन द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर पत्रावली सहमति हेतु निरन्तर वित्त विभाग को भेजी जाती रही है। छठीं बार इस संबंध में वित्त विभाग एवं सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सचिव, वित्त की अध्यक्षता में बैठक कर दिनांक 04-07-2012 को अन्य संवर्गों में उपलब्ध विशेष सचिव के पद के समान इस संवर्ग के संरचना में दर्शित विशेष सचिव के पद को स्थगित करते हुए शेष पदों पर मौखिक सहमति बना ली गयी थी। इस बैठक के उपरान्त सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा पुनः संशोधित प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने हेतु पत्रावली प्रेषित की जा चुकी है। लगभग दो माह व्यतीत होने को हो गये हैं, फिर भी वित्त विभाग द्वारा अभी तक सहमति प्रदान नहीं की जा रही है, जिससे सचिवालय के लेखा कर्मियों में काफी रोष व्याप्त है तथा वह एक माह से दो घण्टे का क्रमिक आन्दोलन किया जा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करने की मांग करती हूं।]

मेरठ विकास प्राधिकरण में प्राइवेट बिल्डरों द्वारा विकसित की जा रही कालोनियों में सड़कें एवं मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[महोदय,

जनपद मेरठ में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत आवासीय कालोनियों जोकि प्राइवेट बिल्डरों द्वारा विकसित की जा रही हैं उनके नक्शे विकास शुल्क जमा कराकर पास किये जा रहे हैं। उन कालोनियों को अभी तक नगर निगम को हस्तांतरित नहीं किया गया है तथा प्राइवेट बिल्डर आवंटियों को भूखण्ड एवं फ्लैट तथा मकान बेचकर जा चुके हैं। कालोनीवासियों को मूलभूत सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही हैं। मेरठ में लगभग ऐसी 100 कालोनियां हैं जिनकी सड़कें अत्यन्त जर्जर हालत में हैं। इन सड़कों का निर्माण न तो मेरठ विकास प्राधिकरण कर रहा है न नगर निगम और न ही प्राइवेट बिल्डर कर रहे हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कालोनियों में भूखण्ड, फ्लैट एवं मकान लेने का क्या फायदा हुआ कि उन्हें टूटी सड़कों पर चलना पड़ रहा है। इन सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी तथा मूलभूत सुविधायें देने की जिम्मेदारी किसकी है। इन सभी सड़कों का निर्माण अवस्थापना निधि द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए।

मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहां रह रहे लोगों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। इससे नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। इससे स्थानीय नागरिकों में अत्यन्त रोष व्याप्त है। अपनी मांग को लेकर यहां के निवासी जनपद के अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पीलीभीत के वन क्षेत्र में माफियाओं द्वारा मूल्यवान लकड़ी की चोरी तथा चार शेरों को जहर देकर मारे जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय,

जनपद पीलीभीत एक ऐसा भूखण्ड है जहां कि राजस्व परिक्षेत्र के 20 प्रतिशत भू-भाग पर वन आच्छादित है। वन के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव, जन्तु, पशु एवं पक्षी, दुर्लभ प्रजातियों के पाये जाते हैं। मात्र शेर प्रजाति के पशुओं की संख्या लगभग 40 के लगभग आंकलित की गयी है। इसके अतिरिक्त वन परिक्षेत्र में तरह-तरह की बहुमूल्य औषधियां एवं प्राकृतिक सम्पदायें भी उपलब्ध हैं। जिसमें विशेष रूप से हरड़, बहेरा, कटरूआ आदि जिन्हें विभिन्न प्रकार की औषधियों में प्रयुक्त किया जाता है। इसके साथ ही साथ जल में निवास करने वाले कछुएं, मछली, मगरमच्छ एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के जीव एवं पक्षी भी वन में प्रवास करते हैं भारी संख्या में साइबेरियन पक्षी भी पाये जाते हैं। वन क्षेत्र के बड़े-बड़े भूभागों पर से माफियाओं द्वारा बहुमूल्य लकड़ी चोरी से काटी जा रही और उस पर कृषि कार्य करके लाभान्वित हो रहे हैं। रमनगरा क्षेत्र में तो वन भूमियों को किराये पर भी उठाया जा रहा है। गांव पसगवां में तो पक्षी विहार की भारी उपेक्षा है। बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग पर गांव भीखमपुर से कनपरा अल्पिका पर पक्षी विहार तक का मार्ग भी चलने योग्य नहीं है। चूका स्पाट पर्यटन स्थल एवं उक्त पक्षी बिहार की उपेक्षा के कारण पर्यटकों को निराश होकर लौटना पड़ता है। माफियाओं द्वारा चार शेरों की जहर देकर हत्या की जा चुकी है। परन्तु अब तक कार्यवाही न होना चिन्तनीय विषय है। दुर्लभ प्रजातियों के कछुओं का शिकार कर दसियों लाख में बिक्री की गयी है। नितान्त आवश्यक है कि माफियाओं से भूमि छुड़ाकर बहुमूल्य लकड़ी चोरी करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। दुर्लभ पशुओं के संरक्षणार्थ आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाय। जीव जन्तुओं का शिकार करके वन सम्पदा लूटने वालों के विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच के थाना रामगांव के राजापुर ग्राम के कश्यप परिवार के घर पर उपद्रवियों द्वारा लूटपाट किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

[महोदय,

बहराइच जनपद के थाना रामगांव के गांव राजापुर के मजरा चकापुर में एक कश्यप परिवार के घरों पर दिनांक 29-10-12 को सैकड़ों उपद्रवियों ने ट्रैक्टर ट्राली लेकर दिन में करीब 10 बजे आक्रमण किया और मार-पीटकर 12 लोगों को घायल कर दिया। जिसमें दो लोगों को ट्रामा सेन्टर रिफर किया गया। उपद्रवी अपने साथ भैंस, बकरी, मोटर साइकिल, पम्पिंग सेट आदि लाद ले गये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुलिस ने 110 लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 किया। सारे उपद्रवी एक ही वर्ग के थे। इस नाते पुलिस घटना के बाद पहुंची और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सब मुल्जिम अभी न तो गिरफ्तार किये गये हैं और न ही सामान बरामद किया गया, उपद्रवी खुले आम घूम रहे हैं।

दूसरी घटना थाना हुजूरपुर के ग्राम रैवलिया की है जहां दिनांक 14-11-12 को कश्यप बिरादरी के दो मजदूरों को रोककर दुर्गा पूजा की रंजिश में पीट दिया गया गांव के लोगों ने एतराज किया तो सैकड़ों लोग लाठी, डण्डा, ईट तथा हथियार से टूट पड़े और सात लोगों को पीटकर मरणासन कर दिया। पुलिस ने सही कार्यवाही न करके प्रशासन के निर्देश पर अपराधियों को न पकड़कर केवल बैलेंस बराबर कर रही है। अपराधी तथा पीड़ित दोनों पर कार्यवाही करके न्याय से मुंह मोड़ रही है। आई0जी0 ने गांव जाकर न्याय का आश्वासन दिया लेकिन अपराधियों पर कार्यवाही न होने के कारण लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। अपराधियों के परिवार के अन्य लोग दिल्ली व सऊदी अरब में कमाने वाले हैं जिसके कारण यह लोग धन बल और बाहुबली हैं। पीड़ित परिवार के लोग बहुत गरीब लोग है इसलिए पलायन को मजबूर हैं। पुलिस प्रशासन की इस कार्यवाही से क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

फिरोजाबाद में कांच/चूड़ी उद्योग के लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके टीटी जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[महोदय, नगर फिरोजाबाद अपने कांच/चूड़ी उद्योग के लिए पूरे भारत ही नहीं अपितु विश्वभर में प्रसिद्ध है।

महोदय, नगर फिरोजाबाद विश्व प्रसिद्ध हेरिटेज स्मारक ताज महल की त्रिज्या में आने के कारण टी0टी0 जोन में आता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में टी0टी0 जोन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अबाध रूप से संचालित करने के आदेश हैं।

महोदय, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद नगर फिरोजाबाद में विद्युत वितरण के आधारभूत ढ़ांचागत कमी (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, जिसके कारण जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती है वहीं औद्योगिक नगरी होने के कारण वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में जेनरेटर चलते हैं, जिससे विश्व संरक्षित स्मारक ताजमहल को नुकसान पहुंचता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फिरोजाबाद नगर में 400 केवी0 के पावर हाउस की स्थापना की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फैजाबाद की रूदौली विधान सभा में पूर्वांचल राज्यांश योजनान्तर्गत अधरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत अति महत्वपूर्ण पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश वित्तीय वर्ष 2002-03 के अन्तर्गत स्वीकृति अधूरी परियोजना मवई-पटरंगा मार्ग से सिपहिया होते हुए दुल्लापुर-उमापुर मार्ग तक शून्य से लेपन कार्य, 2-सिपहिया ग्राम के आगे झरना नाले पर 5X6 मी0 स्पान की पुलिया निर्माण का कार्य धनाभाव के कारण विगत 10 वर्षो से अधूरा पड़ा है। निर्माण एजेन्सी व मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद द्वारा धन आवंटन हेतु पुनरीक्षित आगणन विशेष सचिव, अनुभाग-14 लोक निर्माण विभाग लखनऊ को 11-09-2012 को भेजा जा चुका है। साथ ही पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अन्तर्गत सुलेमपुर सम्पर्क मार्ग, दुर्गी पुरवा सम्पर्क मार्ग, लोहानी का पुरवा, अमहटा हिन्दूपुरवा सम्पर्क मार्ग वर्ष 2012-13 हेतु स्वीकत की प्रत्याशा में विभाग में लम्बित है। वर्ष 2012-13 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना अन्तर्गत जिसमें 40 प्रतिशत या उससे या उससे अधिक अनुसूचित, जनजाति की आबादी है। अनुदान संख्या-(43 अनुसूचित जाति सब प्लान लेखा शीर्षक सहित 5054) में प्रस्तावित नवनिर्माण मार्गो के क्रम में चमरूपुर सम्पर्क मार्ग, खरगूपुर सम्पर्क मार्ग तथा खगई का पुरवा (उमापुर) मलखान पुरवा (उमापुर) मीरमऊ घाट (उमापुर), मानापुर सम्पर्क मार्ग सहित नवनिर्माण प्रस्ताव प्रमुख अभियन्ता कार्यालय लोक निर्माण विभाग लखनऊ में लम्बित हैं। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2012-13 में विशेष मरम्मत का प्रस्ताव मा0 लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा विगत विधान सत्र के दौरान प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में समान रूप से सड़कों की मरम्मत की घोषणा की थी जिसके आधार पर मेरे क्षेत्र की रूदौली, नयागंज, एहार, नांगी, सधारपुर, गदुरही सम्पर्क मार्ग जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है तथा विगनिया पुल से नेवाजपुर सम्पर्क मार्ग से तेर सम्पर्क मार्ग, धरमगंज से सेमसी सम्पर्क मार्ग, सैदपुर रोड़ से अमराई गांव सम्पर्क मार्ग, भक्तनगर चौराहे से तालगांव, रूदौली इन्हौना मार्ग से भूलामऊ सम्पर्क मार्ग, एनएच-28 पर कूढ़ा सादात से साहनी भिटौरा सम्पर्क मार्ग, सुजागंज से दशरथमऊ, सुजागंज से थगोली कुर्मियान, सुजागंज से कैथी सम्पर्क मार्ग सहित महत्वपूर्ण मरम्मत के प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये हैं वित्तीय वर्ष के मात्र 4 माह बचे हैं और अभी तक उपरोक्त अधूरी परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति नहीं हो पायी जिसके कारण आमजन को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त पूर्वान्चल राज्यांश के अधूरे कार्यों/नवनिर्माण मार्गो के मरम्मत न कराये जाने के कारण क्षेत्र की जनता में आक्रोश है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त पूर्वान्चल राज्यांश योजना अन्तर्गत अधूरे कार्यो के/सम्पर्क मार्गो के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्र सरधना, मेरठ के नानू नहर में पुल एवं कतिपय ग्रामों में सड़कों का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संगीत सिंह सोम-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सरधना, जनपद मेरठ में गत वर्षों में नानू नहर के पुल से कस्बा सरधना तक एवं कस्बा दौराला से कस्बा मसूरी तक सड़क निर्माण के एवज में भारी सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। उक्त दोनों मार्गों की हालत अत्यन्त दयनीय एवं जर्जर है। आये दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना घटित होती रहती हैं। क्षेत्रवासियों का इन मार्गों पर चलना अत्यन्त दुष्कर हो गया है। जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। क्षेत्रीय जनता ने इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रशासन से लेकर शासन तक गुहार लगायी है परन्तु कोई परिणाम नहीं निकल सका है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नानू नहर के पुल से कस्बा सरधना तक एवं कस्बा दौराला से कस्बा मंसूरी तक सड़क निर्माण की मांग करता हूं।]

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी तथा शिक्षा के गिरते स्तर के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय, प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था संसाधनों की कमी तथा अधोमानक गुणवत्ता से दौर से गुजर रही है। करीब-करीब सार्वभौमिक हो चुकी माध्यमिक शिक्षा के फलस्वरूप उच्च शिक्षा के पंजीकरण अनुपात में अत्यधिक वृद्धि होने की सम्भावनाओं के बीच इन पर और भी अधिक दबाव बढ़ने वाला है।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वाविद्यालय में प्रोफेसर के 75%, रीडर के एक तिहाई तथा लेक्चरर के 36% पद खाली पड़े हैं। यही स्थिति प्रदेश के तकरीबन सभी विश्वविद्यालय एवं राजकीय तथा अनुदानित महाविद्यालयों की है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के 50%, रीडर के 29% तथा लेक्चरर के 217 पद, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में प्रोफेसर के 50% रीडर के 75% तथा लेक्चरर के 33% पद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के 38% तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के 40% पद रिक्त पड़े हैं। इनके अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों के 2264 में से 800 तथा अनुदानित महाविद्यालय के 11603 में से 3000 पद खाली पड़े हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नैक (NAAC) की ग्रेडिंग के आधार पर अनुदान का आवंटन करता है। वर्ष 2011-12 में प्रदेश के 12 विश्वविद्यालयों से सिर्फ 2 विश्वविद्यालयों की रीडिता हुयी है।

प्रशासनिक एवं शासकीय आधार पर उच्च शिक्षा पर दोहरा नियम होने के कारण स्थितियां पद से बदतर होने की ओर अग्रसर हैं। इन सभी रिक्त पदों का भरा जाना, उच्चाशिक्षा केन्द्रों पर बेहतर अनुदान, अनुसन्धान व शैक्षणिक गुणवत्ता का सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोकमहत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत जवाब देने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।]

मथुरा-वृन्दावन सहित प्रदेश के अधिकांश बड़े शहरों के किनारे से निकलने वाली नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[प्रदेश के अधिकांश बड़े शहर नदियों के किनारे बसे हैं। इन बड़े शहरों की गंदी नालियों तथा सीवरों का गंदा पानी सीधे नदियों में गिराया जा रहा है। नदियों का पानी जहरीला हो रहा है तथा उसमें रहने वाले जीव-जन्तु मर रहे हैं। मनुष्य तथा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र बुरी तरह से प्रभावित है हर चीज विषैला हो रहा है। नदियों की सफाई कराये जाने हेतु विस्तृत कार्य योजना न बनाये जाने से नदियों में अवशिष्ट पदार्थों की भरमार है। इलाहाबाद में इस वर्ष महाकुम्भ लग रहा है। यहां गंगा एवं यमुना नदी का पानी प्रदूषित है, जिनकी सफाई हेतु योजना बनाये जाने की आवश्यकता है। मथुरा-वृन्दावन यमुना नदी के किनारे अवस्थित हैं यहां पर श्रद्धालु यमुना नदी की पूजा करते हैं, स्नान करते हैं परन्तु यहां नालों के गन्दे पानी से यमुना नदी पूरी तरह से प्रदूषित है, पानी स्नान तथा पीने योग्य नहीं है। यमुना नदी को मोक्षदायिनी नदी कहा गया है, लोग इसमें स्नान करते हैं, आचमन करते हैं लेकिन दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक इसमें अधिकांश गन्दा पानी छोड़ने से यह प्रदूषित हो गयी है। इसी प्रकार प्रदेश के विभिन्न बड़े तथा धार्मिक शहर जैसे कि लखनऊ में गोमती नदी, इलाहाबाद में गंगा-यमुना नदी, वाराणसी में गंगा नदी, फैजाबाद में सरयू आदि नदियों का पानी प्रदूषित हो रहा है। बस्ती में आमी नदी व कुआनों नदी व गोरखपुर में राप्ती नदी अत्यन्त प्रदूषित है तथा काली हो गयी। सरकार द्वारा इनकी सफाई हेतु विस्तृत कार्य योजना नहीं बनायी जा रही है। जल लन्दन के रिवर टेम्स तथा फ्रांस की सेन नदी की सफाई हो सकती है तो गंगा-यमुना की क्यों नहीं। गंगा, यमुना आदि नदियों की धार्मिकता विश्व प्रसिद्ध है, करोड़ों श्रद्धालु यहां देश तथा विदेश से स्नानार्थ एवं दर्शनार्थ आते हैं। विभिन्न बड़े नगरों में स्थापित चमड़ा शोधन संयंत्र, विभिन्न केमिकल से दवाओं के बनाने हेतु स्थापित उद्योग, प्लास्टिक शोधन उद्योग आदि का अवशिष्ट सीधे नदियों में मिलाया जा रहा है। नदियों के दूषित जल से लोगों को तरह-तरह के चर्मरोग इत्यादि असाध्य रोग हो रहे हैं तथा लोगों की धार्मिकता आहत हो रही है। इनमें अलीगढ़, कानपुर, आगरा आदि प्रमुख बड़े शहर हैं इनके टेनरियों का दूषित पानी का शोधन नहीं किया जा रहा है। उसे सीधे गंगा, यमुना आदि नदियों में मिलाया जा रहा है। बड़े शहरों के सीवर आदि का पानी खेतों की तरफ न मोड़कर नदियों में गिराया जा रहा है जबकि होना यह चाहिए कि सीवर के इस दूषित जल को खेतों की तरफ मोड़कर सीवर ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट स्थापित कर इनका पानी शुद्ध कर खेतों आदि की सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाना चाहिए।]

ईंट-भट्ठा उद्योग बन्द होने के कारण 40 लाख परिवारों की रोजी-रोटी की समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेश दीक्षित एवं उमेश पाण्डेय-

[महोदय, ईंट भट्ठा उद्योग बन्द होने के कारण लगभग 40 लाख परिवार के लोगों की रोजी-रोटी की समस्या एक विकराल रूप लेकर खड़ी हो रही है। ईंट भट्ठा उद्योग के बन्द हो जाने से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस पर कार्य करने वाले मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं। जिससे एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश के सामने आकर खड़ी होगी और मुझे प्रतीत होता है कि मजदूरों को मजबूरन आत्महत्या/भुखमरी के लिए मजबूर होंगे, जबकि ईंट भट्ठा जमीन में मिट्टी लेने के बदले सरकार को रायल्टी के रूप में राजस्व देते हैं तथा व्यापार कर का भुगतान करते हैं जिससे प्रदेश को राजस्व के रूप में आमदनी होती है। जिसे पर्यावरण विभाग द्वारा खनन का नाम देकर ईंट भट्ठा उद्योग के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी की है। जबकि मिट्टी से ईंट बनाकर पकाने का कार्य ईंट भट्ठा उद्योग के द्वारा किया जाना है। जो खनन की श्रेणी में नहीं आता है।

अतः समय रहते उक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा संज्ञान में लेकर निराकरण नहीं किया गया तो उक्त स्थिति बहुत ही विकट एवं मजदूरों के लिए जानलेवा होगी। अतएव आग्रह है कि जनहित में अति महत्वपूर्ण विषय पर निराकरण करने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के हरगांव के कतिपय ग्रामों में सम्पर्क मार्गों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत भारती-

[महोदय, संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद सीतापुर की विधान सभा क्षेत्र हरगांव के अन्तर्गत झरेखापुर से बेलामऊ कला फत्तेपुर मातिनपुर सम्पर्क मार्ग से सेमरी मोतिमउपुर जाने वाले सम्पर्क मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गया है, वर्षा के कारण रोड की पटरियां कट गयी हैं, पूरी रोड गड्ढा युक्त हो गयी हैं। पूरा क्षेत्र गन्ना किसानों का है। क्षेत्र के गन्ना किसान अपना गन्ना बैलगाड़ियों तथा ट्रैक्टर ट्रालियों से अवध शुगर मिल्स ले जाते हैं मार्ग क्षतिग्रस्त व गड्ढा युक्त होने के कारण बैलगाड़ियां तथा ट्रैक्टर ट्राली पलट जाती हैं, जिससे जान माल के नुकसान की संभावना बनी रहती है।

अतएव आग्रह है कि जनहित के अति महत्वपूर्ण विषय पर झरेखापुर बेलामऊ सम्पर्क मार्ग से सेमरी मोतिमऊपुर जाने वाले अत्यन्त क्षतिग्रस्त व गड्ढा युक्त सम्पर्क मार्ग का सुदृढ़ीकरण, रिनीवल कराये जाने की मांग करता हूं।]

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदा लाल चौधरी-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराते हुये बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्रधानाध्यापक प्राथमिक एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। मान्यवर, छठवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2006 से पूर्व उक्त पदों पर पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों को रु0 17140/- का वेतनमान विभाग द्वारा दिया जा रहा है किन्तु उसी पद एवं वेतनक्रम में कार्यरत ऐसे अध्यापक जिनकी पदोन्नति सन् 2006 के पश्चात हुई है। ऐसा अन्याय सरकार द्वारा अध्यापकों के साथ किये जा रहा है। जबकि समान पद, समान कार्य है तो रु0 17140/- का वेतनमान 2006 से पूर्व पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों को ही क्यों दिया जा रहा है उसके बाद प्रोन्नति प्राप्त अध्यापकों को उस लाभ से वंचित किया जा रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सन् 2006 के बाद पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों को भी सदन के माध्यम से रु0 17140/- का लाभ दिलाने की कृपा करें।]

वाराणसी सहित पूरे राज्य में बिजली की अनुपलब्धता के बावजूद बिजली दरों में भयंकर बढ़ोत्तरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[महोदय, सरकार की घोषणा थी कि पहले हम बिजली उपलब्ध करायेंगे फिर दर बढ़ाने पर विचार करेंगे। लेकिन हर स्तर पर देखने में आ रहा है कि आवश्यकतानुसार बिजली लोगों को मिल नहीं रही है, चाहे वह शहर का व्यक्ति हो, चाहे गांव का किसान हो। कामर्शियल दर की वृद्धि के साथ ही फिक्स चार्ज की वृद्धि व इलेक्ट्रिक ड्यटी भी बढ़ा दी गयी है। यह बढ़ोत्तरी घरेलू व कामर्शियल दोनों पर है। इलेक्ट्रिक ड्यूटी बढ़ने से घरेलू उपभोक्ता पर जबरदस्त मार पड़ी है। कामर्शियल दर जो कि पूर्व में 4.95 रु0 प्रति यूनिट देय था वह बढ़कर प्रथम 300 यूनिट तक 5.75 रु0 प्रति यूनिट और 300 यूनिट से ऊपर 6.00 प्रति यूनिट हो गयी है। इसी प्रकार फिक्स चार्ज के नाम से लिए जाने वाली रकम में भी जबदस्त वृद्धि कर दी गयी है। फिक्स चार्ज पूर्व में 115 रु0 प्रति किलावाट प्रति महीना थी जो अब बढ़ाकर 200 प्रति किलोवाट प्रति महीना कर दी गयी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक ड्यूटी जो कि पूर्व में महज 0.09 पैसा प्रति यूनिट थी (घरेलू व कामर्शियल) वह अब कामर्शियल में यूनिट मूल्य+फिक्स चार्ज को जोड़कर जो मूलधन आयेगा उसका 7.5 प्रतिशत कर दिया गया है वहीं घरेलू में यह यूनिट मूल्य+फिक्स चार्ज का 5 प्रतिशत हो गया है जो कि बहुत ज्यादा है। इस तरह से स्पष्ट है कि यह चौतरफा वृद्धि का असर गरीबों के लिए तो कष्टकारी है ही साथ ही कामर्शियल रेट बढ़ने से उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य वृद्धि होगी इसकी दोहरी मार आम जनता पर पड़ेगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना द्वारा बिजली की उपलब्धता बढ़ाये जाने तथा मूल्य वृद्धि वापस लिये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सुलतानपुर में कादीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दोस्तपुर-कादीपुर जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र चौधरी-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद सुल्तानपुर कादीपुर विधान सभा अन्तर्गत दोस्तपुर शाहीपुल से कादीपुर सड़क की तरफ ले जाना चाहता हूं। दोस्तपुर से कादीपुर तक जो सड़क बन रही थी उसे बीच-बीच में जे0सी0बी0 से खुदवा कर मिट्टी पाटी गयी तथा पटरी पर जे0सी0बी0 से मिट्टी खुदवाकर पाट दी गयी। सड़क पर चलना दूभर हो गया है। आज एक वर्ष के पहले से सड़क बन रही है। सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। मैंने कई बार शिकायत किया कितना धन स्वीकृत था, धन का खर्च कितना हुआ इसका कुछ जवाब नहीं मिल पाया न सड़क ही बनीं। दोस्तपुर से कादीपुर की दूरी मात्र 14 किमी0 है। एक वर्ष बीतने जा रहा है तब भी नहीं बनीं। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूछा तो उनका कहना है जल्द बन जायेगी। जल्द कब बनेगी इसका कोई पता नहीं है। सड़क पर धूल उड़ रही है।

मान्यवर, लोक निर्माण हित को देते हुए इस सड़क का कार्य तत्काल पूर्ण कराकर उत्तर दिलाने का कष्ट करें, ताकि मेरे क्षेत्र के आक्रोशित लोगों को राहत मिल सके।]

आवंला विधान सभा क्षेत्र जनपद बरेली मे रोडवेज डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[महोदय, आंवला विधान सभा जनपद बरेली में रोडवेज का बस डिपो बनना स्वीकार था। इसके निर्माण के लिए विभाग ने जगह भी तलाश करना शुरू की परन्तु अभी तक रोडवेज डिपो नहीं बन सका। रोडवेज बस डिपो न होने से बसों का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। आवंला महत्वपूर्ण स्थान है इसमें इफ्को फैक्ट्री व पर्यटन के कई महत्व पूर्ण स्थल हैं। बस डिपो के अभाव में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जनहित में उक्त बस डिपो का निर्माण तत्काल कराया जाना आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए आंवला में रोडवेज बस डिपो का निर्माण शीघ्र कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ मध्य क्षेत्र में अधिकांश चोक नालों की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में अधिकांश नाले लबालब भरे हैं तथा चोक है कई स्थानों पर नालों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं। आये दिन इन नालों में बच्चों एवं बुजुर्गों के गिर कर मृत्यु होने की घटनायें होती हैं। इन भरे नालों को तली तक साफ कराकर घनी बस्ती में इन नालों को ढकने का कार्य करना अति आवश्यक है ताकि बच्चों एवं बुजुर्गो की मौतों को रोका जा सके घनी आबादी से पहले और बाद में नाले में जाली लगा दी जाय, जिससे ढके हुये स्थान पर मलबा ना आ सके तथा आबादी से पहले जाली में मलबा रुक जाये और वहां नाला खुला हो जिससे उसकी सफाई हो सके।

लखनऊ मध्य क्षेत्र में गौस नगर, मौलवीगंज, राजेन्द्रनगर सी0एम0 स्कूल के पीछे, मशकगंज वार्ड के अन्तर्गत अस्तबल चारबाग खटिकाना से मल्लाही टोला पुल तक तथा मशागंज वार्ड में इमामबक्श कोठी से लक्ष्मण प्रसाद रोड तक, मोती झील एस0एस0 कालोनी नाका चौराहे से बिरहाना पुल तक, तिलकनगर, रामनगर, वजीरगंज, गोलागंज, कैसरबाग बस स्टैन्ड के निकट, वजीरगंज, प्रतापनगर कालोनी के पीछे, रिवर बैंक कालोनी, राजाबाजार, कैसरबाग, पीर जलील खटिकाना, घसियारी मण्डी, ख्यालीगंज काकोरी कोठी के पीछे, कैन्ट रोड, कालीदास मार्ग चौराहे के पास सहित कई स्थानों पर घनी आबादी है और यहां नाले लबालब भरे हैं तथा इसमें बच्चों एवं बुजुर्गों के गिर कर डूबने की घटनायें होती रहती हैं।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नालों की सफाई कार्य ना होने तथा घनी आबादी पर नाले को ढकने का कार्य न होने से बच्चों एवं बुजुर्गों की मौतें होती हैं तथा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

यह अत्यधिक लोकमहत्व का अविलम्बनीय विषय है। जिस पर वक्तव्य की मांग के साथ-साथ नालों को तली तक साफ कराकर जहां घनी आबादी है वहां यथाशीघ्र नाले ढ़कने का कार्य शुरू कराने की मांग करता हूं जिससे भविष्य में बच्चों एवं बुजुर्गों की मौतें ना होने पायें।]

विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद मे पसौड़ा से लेकर भौपुरा आदि मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर पाल शर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद में पसौड़ा से लेकर भौपुरा टीला मोड़, टीला कोठी, बंथला, रिस्तल सिरौरा को जाने वाले मार्ग की जर्जर अवस्था को प्रशासन के संज्ञान में न लेने से वहां के निवासियों को आने-जाने में काफी असुविधा हो रही है। मान्यवर, गाजियाबाद शहर की ऐसी औद्योगिक नगरी की ऐसी जर्जर सड़कों की हालत होने से व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है।

अतः सदन के माध्यम से जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद के माता कालोनी, विजयनगर में पूर्व में डाली गई सीवर लाइन को चालू न कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत माता कालोनी, विजय नगर में लगभग 20 वर्ष पूर्व शहर की गन्दगी निकासी हेतु सीवर लाइनें डाली गई थीं। मान्यवर, यह सीवर लाइनें जैसी की तैसी पड़ी हुई हैं जिससे वहां पर गन्दगी की गम्भीर समस्या बनी हुई है। यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है और गरीब एवं मध्यमवर्गीय लोग रह रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से पूर्व में डाली गई सीवर लाइन जिसके धन का सदुपयोग जनहित में हो नहीं पा रहा है, को जनहित में चालू कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिला स्तरीय अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा शोषण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, देश की अस्सी प्रतिशत आबादी गांव में निवास करती है। जहां पर स्वास्थ्य की देखभाल एवं बीमारी की दशा में ग्रामीण निवासियों की निर्भरता ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही रहती है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर जिला स्तरीय अस्पतालों की स्थिति अत्यन्त ही चिन्ताजनक है। डाक्टरों द्वारा मरीजों का आर्थिक उत्पीड़न व शोषण की शिकायतें आये दिन अखबारों में छपती रहती है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार एवं प्राइवेट प्रेक्टिस में लिप्त डाक्टर एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने के आदेश भी समय-समय पर निर्गत होते रहते हैं। परन्तु जनपद के डाक्टर एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के ऊपर सरकार की चेतावनी पर कोई असर नहीं पड़ता है। दिनांक 22-11-2011 को ग्राम बक्सर सी0एच0सी0 बहादुरपुर की फूलमती नाम की एक गर्भवती महिला को जांच के नाम पर जिला महिला चिकित्सालय के डाक्टर द्वारा अल्ट्रासाउण्ड तथा जांच कराने के लिए निजी अल्ट्रासाउन्ड सेन्टर पर भेजा गया, जबकि गर्भवती महिला की स्थिति अत्यन्त ही गंभीर थी। जांच से वापस लौटते समय प्रसव पीड़ा से विछिप्त महिला को अस्पताल के गेट पर ही परिजनों के द्वारा प्रसव कराना पड़ा। सवाल उठता है कि गर्भवती महिला को फ्री जांच व अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा क्यों नहीं प्रदान की गयी ? 9 माह तक आशा एवं ए0एन0एम0 के द्वारा गर्भवती महिला फूलमती के स्वास्थ्य की जांच क्यों नहीं करायी गयी ? चिकित्सालय में सुविधा होते हुए गर्भवती महिला को अल्ट्रासाउण्ड के लिए बाहर क्यों भेजा गया ? ये ऐसे सवाल जो स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचारयुक्त कार्य प्रणाली के द्योतक हैं तथा सरकार के स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार ओपेक चिकित्सालय कैली में डाक्टरों के द्वारा मरीजों के उत्पीड़न को लेकर डाक्टर तथा मरीजों के बीच कई बार गंभीर बवाल हो चुका है जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को भी कराया गया था, परन्तु आज तक सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के नियंत्रण हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और न ही उन डाक्टरों को स्थानान्तरित ही किया गया। सरकार सेवा में रहते हुए चन्द समय में डाक्टरों के द्वारा मरीजों का शोषण कर बड़ी-बड़ी कोठियां व क्लीनिक बना लिये जाते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बड़ा उदाहरण है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर के मितौली कस्बे में नई तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुनील कुमार लाला-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद लखीमपुर के अपने निर्वाचन क्षेत्र कस्ता की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कस्ता में कोई भी तहसील नहीं है यहां के निवासी जिनकी संख्या लाखों में है ये सभी वर्तमान में अपने कार्यों हेतु मोहम्मदी तहसील में जाते हैं जिसकी दूरी लगभग 80 कि0मी0 है। दूरी अधिक होने के कारण यहां की जनता नाराज एवं आक्रोशित है।

अतः उक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैं सदन के माध्यम से जनपद लखीमपुर के मितौली में एक तहसील बनाये जाने की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के श्रम विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से तथा अधिकारियों की निरंकुशता के चलते विभाग को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जन्मेजय सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं।

प्रदेश में श्रम विभाग के अन्तर्गत अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता तथा उच्च अधिकारियों के प्रश्रय के चलते कतिपय अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी से प्रदेश सरकार की छवि निरन्तर धूमिल हो रही है इस सम्बन्ध में स्वेच्छाचारिता से उल्लेखनीय उप निदेशक कारखाना उ0प्र0 नोएडा गौतमबुद्ध नगर का नाम लिया जा सकता है। इनके क्रिया-कलापों में जनपद हरदोई के सण्डीला औ0 क्षेत्र में अमित हेट्रोकेम फैक्ट्री है जिसमें इनका विशेष लगाव एवं संरक्षण रहा है। उक्त फैक्ट्री में नियमों के विरुद्ध भारी मात्रा में रसायनों एवं गैस का भण्डारण किया जाता रहा है। जो इन्हीं के प्रश्रय के कारण ही सम्भव हो सका।

उपरोक्त के सम्बन्ध में जांचोपरान्त श्रमायुक्त ने प्रश्नगत घटना के लिए श्री अनुराग श्रीवास्तव, उप निदेशक, कारखाना को दोषी मानते हुए अपने पत्र दिनांक 18-04-2012 के द्वारा श्री अनुराग श्रीवास्तव एवं अन्य के विरुद्ध उ0प्र0 (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत आरोप-पत्र जारी कर विभागीय जांच कराने की संस्तुति शासन को प्रेषित की है।

संगत विषय पर यह भी उल्लेखनीय है कि उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0 नोएडा द्वारा यह कहकर अपने अधीन एवं अन्य लोगों को धमकाया जाता है कि मैं तो हर सरकार में अपनी पकड़ रखता हूं मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। मुझे सरकार की छवि से क्या लेना देना है मैं तो अपने निजी लक्ष्य पर कारित कार्यवाही कर अपने उच्च अधिकारियों को अपनी जेब में रखता हूं।

वर्णित परिप्रेक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के सुशासन के आकांक्षा को समूल नष्ट करने वाले ऐसे स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश अधिकारियों के प्रति तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने तथा जांचोपरान्त आख्या सदन के पटल पर रखने हेतु सरकार को निदेशित करने का कष्ट करें।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर नगर पालिका क्षेत्र साहूकारा में विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के नगर पालिका क्षेत्र में मोहल्ला साहूकारा में विद्युत आपूर्ति की अव्यवस्था की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यहां पर विद्युत आपूर्ति काफी दूरी से की जाती है। जिसके कारण मोहल्ले में बहुत लो-वोल्टेज आते हैं। जिसके कारण इस क्षेत्र में कोई भी व्यवसायिक व घरेलू कार्य नहीं हो पाता है। यहां पर 400 के0वी0 का एक ट्रान्सफार्मर लगाने का स्टीमेट काफी समय पूर्व उच्च अधिकारियों को भेजा गया था। मगर उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिसके कारण जनता में भारी रोष व्याप्त है, तथा इस

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सम्बन्ध में क्षेत्रवासी धरना व प्रदर्शन व ज्ञापन उच्च अधिकारियों को देते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में इस समस्या के समाधान हेतु विधान सभा में पहले भी प्रश्न उठाया गया था। यहां पर जनहित में 400 के0वी0 का एक अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगना नितान्त आवश्यक है। यदि इसमें अविलम्ब कार्यवाही नहीं हुई तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में गंगोह विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नलों का पानी दूषित होने के कारण फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप चौधरी-

[मान्यवर, अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत प्राइवेट नलों का पानी बहुत दूषित हो चुका है, जिस कारण क्षेत्रवासी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिये विधान सभा क्षेत्र गंगोह के ग्राम बीनपुर, जाण्डखेड़ा, जन्धेड़ी, जेहरा, चौरा, काशीपुर, बम्बयाला, माजरी, जुखेड़ी, बूड़नपुर, नूरखेड़ी आदि ग्रामों में पानी की टंकियों का निर्माण कराकर इस समस्या को दूर किया जाये। इस कारण क्षेत्रवासियों में भय का माहौल बना हुआ है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

वर्तमान उ0 प्र0 सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापसी के अनुरूप भू-अधिग्रहण का मुआवजा/प्रतिकर दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संत प्रसाद-

[मान्यवर, कुवेर सिंह व ताहर सिंह पुत्रगण स्व0 प्यारे सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी, भू0 अधिग्रहण गौतमबुद्धनगर को अपने अधिकार पत्र/बिक्री-पत्र संलग्न कर मुआवजा प्राप्त करने हेतु कई बार आवेदन किया परन्तु मुआवजा नहीं मिला।

मुआवजा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका नं0 52619/09 दाखिल की जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने काउण्टर (जवाब) में कहा कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण मुआवजा देने में असमर्थता जाहिर की और कहा कि प्रतिकर/मुआवजा बना हुआ अथॉरिटी के पास तैयार है।

परन्तु आज वर्तमान सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अपना वाद सितम्बर, 2012 में वापस ले लिया गया है। यह वाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निवर्तमान बसपा सरकार द्वारा दाखिल किया गया था जिसका नं0 ट्रांसफर पेटिशन (सिविल) 430/08 मैसेस नोएडा ग्लोबल सेज/प्रा0लि0 यूनियन ऑफ इण्डिया था।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए संबंधित को प्रतिकर/मुआवजा दिलाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, गाजीपुर अन्तर्गत गंगा नदी में बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गंभीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र सैदपुर, जनपद गाजीपुर में एक सरकारी शीतगृह (कोल्ड स्टोर) सैदपुर जो 12 वर्ष से बन्द पड़ा है इसे तत्काल चालू कराया जाय जिससे किसानों को फायदा हो तथा विधान सभा का विकास हो सके।

मान्यवर, मेरे विधान सभा में गंगा नदी पर आज 10 वर्ष से बन रहे सैदपुर मारूखपुर (चंदौली) पुल का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, इस पुल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर चुनावी सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने मुखार बिन्दु से कहा कि सपा की सरकार बनते ही इस अधूरे पुल को शुरू कराऊंगा, इस पुल का निर्माण हो जाने के सहारे विधान सभा का विकास होगा तथा आने जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।

मान्यवर, मेरे विधान सभा का सबसे गंभीर प्रश्न है यह कि गंगा गोमती नदी का जो मिलान हो रहा है। उससे बहुत से गांव कटान के कगार पर आ गये हैं। जिससे ये गांव कुछ ही दिनों में नष्ट होने की सम्भावना है।

गोमती-नुरूद्दीनपुर, गदनपुर, गौरी, गोरखा, भुजाड़ी, गौरहट, तेतारपुर आदि।

गंगा-पटना सैदपुर मलहाटोला, सैदपुर टाऊन रौजा द्वार-चकेरी धाम फूलवारी आदि।]

जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में नील गायों की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

[महोदय, जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में किसानों के जीविकोपार्जन का कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। यहां के किसानों की मेहनत और लागत दोनों को नीलगायों द्वारा नष्ट कर देने से सिराथू क्षेत्र के किसान भुखमरी के कगार पर हैं। इस समस्या का कृषि और किसान हित में समाधान के लिए क्षेत्रीय किसानों द्वारा सरकार से बार-बार मांग एवं आन्दोलन किया जाता रहा है, परन्तु नीलगायों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है और आन्दोलित भी हैं। नीलगायों के कारण दुर्घटनाओं की भी बाढ़ आ चुकी है। कृषि और किसान हित में निम्न कार्य अविलम्ब कराया जाना आवश्यक है।

1-नीलगायों से फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में नील गायों का **ऊंची दीवालों वाले बाड़े (बन्दी गृह)** का आवश्यकतानुसार निर्माण कराया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-नीलगायों से किसान और कृषि की बर्बादी रोकने के लिए मनरेगा के मजदूरों से फसलों की रखवाली कराई जाय।

3-नीलगायों के बन्दी गृह का निर्माण जब तक पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक सरकारी खर्च पर फसलों और खेतों का बीमा कराया जाय तथा क्षति होने पर किसानों को 50 हजार प्रति बीघे की दर से प्रति वर्ष मुआवजा दिया जाय।

4-नीलगायों के कारण आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से घायल होने और मरने वालों को किसान दुर्घटना बीमा की तरह लाभ प्रदान किया जाय।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर नीलगायों के बन्दी गृह निर्माण एवं कृषि बीमा तथा मनरेगा के मजदूरों से खेतों की रखवाली कराने की कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नील गायों से कृषि और किसान को बचाने के लिए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के सुभाष नगर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश अग्रवाल-

[महोदय, बरेली महानगर के सुभाष नगर में कन्या महाविद्यालय की मांग जनता द्वारा पिछले कई वर्षों से की जा रही है। पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने के बाद भी सरकार द्वारा बालिकाओं की शिक्षा के निमित्त संवेदनहीनता खेदजनक है।

बरेली महानगर के अतिशय विस्तार में सुभाष नगर से करैली-करगैना तक सघन आबादी क्षेत्र बन चुका है। इससे जुड़ा हुआ क्षेत्र मढ़ीनाथ का भी है। शिक्षा की दृष्टि से इस क्षेत्र में कोई सरकारी उपक्रम नहीं है। ऐसी स्थिति में छात्राओं की बड़ी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय स्तर पर एक कन्या महाविद्यालय की महती आवश्यकता है। महाविद्यालय की स्थापना के लिए सुभाष नगर स्थित बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर में पर्याप्त व अतिरिक्त भूमि भी है। चूंकि बालिका शिक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है इसलिए बरेली के सुभाष नगर में तत्काल कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराया जाना जनहित में अपरिहार्य है।

अतः व्यापक लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नियम-301 के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

तहसील मोहनलालगंज, लखनऊ में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदा प्रताप शुक्ला-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान लोक महत्व के इस गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ में जन भावनाओं को देखते हुए मुंसिफ कोर्ट की स्थापना किया जाना आवश्यक है। शासन स्तर पर इस कोर्ट की स्थापना का विषय 29-07-2005 को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा एवं तत्कालीन जिला न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा संयुक्त रूप से तहसील भवन में रिक्त हाल का निरीक्षण किया गया था और न्यायिक कार्यों के प्रयोजनार्थ उपयुक्त पाते हुए मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु प्रमुख सचिव, राजस्व एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल को पत्र लिखा था जो जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे वहां के स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से तत्काल मुंसिफ कोर्ट की स्थापना कराए जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी बिजली विभाग में कार्यरत श्री रामपाल यादव की हत्या की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम मगन-

[महोदय, सरकार सदन एवं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के मामले की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बिजली विभाग में कार्यरत श्री रामपाल यादव की हत्या दिनांक 31 जुलाई की रात्रि में अज्ञात अपराधियों द्वारा कर दी गयी।

जिसका मुकदमा अपराध संख्या-116/2012 थाना-सुबेहा, जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत धारा-302 अंकित किया गया। थाने की पुलिस बिना सोचे विचारे बिना गहनता की जांच किये मृतक के 3 सगे भाई व भतीजे को उक्त मुकदमें में 12 जुलाई को जेल भेज दिया। यह मामला मा0 मुख्य मंत्री के पास 25 जुलाई को लाया गया। उन्होंने माना कि पुलिस ने अन्याय किया है। मुख्य मंत्री जी ने थाना दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया और पूरे मामले की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से करवाने का आश्वासन दिया। इस मामले में गृह विभाग ने जांच तो किया परन्तु अब तक प्रभावित पक्ष को कोई लाभ नहीं मिला।

अतः इस पूरे प्रकरण में सरकार से न्याय दिलाये जाने की मांग की जाती है।]

नगर पालिका परिषद् सीतापुर में सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। नगर पालिका परिषद् सीतापुर जनपद सीतापुर मे सीवर लाइन न होने के कारण जल भराव की समस्या बनी रहती है। शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था जनहित मे तत्काल कराये जाने की आवश्यकता है। पिछली सरकार में बार-बार अनुरोध करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सीवर लाइन की समस्या बहुत पुरानी समस्या है और यह जिला पिछड़ा जिला है। ज्यादातर आबादी पिछड़े गरीब तबके की है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल निराकरण कराये जाने एवं शहर में सीवर लाइन की व्यवस्था कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बेल्थरा रोड एवं पूरे बलिया जनपद में 2 हार्सपावर मोटर पम्पसेट का कामर्शियल कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोरख पासवान-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा 357 बेल्थरा रोड एवं पूरे बलिया जनपद में दो हार्सपावर विद्युत मोटर पम्पसेट से कृषि कार्य हेतु कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है जबकि दो हार्सपावर का कामर्शियल कनेक्शन दिया जा रहा है। इस जनपद से सटे जनपद गाजीपुर मऊ इत्यादि जिलो मे कृषि कार्य हेतु दो हार्सपावर मोटर पम्पसेट कृषि कनेक्शन दिया जा रहा है। जिले के सम्बन्धित अधिकारियों से वार्ता करने पर कहते हैं कि कोई शासनादेश नहीं है जनपद बलिया मे अधिकांश छोटे एवं अत्यन्त निर्धन किसान हैं जिनका मुख्य पेशा कृषि है यदि दो हार्सपावर का विद्युत मोटर कनेक्शन कृषि कार्य हेतु दे दिया जाता तो किसानों को सुविधानुसार सिंचाई की समस्या का समाधान हो जाता यह जनहित का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए दो हार्सपावर विद्युत कृषि कनेक्शन कृषि कार्य हेतु दिये जाने की मांग करता हूं।]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा राइस मिल के चावल न लिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश के राइस मिलर्स के चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेने के विभिन्न प्रकार कमियां बताकर इनकार किया जा रहा है। किसानों के धान शासन द्वारा विभिन्न एजेंसियों के मार्फत क्रय कराकर मिलों को दिया जाता है। परन्तु मिल मालिकों का उत्पीड़न खाद्य निगम द्वारा उक्त धान से बने चावल को न लेकर किया जा रहा है। यह समस्या पूरे प्रदेश में है। जनपद सीतापुर में तो यह समस्या भयंकर रूप से है, लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर के मिल मालिक तो हड़ताल तक कर रहे हैं और अपनी-अपनी मिलें बन्द कर दिये हैं जिससे किसानों के धान की खरीद भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रही है। वर्तमान समय में स्टेट पूल भी चालू किये जाने की आवश्यकता है ताकि समस्या का समाधान हो सके।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान दिलाते हुए समस्या का समाधान किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत साऊपुरा-सादुल्लानगर-गौरा चौकी मार्ग को जोड़ने हेतु कुआनों नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल युसूफ मलिक-

[मान्यवर, उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना चाहता हूं कि शासनादेश संख्या 189(1)23-11-2006, दिनांक 11-3-2006 को लोकप्रिय सरकार द्वारा 281.45 लाख रुपये पुल

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धन स्वीकृत किया गया था जिसमें कुआनों नदी के अन्तर्गत कई पिलर का निर्माण किया जा चुका है लेकिन वन विभाग द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण पुल का निर्माण कार्य बाधित है जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है। लोक निर्माण खण्ड बांसी, सिद्धार्थनगर द्वारा साइड में 02 किमी0 अतिरिक्त पहुंच मार्ग तथा 150 मीटर मुख्य पहुंच मार्ग डुमरियागंज साइड एवं तटबन्धों की सुरक्षा किया जा चुका है। प्रकरण माननीय वन मंत्री के संज्ञान में है, लेकिन इतने दिन से रुके हुये निर्माण से जनता मे व्यापक असंतोष है, और इस लोक प्रिय सरकार द्वारा यह घोषणा की गयी है कि सभी अधूरे पुलों का निर्माण कार्य जो नदियों पर रुका हुआ है उसे तत्काल पूरा कराया जायेगा।

अतः माननीय अध्यक्ष, आप से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण पर आपके माध्यम से उक्त पुल के निर्माण में जिसका शिलान्यास आपके कर कमलों द्वारा हो चुका है उसमें जो आपत्ति वन विभाग द्वारा की गयी है उन्हें दूर करने के लिये सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। जिससे जनता में जो अविश्वास आया है वह दूर हो सके और निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके।]

विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद आगरा में मुख्य मार्ग को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री छोटेलाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद जनपद आगरा में मुख्य मार्ग से ग्रामों को जोड़ने हेतु प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत व विधायक निधि से ग्रामों को लगभग 6-10 वर्ष पहले जोड़ा गया था। जो अब काफी छतिग्रस्त है, जो निम्नवत् है :- 1-बड़ा गांव समसाबाद मार्ग से ऊंचा पावसर फतेहाबाद मार्ग तक। 2-फतेहाबाद से नगर चन्द्र इधौन मार्ग तक। 3-रामपुर साविद मार्ग तक। 4-फतेहाबाद मार्ग से नगला गड़रिया मड़ावना मार्ग तक। 5-फतेहाबाद से भटा की पीपरी तक। 6-गढ़ी उसरा आदि मार्ग प्रधान मंत्री सड़क योजना व नगरचन्द इधौना अम्बारी ग्राम तक, फतेहाबाद फिरोजाबाद से चरपुरा, रामपुर से धरियाई, वाजीदपुर से पैतीखेड़ा मार्ग से नाहर का पुरा मार्ग तक, नागरचन्द इधौन मार्ग से बैहड़ी मार्ग तक, साकुंरी खुर्द तारौली गूजर मार्ग से बीच का पुरा आदि मार्ग विधायक निधि से वर्ष 2002 से 07 तक बने होने के कारण काफी छतिग्रस्त हैं। लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय लोगो मे भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अवलम्बनीय विषय पर शासन का धन आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़को का मरम्मत कार्य कराये जाने का मांग करता हूं।]

जनपद महोबा में खनिज क्षेत्र एवं लोक निर्माण विभाग के जर्जर, ध्वस्त सड़कों के शीघ्र निर्माण हेतु राशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

[महोदय, अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद महोबा में खनिज क्षेत्र की ग्रामों की सड़क जिनका निर्माण खनिज विकास निधि से होता है लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रदेश में सबसे अधिक खनिज

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजस्व प्रदान करने वाला अग्रणी होने के बाद व खनिज क्षेत्र के ग्रामों में एक रुपये का भी कार्य खनिज विभाग द्वारा न होने के कारण यातायात काफी कठिनाई भरा एवं प्रदूषण युक्त रहने के कारण अनेक बड़ी दुर्घटनायें होने से क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त होने के कारण कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती हं।

अतः महोबा विधान सभा क्षेत्र की इन सड़कों जिनमें 1-राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम काली पहाड़ी-गंज, धरौन, होते हुए कबरई तक। 2-कबरई से काजी बम्भौरी बिलबई होते हुए महोबा तक। 3-ग्राम-गंज से जुझार, भटेवर होते हुए ग्राम बरात पहाड़ी तक। 4-राष्ट्रीय राज मार्ग ग्राम-पहरा, खरका, खुनैचा, सुकोरा, रैवारा होते हुए ग्राम-रिवई राष्ट्रीय राजमार्ग तक। 5-राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम-अलीपुरा, मकबई, डहर्रा होते हुए गुगौरा चौकी राष्ट्रीय राजमार्ग तक। 6-कबरई से ग्राम-कैमहा, बीला उत्तर एवं बीला दक्षिण तक का निर्माण खनिज विकास निधि द्वारा एवं इसी प्रकार-लो0नि0वि0 की सड़कें ग्राम-एचाना से सुरहा होते हुए ग्राम-ग्योंडी तक। 1-ग्राम बरबई से कहरा, सिरसी कला होते हुए ग्राम-अटघार तक। 2-ग्राम-बरमौली से बहिंगा होते हुए कहरा तक। 3-ग्राम-ग्योंडी से ग्राम-कुनैहटा तक। 4-ग्योंडी से ग्राम-खन्ना तक। 5-ग्राम-चिचारा, से मवई खुर्द। 6-सूरा चौकी से ग्राम-सिजहरी होते हुए आगे मजरों तक। 7-ग्राम-श्रीनगर से बनिया तला, रैपुरा ग्राम होते हुए सूपा मोड़ तक तथा 2 वर्ष पूर्व से स्वीकृत सड़क महोबा से चरखारी होते हुए मुस्करा तक लगभग 40 कि0मी0 शासन से धन की अगली किस्त आवंटित न होने के कारण अधूरी पड़ी हुई है। इन सभी सड़कों का निर्माण जनहित मे शीघ्र की जानी की राज्य सरकार से मांग है कि।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर अविलम्ब ध्यान दिये जाने की कृपा करते हुए शीघ्र आवश्यक धनराशि सम्बन्धित विभागों को निर्गत किये जाने एवं लापरवाह एवं भ्रष्ट लोगों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा एत्मादपुर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मपाल सिंह-

[महोदय, उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि जनपद आगरा की एत्मादपुर विधान सभा भौगोलिक दृष्टि से 60 से 70 प्रतिशत भाग पूर्ण रूप से देहाती क्षेत्र है। कस्बा एत्मादपुर के आस-पास सैकड़ों गांव हैं जहां की हजारों छात्रायें, आस-पास राजकीय कन्या महाविद्यालय न होने के वजह से पढ़ने से वंचित रह जाती हैं क्योंकि एत्मादपुर कस्बा से आगरा लगभग 15-20 कि0मी0 दूर पड़ता है। अधिकांशतः क्षेत्रीय जनता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने एवं अपनी बेटियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी अभिभावक उन्हें इतना दूर नहीं भेज पाते हैं। ऐसी स्थिति मे एत्मादपुर कस्बा में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद चन्दौली में प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिये स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन-

[आपको अवगत कराना है कि जिला मुख्यालय जनपद-चन्दौली को नया जिला बने कई वर्ष बीत जाने के बाद भी जनपद में एक भी खेल का मैदान (स्टेडियम) नहीं है जिससे जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अन्यत्र जनपदों में जाना पड़ता है। जिसके कारण प्रतिभावान खिलाड़ियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के कतिपय मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरण सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा विधान सभा क्षेत्र 90, आगरा ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। 1-देवरी रोड सेमरी से नगला कली तक। 2-कौलखा से नगला कली तक। 3-देवरी रोड सेमरी ताल से एस0एस0 पब्लिक स्कूल ग्वालियर रोड तक सम्पर्क मार्ग सीवर लाइन डालने के कारण बरसात के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़क सम्पर्क मार्ग ध्वस्त हो चुके हैं। सीवर ढक्कन खुले हुए हैं। कभी भी जन हानि हो सकती है। सम्पर्क मार्ग ध्वस्त होने के कारण आवागमन बाधित है जिससे क्षेत्रीय जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त सड़क मार्ग का मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद शाहजहांपुर की डालमियां चीनी मिल में अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से कृषकों के हो रहे शोषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत डालमियां चीनी मिल के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से गन्ना माफियाओं द्वारा भारी पैमाने पर फर्जी सट्टे बनवाकर कृषकों का बड़े पैमाने पर वर्ष-2011-12 में शोषण किया गया था। मेरे द्वारा कई बार इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की जा चुकी है। इसी प्रकार 2012-13 में भी डालमियां चीनी मिल के गन्ना माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी सट्टा बनवाकर कृषकों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सण्डा खास क्रय केन्द्र पर एक ही परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी सट्टे बनवाये गये हैं। ग्राम कोड नं0 9001, कृषक कोड नं0-1027, 1547, 1536, 1153, 1151, 1082, 1067, 1057, 1039, 1032, 1008, 1559 निगोही कोड नं0 9006, 2058, 2171, 2065, 2072, 1080, 1009, 1985, 2061, 1822, 2064, 1144, 2044, 1136, 1102, 1177, 1140, 1229, 1724, 1288, 2388 आदि डालमियां चीनी मिल के समस्त क्रय केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में गन्ना माफियाओं द्वारा फर्जी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सट्टा बनवाकर किसानों का बड़े पैमाने शोषण किया जा रहा है। ऐसे फर्जी सट्टा धारकों की जांच कराकर अतिशीघ्र दण्डात्मक कार्यवाही करायी जाये। जिससे गरीब कृषकों के हो रहे शोषण को रोका जा सके यदि गरीब कृषकों के हो रहे शोषण को अतिशीघ्र सरकार द्वारा न रोका गया तो किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद चित्रकूट के पं0 पुरूषोत्तम द्विवेदी इंटर कालेज में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री बृजलाल के अवशेष देय भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद-चित्रकूट के पंडित पुरूषोत्तम द्विवेदी इण्टर कालेज मऊ में कार्यरत श्री बृजलाल सहायक अध्यापक को दि0 17-07-2006 को तथ्यहीन व झूठे आरोप लगाकर निलम्बन की कार्यवाही की गयी थी। कुछ समय बाद श्री बृजलाल सहायक अध्यापक को जांचोपरान्त वेतन सहित बहाल कर दिया गया था। परन्तु सन् 2006 से आज तक श्री बृजलाल सहायक अध्यापक का अवशेष देय का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण सहायक अध्यापक एवं उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गयी है। जिसको लेकर सहायक अध्यापक बृजलाल मानसिक तनाव में भी रहते हैं। जिसका प्रभाव पंडित पुरूषोत्तम द्विवेदी इण्टर कालेज मऊ में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं पर भी पड़ रहा है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सरकार से मेरा अनुरोध है कि जनपद-चित्रकूट के पंडित पुरूषोत्तम द्विवेदी इण्टर कालेज मऊ में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री बृजलाल के वर्ष 2006 से निलम्बन अवधि तक के अवशेष देय का भुगतान कराने की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद की तहसील कोरांव के अन्तर्गत ग्राम पियरी की सस्ती गल्ले की दुकान का स्थानीय निर्धारण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद इलाहाबाद की तहसील कोरांव के अन्तर्गत ग्राम पियरी के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान ग्रामवासियों की शिकायत पर जांच के दौरान मार्च, 2011 में निलम्बित तथा माह नवम्बर, 2011 में निरस्त कर ग्राम सभा पैतिहा की दुकान से सम्बद्ध कर दिया गया है। जो अत्यन्त दूर होने के कारण कार्ड धारकों के द्वारा वहां से अनाज समेत मिलने वाली अन्य वस्तुओं को नहीं ले पा रहे हैं। उपरोक्त सम्बद्धता में खण्ड विकास अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। वहां के ग्रामवासियों के अनुरोध करने एवं आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद के निर्देश के बावजूद सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सत्तारूढ़ दल के स्थानीय सांसद के दबाव बस ग्राम सभा की खुली बैठक नहीं करायी जा रही है। जिससे सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का स्थानीय निर्धारण नहीं हो पा रहा है जिससे स्थानीय जनता में भारी रोष व्याप्त है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही/दुकान का स्थानीय निर्धारण जल्द किये जाने की मांग करता हूं।]

उ0 प्र0 परिवहन विभाग द्वारा विकलांग के सहवर्ती को पूर्व की भांति किराये में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[उत्तर प्रदेश में विकलांग लोगों को बस में यात्रा करने पर छूट थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत विकलांगिता का प्रमाण-पत्र जिन विकलांगों को निर्गत किया जाता था। उनका बस में एक सहवर्ती के साथ रियायती किराये पर यात्रा की छूट थी।

अभी हाल में ही जारी उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के आदेशानुसार अब 100 प्रतिशत विकलांग को भी न तो सहवर्ती न ही किराये में छूट दी जायेगी।

एक ओर सरकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित करती है। दूसरी ओर इस प्रकार का आदेश जारी करना, दोनों में सम्मेता नहीं है।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से जारी उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश को वापस लिये जाने की कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपनी क्षेत्र की समस्या के तरफ दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पूर्व मे सर्वे हुआ था जिसमें रामनगर ब्लाक के 138 गांव व जहांगीर ब्लाक के 140 गांवों की सूची जिला प्रशासन के पास जांच हो करके बनायी गयी और काफी दिनों से लम्बित है। अभी तक विद्युतीकरण नहीं हो सका है। पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण लोगों की अपेक्षायें काफी हैं और काफी गांव विद्युतीकरण होने से वंचित हैं। स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पाया है। यह जनहित का विषय है, आम जनता से जुड़ा है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र बल्देव, मथुरा की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्देव (मथुरा) की निम्न मुख्य सड़क बहुत ही जर्जर/गड्ढायुक्त होने के कारण चलने योग्य नहीं है आये दिन दुर्घटना हो रही है जिनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-गांव मल्है से गांव होल्ला तक लगभग 1.300 कि0मी0।

2-गैस गोदाम से कटैला पुल तक लगभग 1.500 कि0मी0।

3-बल्देव रोड से नंगला पीता तक लगभग 1.00 कि0मी0।

4-कटैला प्राइमरी पाठशाला से नहर तक लगभग 800 मीटर।

5-राया से सादाबाद रोड से बल्टीगढ़ी तक लगभग 2.00 कि0मी0।

6-अनौड़ा सादाबाद रोड से नगलाहर्राय तक लगभग 600 मीटर।

7-राया सादाबाद रोड से ब्योही बिजहारी तक लगभग 3.00 कि0मी0।

8-कारब बल्देव रोड से सिहोरा मार्ग तक लगभग 2.50 कि0मी0।

9-कारब में पैठ से रमचैलिया तक लगभग 800 मीटर।

10-रामपुर चौराहे से पबेसरा तक लगभग 2.00 कि0मी0।

11-कारब सिहौरा मार्ग से धैनावर होकर पोखर तक लगभग 900 मी0।

12-रामपुर चौराहे से केसर गढ़ी तक लगभग 500 मीटर।

13-कचनाऊ से बरौली तक लगभग 2.00 कि0मी0।

14-बल्देव खंदौली मार्ग से मादोर तक लगभग 1.50 कि0मी0।

15-जादोपुर से सेलखेड़ा तक लगभग 1.00 कि0मी0 लगभग।

16-बरौली से मंगलीगढ़ी तक लगभग 800 मीटर लगभग।

17-पी0बी0एम0बी0 मार्ग से लोहवन तक लगभग 1.00 कि0मी।

18-मथुरा आगरा हाई-वे से झण्डीपुर मार्ग लगभग 2 कि0मी0।

19-रेपुरा जाट से कन्जौली घाट लगभग 3 कि0मी0।

20-अवैरनी से पचावर मार्ग लगभग 3 कि0मी0।

21-राया सादाबाद मार्ग से अनौडा, बिजहारी, ब्यौही मार्ग लगभग 4 कि0मी0।

अतः इस जनहित व लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से मरम्मत कराने के लिये अविलम्ब मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील में पखोदना इण्टर कालेज से रायपुर गांव की सीमा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवती प्रसाद-

[जनपद अलीगढ़ के खैर तहसील में पखोदना इण्टर कालेज से जनपद मथुरा में रायपुर गांव की सीमा तक सड़क का निर्माण किया जाये। मार्ग जनपद अलीगढ़-मथुरा को जोड़ता है। जहां से होकर बड़े एवं छोटे वाहन निकलते हैं सलामत गन्तव्य स्थान तक सही सलामत पहुंचना बड़ा जोखिम पूर्ण कार्य है।

अतः मैं चाहूंगा कि इस मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में शिवदान सिंह इण्टर कालेज से मांट वृन्दावन मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में शिवदान सिंह इण्टर कालेज इगलास से जटवार, गोरई होते हुये मांट वृन्दावन सम्पर्क मार्ग जो वृन्दावन मथुरा जाने के लिये मुख्य मार्ग है ये रोड इतनी जर्जर हो चुकी है कि रोड पर पैदल चलने वाले भी घबराते हैं रोड पर आये दिन दुर्घटनायें होती रहती है। यह मथुरा वृन्दावन तीर्थ धाम का मुख्य रोड है जो मथुरा सीमा में बहुत अच्छा बना हुआ है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के 50 गांवो का मुख्य सम्पर्क मार्ग है इस रोड से बुजरने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोड में दो-दो फुट गड्ढे हो गये हैं जिसके कारण हुई चिकित्सा में देरी से जनता में काफी आक्रोश है क्योंकि इस रोड का काफी वर्षों से पुनर्निर्माण नहीं हुआ है रोड का पुनः निर्माण हो जाने से जनहित में हुई चिकित्सा में देरी एवं दुर्घटना को कम किया जा सकता है, जिससे जनता का आक्रोश भी समाप्त हो जायेगा।

अत इस लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के कतिपय पुलों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलवीर सिंह-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र बरौली (अलीगढ़) में निम्न पुल टूटे या अधूरे पड़े हुये हैं कृपया जनहित में इन्हें शीघ्र पूर्ण कराने के लिये मैं इस प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

1-पलडा ड्रेन पर नाई नगला और राजगढ़ी ब्लाक जवां के बीच में टूटा हुआ पुल।

2-पलडा ड्रेन पर तालेपुर और रायपुर दहली के बीच में टूटा हुआ पुल।

3-सुमेरा राजवाहा पर माछुआ स्केव पर सिल्ला के निकट टूटा हुआ पुल।

4-पलडा ड्रेन पर ग्राम खुर्द खेड़ा और ग्राम जिनामाई के बीच में अधूरा बना हुआ पुल।

नये प्रस्तावित पुल-

1-अलीगढ़ नाले पर ग्राम दाऊदपुर के निकट।

2-अलीगढ़ नाले पर ग्राम राजमऊ और कलुआ के बीच में।

3-त्यौर माइनर पर ग्राम कनौरा के पास।

4-सोमना ड्रेन पर ग्राम कंदौली व ग्राम बंसई पर।

5-सोमना ड्रेन पर ग्राम जखौता के निकट।

6-नहरौला ड्रेन पर ग्राम वीरपुरा के निकट।

7-कालीनदी पर ग्राम महमूदपुर व नगला भ्रूण के बराबर नदी पर रपटा पुल।

8-कालीनदी पर ग्राम बरानदी एवं ग्राम कल्यानपुर पर नये पुल का निर्माण।

अतः मैं चाहूंगा कि इन पुलों का मरम्मत/निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0प्र0 के नवनिर्वाचित माननीय विधान सभा सदस्यों के साथ तैनात सुरक्षा कर्मियों का टी0ए0/डी0ए0 बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेशपति त्रिपाठी-

महोदय,

उ0प्र0 के नवनिर्वाचित विधान सभा के सदस्यों को शासन द्वारा सुरक्षाकर्मी प्रदान किए गए हैं। उनका टी0ए0/डी0ए0 अन्य पुलिस कर्मियों से बहुत कम है। जबकि उपरोक्त सुरक्षाकर्मी माननीय विधायक के साथ चौबीस घण्टे अपनी तल्लीनता के तथा लगन के साथ सुरक्षा प्रदान करते हैं। चूंकि उपरोक्त सुरक्षाकर्मी अन्य पुलिस कर्मी की अपेक्षा शासनादेश के तहत नियमों का ढंग से पालन करते हुये पूर्णतया अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं और माननीय विधान सभा सदस्य को पूर्णतया सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में यह विधिक होगा कि माननीय सदस्य विधान सभा में लगे हुये सुरक्षाकर्मी का टी0ए0/डी0ए0 वेतनमान बढ़ाया जाना न्यायोचित होगा।

अतः लोकमहत्व के इस प्रश्न पर अविलम्बनीय विचार करने की कृपा करें।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा की एशियन फर्टिलाइजर प्रा0 लि0 से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयप्रकाश निषाद-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना है कि जनपद-गोरखपुर के मेरे विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के विकास खण्ड-सरदार नगर के अन्तर्गत अवधपुर ग्राम सभा के देवकहियां टोला में एशियन फर्टीलाइजर प्रा0 लि0 नाम की फैक्ट्री संचालित हो रही है, उक्त फैक्ट्री से प्रदूषित कचरा एवं जहरीली गैस अत्याधिक मात्रा में निकल रही है, जिसके कारण क्षेत्रीय वातावरण पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गया है, फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण से क्षेत्रीय जनता का जन जीवन पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया है, क्षेत्रीय जनता जान लेवा गंभीर रोग से ग्रसित हो रही है, दर्जनों लोग अन्धे एवं अपंग हो गये हैं। क्षेत्रीय किसानों की फसलें प्रदूषित एवं जहरीली गैस के कारण झुलस कर जल गयी हैं। प्रदूषण के कारण क्षेत्रीय किसानों की भूमि बंजर हो रही हैं। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त एश्यिन फर्टीलाइजर प्रा0 लि0 से निकलने वाले प्रदूषित कचरे एवं जहरीली गैस को बन्द किये जाने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध भी किया जा चुका है, परन्तु अभी तक शासन द्वारा क्षेत्रीय जनता की समस्या के निदान हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्याधिक रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मझवां के सूखे पड़े जलाशयों में जल की उपलब्धता कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र-

[महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद-मिर्जापुर के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां के अन्तर्गत बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। जिसके माध्यम से क्षेत्र में स्थित लोवर खजूरी बंधी आदि छोटे बड़े जलाशयों में पानी जाता है, जिससे क्षेत्रीय कृषि भूमि की सिंचाई होती है, और

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

क्षेत्रीय किसान सिंचाई हेतु उन्हीं जलाशयों पर ही निर्भर हैं, परन्तु वर्तमान समय में उक्त सभी जलाशयों में पानी नहीं जा रहा है, सभी जलाशय सूखने की कगार पर हैं उनमें पानी न उपलब्ध होने के कारण किसान अपनी खेतीहर भूमि की सिंचाई नहीं कर पर रहे हैं। मा0 सिंचाई मंत्री जी ने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सभी जलाशयों में पानी उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भी दिये थे परन्तु अभी तक क्षेत्रीय जलाशयों में पानी नहीं जा सका है। जिससे क्षेत्रीय जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षेत्रीय जलाशयों में यथाशीघ्र पानी उपलब्ध कराये जाने की भी मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र रसड़ा, बलिया में नहर के क्षतिगस्त होने के कारण प्रत्येक वर्ष सैकड़ों एकड़ जमीन के जलमग्न होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमा शंकर-

[मान्यवर, मैं जनहित एवं कृषक हित के एक विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत एक नहर जो कि दोहरी घाट सहायक मुख्य नहर से निकलकर ग्राम सभा नरांव से गुजरती है, वो नहर इतनी क्षतिग्रस्त है कि जब भी उसमें पानी छोड़ा जाता है तो ग्राम सभा नरांव के सामने के सैकड़ों एकड़ खेत में पानी भर जाता है जिससे किसानों को काफी नुकसान के साथ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्राम सभा नरांव के सामने वाले हिस्से की नहर को कृषक हित में पक्की कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कृषकों के इस गम्भीर संकट को देखते हुए इस विषय पर कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत खड्डा, पडरौना में प्लाट खरीदारों द्वारा स्टाम्प चोरी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुधाकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत खड्डा तहसील पडरौना में 5000 स्क्वायर फीट जमीन जिसमें 2000 स्क्वायर फीट जमीन में निर्माण आवासीय है जिसको श्री विजयानन्द श्रीवास्तव उर्फ संजय श्रीवास्तव पुत्र स्व0 जगदीश लाल श्रीवास्तव निवासी नगर पंचायत खड्डा तहसील पडरौना कुशीनगर क्रेता श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी विजय कुमार अग्रवाल निवासी नगर पंचायत खड्डा तहसील पडरौना के द्वारा मात्र 200/- रुपये के स्टाम्प पर क्रय विक्रय दस लाख रुपये में की गयी जिसमें आठ लाख चेक द्वारा पंजाब नेशनल बैंक शाखा सोहरौना खड्डा कुशीनगर के द्वारा किया गया तथा दो लाख रुपया नकद दिया गया। इस तरह से क्रय विक्रय में राजस्व कर की चोरी हुयी है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच नगर के मोहल्ला बड़ीहाट के पूर्णतया आवासीय क्षेत्र में स्थित टीन के बक्सा आदि बनाने के कारखाने से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदय राज-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद बहराइच नगर के मोहल्ला बड़ीहाट के पूर्णतया आवासीय क्षेत्र में स्थिति श्री लक्ष्मण प्रसाद के टीन का बक्सा, अलमारी आदि बनाने का कारखाना स्थापित कर रखा है जिससे हो रहे ध्वनि प्रदूषण से मोहल्ला वासियों, बुजुर्गों, बच्चों, बीमार लोगों को ध्वनि के कारण अत्याधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में दैनिक जागरण अखबार के दिनांक 15-7-2012 को सेहत का शत्रु है ध्वनि प्रदूषण, का प्रकाशन भी हो चुका है। दिनांक 4-7-2012 को जनपद फैजाबाद मण्डल के फैक्ट्री निरीक्षक द्वारा निरीक्षण भी किया गया तथा फैक्ट्री मालिक से कहा कि इस कारखाने के क्षेत्र वालों को ध्वनि प्रदूषण से कोई आपत्ति नहीं है मोहल्ले वालों से लिखवा कर भेज दी बाकी मैं देख लूंगा।

उक्त कारखानें को पूर्णतया आवासीय क्षेत्र से हटवा कर अन्यत्र स्थानान्तरण कराना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्वनि प्रदूषण तथा इससे होने वाली घातक बीमारी से मोहल्ले वासियों को बचाने हेतु नियम-301 में उठाने हेतु आपकी अनुज्ञा चाहता हूं।

जनपद इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्र के राजरूपपुर मोहल्ले में सी0सी0 रोड बनाये जाने एवं पानी का प्रेशर बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती पूजा पाल-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं कि जनपद इलाहाबाद में मेरे विधान सभा शहर पश्चिमी क्षेत्र के राजरूपपुर मोहल्ले की मुख्य सड़क चकिया राजरूपपुर मार्ग पर स्थित दुर्गा मन्दिर के बगल की सड़क जो लगभग 100 मीटर है जिस पर खडन्जा बिछा होने के कारण पाइप लाइन डालने से सड़क की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है जबकि अगल-बगल की सड़क पर सी0सी0 रोड का निर्माण हो चुका है । सड़कें की नाली की मरम्मत विगत 25 वर्षों से न होने के कारण नाली में भरा हुआ पानी घरों के अन्दर सीलन उत्पन्न कर रहा है तथा सड़क पर डाली गई पाइप लाइन में प्रेशर न होने से पानी घरों में नहीं आ पा रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत उक्त सड़क पर सी0सी0 रोड का निर्माण एवं पाइप लाइन में प्रेशर बढ़वाने सम्बन्धी लोक महत्व की इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में सड़क निर्माण के साथ सम्बन्धित कार्य को अविलम्ब कराये जाने की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद इलाहाबाद के करैलाबाग क्षेत्र की सड़क एवं नाली की अत्यन्त जर्जर हालत ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

हाजी परवेज अहमद (टंकी)-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद इलाहाबाद में मेरे विधान सभा क्षेत्र करैलाबाग में एम0एल0 कान्वेंट स्कूल से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाली सड़क के पास श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव टी0टी0ई0 के मकान से मकान नं0-224ए/1 तक की सड़क व नाली की स्थिति अत्यन्त जर्जर है जिसके कारण मोहल्लेवासियों को अत्यन्त असुविधा होती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत उक्त सड़क व नाली के मरम्मत/निर्माण हेतु लोक महत्व की इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उक्त कार्य को अविलम्ब कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बागपत की हिन्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरपाल राठी-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम घुन्डपुर मिलाना खपराना के पास हिन्डन नदी बहती है। लोगों के खेत हैं। जिस कारण गांव के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस पर पुल बनाये जाने से जनपद-बागपत एवं जनपद मेरठ को आपस में जोड़ा जा सकता है। जिस कारण परिवहन आदि की आय बढ़ सकती है।

अतः तुरन्त पुल बनाया जाये।]

प्रदेश में वर्ष 1980-1995 के मध्य नियुक्त चिकित्साधिकारियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय की जानकारी लाना चाहती हूं। श्रीमान जी स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 1980 से 1995 के अन्तराल में नियुक्त चिकित्साधिकारियों में से कई चिकित्साधिकारियों ने पूर्व में की गई सैन्य सेवा का अनुचित लाभ लेते हुए गैरकानूनी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय।

(जिसके अनुसार सरकारी सेवा में वही पूर्व सैन्यकर्मी ज्येष्ठता का लाभ पाने के हकदार हैं जो किसी विदेशी आक्रमण के दौरान देश की रक्षा करने हेतु सैन्य सेवा में भर्ती हुए थे। साधारण समय में सेना में भर्ती हुए कर्मी उक्त लाभ के हकदार नहीं होंगे।) की अवहेलना करते हुए चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची में अपने वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों से ज्येष्ठ स्थान पर अपने आप को स्थापित करवा लिया है एवं गलत तरीके से प्रोन्नति प्राप्त कर ली तथा भविष्य में भी लाभ लेते रहेंगे।

अतः आपसे अनुरोध के साथ इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ शासन का ध्यान आकृष्ठ करते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में दस नलकूप स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[महोदय, विधनसभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में सिंचाई की सुविधा न होने से यहां का किसान काफी पिछड़ा है। यह इलाका अत्यन्त गरीब है। यहां पर काफी संख्या में लघु व सीमान्त किसान हैं जो कि स्वयं नलकूप स्थापित करनें में असमर्थ हैं । कृषि उपज बढ़ाने के लिए नलकूपों का स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यहां का किसान पानी की सुविधा नहीं होने से परंपरागत रूप से प्रकृति के सहारे खेती करता है। जिससे पानी न बरसने से प्रायः सूखे का सामना किसान करता है। फसल बरबाद होने से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। किसानों की जीवन दशा सुधारने के लिए इनकी खेती के लिए पानी की उपलब्धता जरूरी है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए दस नलकूप की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें।

अतः मैं उक्त अबिलम्बनीय लोक महत्व कि विषय पर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा में भूपौली पम्प जीर्णोद्धार परियोजना को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुशील सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र सकलडीहा जनपद-चन्दौली के अन्तर्गत भूपौली पम्प जिर्णोद्धार परियोजना का कार्य वर्ष 2003-04 में प्रारम्भ हुआ था, जिसकी अनुमानित लागत 4835.16 लाख थी, लेकिन परियोजना में विलम्ब के कारण वर्तमान में उक्त प्रोजेक्ट की लागत 10045.09 लाख रुपये हो गयी है। यह परियोजना मेरे क्षेत्र के लिए सिंचाई हेतु सबसे बड़ी परियोजना है, इस परियोजना का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है मात्र 20 प्रतिशत कार्य शेष बचा है, इस परियोजना को पूर्ण होने के लिए अभी लागत-4274.31 लाख की आवश्यकता है।

अतः आप से सादर अनुरोध है कि जनहित में भूपौली पम्प जिर्णोद्धार परियोजना पूर्ण कराने की मांग करता हूं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय के विषय के ध्यानकर्षण सूचना पर मा0 मंत्री के वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ की मुकुन्दपुर बाजार से भदुली होते हुये निरंकारी भवन तक आने वाली सड़क को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान उपरोक्त के सम्बन्ध में आकर्षित कराना चाहता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त सड़क मेरे क्षेत्र की बड़ी प्राचीन मार्ग है। यह मेरे क्षेत्र की अकेली जिला स्तर की मार्ग है। दत्तात्रेय धाम के करीब कुंवर नदी पर नये पुल के निर्माण के बाद इस सड़क पर बड़े व छोटे वाहनों का आवागमन अत्यधिक बढ़ गया है।

मौजूदा सड़क केवल 03 मीटर चौड़ी है। जनता को उस पर अति कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है। जनहित में इस सड़क का चौड़ा किया जाना अति आवश्यक है।

मैं आशा करता हूं कि उक्त कार्य को जनहित में जल्द से जल्द पूर्ण कराने की कृपा करें।]

जनपद संतरविदास नगर की ग्राम पंचायत गोकुल पट्टी के सभी राशन कार्ड ग्राम पंचायत गुवाली स्थित उचित दर की दुकान से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-संतरविदास नगर की वि0ख0 अभोली के ग्राम पंचायत गुवाली स्थित पार्वती उचित दर की दुकान दि0 19-05-2012 को आवंटित की गयी है। उक्त दुकान के आवंटन से पूर्व सभी ग्राम सभा के राशन कार्ड धारकों को ग्राम पंचायत गोकुल पट्टी स्थित उचित दर की दुकान से सम्बद्ध कर दिया था। लेकिन ग्राम सभा में दुकान खुल जाने के उपरान्त भी 1/2 (आधे) राशन कार्ड धारकों को ही पार्वती उचित दर की दुकान से सम्बद्ध किया बाकी आधे कार्ड धारक गोकुल पट्टी स्थित उचित दर की दुकान से राशन लेने पर विवश हैं। दुकान दूर होने के कारण समय से राशन नहीं मिल पाता है। जिससे राशन कार्ड धारकों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से सभी कार्ड धारकों को ग्राम पंचायत गुवाली स्थित उचित दर की दुकान से सम्बद्ध किये जाने की मांग करता हूं।]

नवनिर्मित जनपद शामली का पूर्ण विकास कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[महोदय, जनपद शामली उत्तर प्रदेश का नवसृजित जनपद है। जनपद मुजफ्फरनगर विभाजन करके अलग जनपद शामली बनाया गया है, जिससे कि शामली क्षेत्र विकास सही प्रकार से हो सके, परन्तु जनपद की वास्तविक स्थिति जनपद बनने पूर्व स्थिति से भी काफी खराब है। जनपद विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा है। शामली को जनपद बने हुए लगभग एक वर्ष से ऊपर हो चुका है परन्तु सरकार द्वारा जिला मुख्यालय व विभागीय/कार्यालय बनवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जनपद शामली की सारे ग्रामीण एवं प्रदेशीय सम्पर्क मार्ग हुए हैं यह यातायात के योग्य भी नहीं हैं और बार-बार कहने पर भी विभागीय अफसर कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जनपद शामली में जिला चिकित्सालय उच्चीकृत करने एवं चिकित्सालयों में ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए सरकार कई बार आग्रह किया जा चुका है परन्तु शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जनपद शामली के कई खिलाड़ी क्रिकेट, वालीबाल, फुटवाल, हाकी, शूटिंग आदि खेलों में देश या प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं इसके बावजूद भी जनपद में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्टस स्टेडियम बनवाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मिर्जापुर के नगर पालिका क्षेत्र पाण्डेयपुर में उच्च क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[महोदय, जनपद-मिर्जापुर के नगर पालिका स्थित पाण्डेयपुर को जाने वाली सड़क से संस्कार स्कूल, पाण्डेयपुर वाले रास्ते पर लगभग 150 मीटर में बस्ती बसी हुई है जिस पर निवासियों को पाण्डेयपुर वाली मेन सड़क से विद्युत केवल तार खींचकर ले जाना पड़ा है। निवासियों की विभाग से बार-बार मांग होती रही है कि उनके घर के सामने भी विद्युत पोल लगाकर बिजली दी जाय लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है। केबिल तार लोगों के घर के सामने से गये हैं जिसके कारण उनके बच्चों को छत पर खेलने तथा लोगों को अपने घर के सामने बैठने तथा सामान ले जाने में असुविधा होती है। लम्बी दूरी तक केबिल खींचने से उसमें फाल्ट आदि की समस्या बनी रहती है। इसलिए नगर पालिका स्थित पाण्डेयपुर मेन सड़क से संस्कार स्कूल के सामने जाने वाली गली लम्बाई लगभग 150 मीटर पर आवश्यक विद्युत पोल, तार एवं उचित छमता का ट्रांसफार्मर लगाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सोमैया आर्गेनिक डिस्टलरी फैक्टरी को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद कुशीनगर अन्तर्गत सोमैया आर्गेनिक डिस्टेलरी (फैक्ट्री) कप्तानगंज की स्थापना बहुत पहले की गयी थी। इधर कुछ दिनों से फैक्ट्री मालिक की अर्कमण्यता के कारण बन्दी के कगार पर पहुंच गयी है जिसमें हजारों कर्मचारियों का वेतन भुगतान समय से न होने के कारण से उनका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। जनहित एवं मजदूर हित को देखते हुए फैक्ट्री को सुचारु रूप से चलाया जाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सोमैया आर्गेनिक फैक्ट्री को सुचारु रूप से चलाये जाने की एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोरावार में जल निकासी की समस्या को दूर करने हेतु पम्पिंग स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, जनपद गोरखपुर ब्लाक खोरावार के ग्राम सभा-कजाकपुर में नगर निगम गोरखपुर महानगर के वेतियाहाता, फलमण्डी, ट्रान्सपोर्ट नगर, महुईसुधरपुर, आजाद चौक, रूपसतमपुर से नाले के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा पानी लाकर कजाकपुर में छोड़ दिया गया है। जिससे कजाकपुर, बाड़गो पथरा, भरवलिया, जैसे अनेकों गांव के नागरिक जल जमाव से प्रभावित हैं। इन गांवों में जल जमाव के वजह से आने-जाने में कठिनाईयों के साथ-साथ अनेकों प्रकार के बीमारियों के चपेट में वहां के रहने वाले नागरिक आ रहे हैं। उनका जीना दूभर हो गया है। नगर निगम द्वारा जल निकासी की कोई स्थाई व्यवस्था नहीं की जा रही है। नगर को कजाकपुर से नपाले को आगे ले जाकर जी0डी0ए0 द्वारा स्थापित पम्पिंग स्टेशन रामपुर में नाले को जोड़कर स्थाई जन निकासी की व्यर्वस्था करायी जाय। जिससे आम नागरिक अमन चैन से अपना जीवन यापन कर सकें।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए स्थायी रूप से जल निकासी की व्यवस्था किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका परिषद् के अन्तर्गत जल निगम के द्वारा सीवर के कार्यों व मार्गों के निर्माण में प्रचुर मात्रा में घटिया सामग्री लगाये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय, मेरी विधान सभा में गढ़मुक्तेश्वर नगरपालिका में गढ़ कस्बे व ब्रजघाट में जल निगम संस्थान के द्वारा गहरे सीवर व सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य व अनुबंध के अनुसार मार्गों के निर्माण का कार्य जोकि बहुत ही धीमी गति से चलने के कारण मार्गों को अस्त व्यस्त छोड़ दिया गया है जिससे आवागमन में जनता को भारी समस्या उत्पन्न हो गयी है तथा सीवर डालने में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। मानकों की अनदेखी की जा रही है। 40 करोड़ की योजना में भारी घोटाला व घटिया गुणवत्ता हो रही है। तथा मार्गों का पुनः निमार्ण भी अनुबन्ध में शामिल है। जोकि निम्न स्तर तथा गढ्ढों वाली सड़क लहरहार घटिया सामग्री से बनाई जा रही है। जिससे आम नागरिकों में असंतोष है। त्वरित कार्यवाही हेतु जिसमें गुणवत्ता को बनाये रखने तथा घोटाला व अनियमिताओं को करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं ।]

लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की दिनांक 26-6-1991 से नियमित मानते हुये जी0पी0एफ0 कटौती एवं पेंशन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि विधान भवन, राजभवन, बापू भवन, एनेक्सी भवन में विगत 20 एवं 30 वर्षों से सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2, सिविल अनुरक्षण खण्ड-1 तथा लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2063/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 08-09-2010 के अन्तर्गत दिनांक 29-06-1991 के पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 26-03-2011 को विनियमितीकरण कर दिया गया परन्तु जी0पी0एफ0 कटौती एवं पेंशन का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लाभ न मिलने से समस्त कर्मचारियों में घोर असंतोष व्याप्त है। कर्मचारीगण कभी भी आन्दोलन कर सकते हैं।

अतः इस लोक महत्व एवं अविलम्बनीय प्रकरण पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 29-06-1991 से नियमित मानते हुए जी0पी0एफ0 कटौती एवं पेंशन का लाभ के इस महत्वपूर्ण विषय पर निराकरण करने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकारी सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया के अन्तर्गत गंगा एवं घाघरा नदी के बाढ़ प्रभावित हजारों परिवार बन्धे पर शरण लिये हुए हैं उन्हें जमीन मुहैया कराकर आवास दिये जाने की आवश्यकता है। यह परिवार गरीब तपके के हैं खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही इन लोगों के पास राशन कार्ड ही उपलब्ध है।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

(11.12 बजे) औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5 दिसम्बर, 2013 को नियम-300 की जो 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, इसमें पहली सूचना श्री सतीश महाना की विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-9 के अन्तर्गत विधान सभा के उपाध्यक्ष-पद का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में।, दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देश एवं जारी शासनादेशों के बावजूद अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार एवं प्रोटोकाल का पालन न करने एवं पालनीय निमयों का उल्लंघन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।, तीसरी सूचना श्री राम चन्द्र यादव की नियम-301 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं का उत्तर एक माह के अन्दर न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।, चौथी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व अन्य की राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के बावजूद 250 से 500 की आबादी वाली सड़कों का निर्माण पंचायती राज विभाग से न करवाकर लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।, पांचवी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश के बी0पी0एल0 कार्ड धारक परिवारों की मासिक आय रु0 5000/- तय करके 04 माह तक उन्हें सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने की तिथि न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।, छठी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को इकाई के आधार पर निदेशक/प्रबन्ध निदेशक के पदों पर सीधी भर्ती में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर विज्ञापन प्राकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में।, सातवीं सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की जनपद-बलिया के फेफना विधान सभा क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का वितरण क्षेत्रीय विधायक द्वारा न कराकर मंत्री के प्रतिनिधि द्वारा कराये जाने से

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।, आठवीं सूचना श्री केशव प्रसाद मौर्य की जनपद-कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र में सिराथू, सैनी, अजूहा और बालकमऊ का शिलान्यास एवं लोकापर्ण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में।, नवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की प्रदेश सरकार द्वारा भू0पू0 विधायकों एवं उनके आश्रितों के अधिकारों के प्रति कोई ध्यान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।, दसवीं सूचना श्रीमती रूबी प्रसाद की जनपद-सोनभद्र आदिवासी बाहुल्य एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद गोंडक जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के बावजूद उनका हक न प्राप्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।, ग्यारहवीं सूचना श्री मो0 आसिफ की जनपद फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज के ब्लाक ऐरायां का ब्लाक भवन स्वीकृत भूमि पर ही बनवाये जाने के सम्बन्ध में।, बारहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की विधान सभा के सत्र के दौरान मा0 सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों एवं वाहन चालकों को विधान भवन में बैठने हेतु उचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।, तेरहवीं सूचना श्री पंकज मलिक की प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित टोल टैक्स प्लाजा द्वारा वसूले जाने वाले टोल टैक्स में स्थानीय नागरिकों को छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

इन सभी प्राप्त सूचनाओं को अग्राह्य किया जाता है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के लगातार बेल में खड़े होकर नारेबाजी करने से व्यवधान की स्थिति)

मौर्या जी, अब बात हो गई है। अब आप लोग अपने स्थानों पर जांए।

(सदन के फलोर पर खड़े सदस्यों द्वारा लगातार नारे लगाये जाते रहने के कारण सदन में लगातार घोर व्यवधान बना रहा।)

(11.13 बजे) कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषय प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 से दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैः-

1-दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जायं।

2-दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को पूर्व निर्धारित याचिकाएं, असरकारी संकल्प व नियम-301 के प्रस्ताव लम्बित माने जायं।

3-दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 से 05 दिसम्बर, 2012 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जायः-

<u>दिसम्बर, 2012</u>

04 मंगलवार	निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें।
05 बुधवार	विधायी कार्य
	निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारणः-
	(क) उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012
	(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-10 इसमें कुछ नहीं है।

(11.14 बजे) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 †

राजस्व, आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

(11.15 बजे) कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 को नियम-56 में कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं।, प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है :-

पहली सूचना	श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, श्री अमरपाल शर्मा, श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री दीपक पटेल की	प्रदेश में बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

† दिनांक 17-12-2012 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

	श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री रामहेत भारती, श्री ममतेश शाक्य, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरु भैय्या, श्री उमेश पाण्डेय, श्री राजेश त्रिपाठी, तथा श्री लोकेश दीक्षित की	
दूसरी सूचना	श्री प्रमोद तिवारी की	पर्यावरण एवं खनिज विभाग के नियमों का सहारा लेकर ईंट बनाने के लिये खनन पर रोक लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
तीसरी सूचना	श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की	यू0पी0 में तम्बाकू के व्यवसाय में डबल टैक्सेसन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
चौथी सूचना	श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह की	एफ0सी0आई0 गोदामों पर 3 प्रतिशत डैमेज चावल का प्रतिबन्ध लगाकर मिलों द्वारा चावल न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
पांचवी सूचना	श्रीमती रूबी प्रसाद की	प्रदेश में गोंड जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।
छठी सूचना	श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा) की	डा0 विजय प्रताप सिंह पर दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को हुये हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा
सातवीं सूचना	श्री रामचन्द्र यादव की	सरकार द्वारा धान खरीद की नीति न निर्धारित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुईं अतः अस्वीकृत की जाती हैं :-

1. श्री हुकुम सिंह,
   श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
   श्री लोकेन्द्र सिंह,
   श्री सुरेश राणा तथा
   श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की
2. (1) श्री सतीश महाना तथा
   (2) डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की
3. (1) श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा
   (2) श्री दलजीत सिंह की

4. श्री धर्मपाल सिंह

5. (1) श्री प्रदीप माथुर,
श्री अजय कुमार 'लल्लू',
श्रीमती रूबी प्रसाद,
श्रीमती उमाकान्ती सिंह,
श्री विजय कुमार दुबे,
श्रीमती माधुरी वर्मा,
श्री प्रदीप चौधरी,
श्री संजय प्रताप जायसवाल,
श्री राधे श्याम,
श्री कुंवर कौशल सिंह,
श्री गजराज सिंह,
श्री दिलनवाज खान,
प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी,
श्री बंशी सिंह पहाड़िया तथा
(2) श्री राज नारायण बुधौलिया की

6. श्री अगयश राम सरन वर्मा की

7. श्री अमर पाल शर्मा की

8. श्री सुरेश बंसल की

9. श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की

10. (1) साध्वी निरंजन ज्योति,
(2) श्री लोकेन्द्र सिंह,
(3) डा0 धर्मपाल सिंह,
(4) श्री उमाशंकर सिंह तथा
(5) श्री जाकिर अली की

11. श्री पूरन प्रकाश,

12. श्री दलवीर सिंह,

13. श्री राजेश त्रिपाठी,

14. श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

15. श्री राकेश बाबू,

16. श्री पंकज कुमार मलिक तथा

17. श्री सुशील सिंह,

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा वेल में की जा रही नारेबाजी के कारण घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बोलेंगे मौर्य जी।

नेता विराधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

यह परम्पराओं का उल्लघंन हो रहा है और जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री के इशारे पर इस सदन को हाईजैक किया जा रहा है। मान्यवर, उसमें आप संरक्षक के रूप में...

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, आप बोलेगें कि नहीं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खां)-माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में लोकतंत्र का अपमान किया है, संसदीय कार्य प्रणाली का अपमान किया है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने सदन में संसदीय कार्यों का अपमान किया है और एक ऐसा दल, जो पिछले 5 सालों में किसानों को पूरी तरह से लूट चुका है, सारे चीनी मिल भू-माफियाओं के हाथ बेचने वाली बहुजन समाज पार्टी को किसानों के बारे में एक शब्द भी कहने का अधिकार नहीं है। नेता, प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें। सारे चीनी मिल कौड़ी के दाम बेचने वाली बहुजन समाज पार्टी अपने इस काले चरित्र के बारे में एक बार विचार करें। सारे चीनी मिल भू-माफियाओं के हाथ बेचने वाली बहुजन समाज पार्टी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को देखें।

(11.16 बजे) उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं अगली मद ले रहा हूं।

माननीय हुकुम सिंह, बाजपेयी जी अपना संकल्प रखें।

(किसी के द्वारा संकल्प का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

आप लोग प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं इसलिये मैं मद संख्या-15 ले रहा हूं।

राजस्व, आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग संशोधन का प्रस्ताव रखेंगे ?

(घोर व्यवधान के कारण किसी के द्वारा संशोधन का प्रस्ताव न रखे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012

उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अधिनियम, 2008 का निरसन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह 31 अक्टूबर, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, सन् 2008 का निरसन

2-उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग अधिनियम, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, सन् 2012 का निरसन

3-उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल प्रबन्धन और नियामक आयोग (निरसन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(11.20 बजे) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप अपना संकल्प रखेंगे ?

(संकल्प प्रस्तुत न किये जाने पर)

मैं मद संख्या-18 ले रहा हूं।

राजस्व अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, कृपया संशोधन प्रस्ताव रखें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जायेगा।

(2) यह अक्टूबर, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम, संख्या 11, सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 29 में उपधारा (2) में :-

(एक) खण्ड (क) में शब्द ''तीन वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''दो वर्ष'' रख दिये जायेंगे:

(दो) खण्ड (ख) में शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011'' के स्थान पर शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2012'' रख दिये जायेंगे,

(तीन) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(ग) प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल, जिसने खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व अपने गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली है और उसके निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगा।''

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 8, सन 2012

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(11.21 बजे) उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश

राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें आज ही ले ली जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(11.23 बजे) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी अपना संकल्प रखें।

(किसी के द्वारा संकल्प न रखे जाने पर)

मैं मद संख्या-19-ख ले रहा हूं।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(श्री अध्यक्ष द्वारा संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु पुकारे जाने पर किसी सदस्य द्वारा संशोधन प्रस्तुत न किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) यह 16 अगस्त, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा

संख्या-29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित एवं पुनः अधिनियमिति राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-10, सन् 1973 की धारा-4 का संशोधन	4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ङ) में शब्द ''मान्यवर श्री कांशीराम जी'' के स्थान पर ''ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती'' रख दिये जायेंगे।	
धारा-5 का संशोधन	3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (7) में शब्द ''मान्यवर श्री कांशीराम जी'' के स्थान पर शब्द ''ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती'' रख दिये जायेंगे।	
धारा-7-ख का संशोधन	4-मूल अधिनियम की धारा-7-ख में शब्द मान्यवर, कांशीराम जी'' के स्थान पर शब्द ''ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती'' रख दिये जायेंगे।	
अनुसूची का संशोधन	5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, स्तम्भ-2 में क्रम संख्या-11 में अंकित प्रविष्टि में शब्द ''मान्यवर, श्री कांशीराम जी'' के स्थान पर शब्द ''ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती'' रख दिये जायेंगे।	
निरसन और अपवाद	6-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-6, सन् 2012

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(11.24 बजे) नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 5-12-12 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 100 सूचनायें प्राप्त हुईं, सभी सूचनायें स्वीकार कर ली गयी हैं और सभी पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

पहली सूचना श्री जन्मेजय सिंह की प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में मृतक आश्रित की नियुक्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घोर अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अलगू प्रसाद चौहान की जनपद संतकबीर नगर में नगर पंचायत हरिहरपुर से लखनऊ, बस्ती एवं गोरखपुर के लिये उ0 प्र0 परिवहन निगम की बस सेवा पुनः शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की लखनऊ मध्य क्षेत्र के अधिकांश मोहल्लों, गलियों एवं मलिन बस्तियों में शुद्ध जल की आपूर्ति हेतु टूटी हुई सीवर लाइन/पाइप लाइन ठीक कराने एवं 500 हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री इन्द्रपाल सिंह की छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के एक्सरे टेक्निशियनों का वेतनमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक्सरे टेक्निशियनों के वेतनमान की भांति किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री अमर पाल शर्मा की विधान सभा क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद के इन्दिरापुरम् बसुन्धरा, वैशाली कालोनियों के मुख्य मार्गों पर अवैध कब्जेदारों से हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री रणजीत सुमन तथा श्री अमित गौरव यादव की जनपद लखनऊ के चिनहट बाजार में पुराने पोस्ट आफिस के निकट की गली के सफाई कराये जाने एवं स्थाई सफाई कर्मचारी की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राम चन्द्र चौधरी की रोडवेज बसों में पूर्व की भांति विकलांगों के लिये पास की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की भातखण्डे संगीत संस्थान सम्बद्ध विश्वविद्यालय, लखनऊ के नियंत्रणाधीन कर्मचारियों/शिक्षकों को छठवें वेतन आयोग का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की दिनांक 11 दिसम्बर, 2011 को उ0 प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सब-इंस्पेक्टर एवं प्लाटून कमाण्डरों के पदों हेतु ली गई परीक्षा के परिणाम अविलम्ब घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की आगरा महानगर में हो रही दुर्गन्धयुक्त, गन्दे, काले-पीले एवं कीड़ेयुक्त पेयजल आपूर्ति से फैल रही गम्भीर बीमारियों के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना कुंवर भारतेन्द्र सिंह की जनपद सीतापुर की तहसील मिश्रिख अन्तर्गत ग्राम विजुआमऊ के गाटा संख्या-764 में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण के कार्य को रुकवाये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री राघवलखन पाल शर्मा की

जनपद सहारनपुर में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सर्किट बेंच की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री सुरेश राणा की जनपद शामली के विकास खण्ड थानाभवन में कृष्णा नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्पूर्ण कार्य योजना एवं उसके पूरे होने की संभावित तिथि के अनुरूप कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री देवनारायण सिंह उर्फ जी0एम0 सिंह की राघवेन्द्र प्रताप सिंह उचित दर विक्रेता, ग्राम साखेपार, विकास खण्ड पडरौना के कोटे की दुकान को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद कुशीनगर स्थित हाजी बूट हाउस के दुकानदार समेत प्रदेश में मुस्लिम समाज के निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड मोतीचक में मनरेगा योजना अन्तर्गत लम्बित मजदूरों की मजदूरी का भुगतान समय से कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री छोटेलाल वर्मा की लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को दिनांक 29-06-1991 से नियमित मानते हुए जी0पी0एफ0 कटौती एवं पेंशन का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री अजय मिश्र 'टेनी' की दिनांक 17/18 अक्टूबर को ग्राम सहनखेड़ा, थाना कोतवाली तिकुनियां में बालिका से बलात्कार व हत्या में नामजद अभियुक्तों पर अभी तक कार्यवाही न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री राधेलाल रावत की जनपद उन्नाव में दबंगों द्वारा गरीब परिवार का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री केशव प्रसाद मौर्य की जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र की जीर्ण-शीर्ण सड़कों की मरम्मत करने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की जनपद बलिया के फेफना विधान सभा अन्तर्गत भरौली (गंगा तट) पर विद्युत शवदाह गृह निर्माण के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री कालीचरन सुमन की आगरा विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्र की नगर पंचायत नगला कली के अन्तर्गत निर्मित पेयजल की टंकी से पानी की आपूर्ति किये जाने एवं सी0सी0 खड़न्जा नाली यथाशीघ्र ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की प्रदेश के कई जनपदों में मौरंग, बालू, गिट्टी आदि की आपूर्ति किये जाने वाले ट्रकों से अवैध वसूली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की संयुक्त जिला चिकित्सालय, चित्रकूट में मरीजों की सुविधा हेतु स्थापित एक्स-रे मशीन का चालू करवाये जाने एवं एक नई एक्स-रे मशीन स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री फेरन लाल अहिरवार की जनपद ललितपुर के ब्लाक जखौरा स्थित ग्राम मिर्चवारा में 33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन लगाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री लोकेश दीक्षित की जनपद संतरविदास नगर की ग्राम पंचायत गुवाली स्थित उचित दर की दुकान से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की जनपद बहराइच के ग्रामों का विद्युतीकरण राजी गांधी विद्युतीकरण योजना फेज-2 के अन्तर्गत शीघ्र शुरू कराने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ की मुकुन्दपुर बाजार से भदुली होते हुए निरंकारी भवन तक आने वाली सड़क को चौड़ा किये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर के कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से शिक्षकों के तबादले किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकत्तीसवीं सूचना

श्री पूरन प्रकाश की मथुरा-वृन्दावन महायोजन में परिनिरीक्षण के नाम पर प्राधिकरण एवं भू-माफियाओं की मिली-भगत से जमीनों का भू-उपयोग परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा की जनपद फतेहपुर अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र बिन्दकी में निर्माणाधीन दो सड़कों के लिये तत्काल राशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री दलजीत सिंह की बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा जनपद के विकास खण्ड तिन्दवारी में व्याप्त विद्युत अव्यवस्था को दूर किये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत 43 राजकीय नलकूपों को ठीक कराकर सिंचाई की व्यवस्था सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद में पंचायती राज विभाग द्वारा अधूरे पड़े कतिपय कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश में टी0ई0टी0 अभ्यर्थियों की विभिन्न परेशानियों के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री वीरपाल राठी की जनपद हाथरस के कस्बा सहपऊ में स्थित लैडावली पोखर पर अवैध कब्जा हटाने के नाम स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं अवैध वसूली के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री अंसार अहमद की जनपद इलाहाबाद की तहसील-कोरांव, ब्लाक माण्डा के ग्राम दोहथा में स्कूल हेतु सुरक्षित छोड़ी गई ग्राम सभा की जमीन सं0-304 पर अनाधिकृत कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री हाजी परवेज अहमद टंकी की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र नैनी स्थित मकान सं0-45/6डी, के बगल में स्थित टूटी हुई नाली की पुलिया की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री जाकिर अली की जनपद उन्नाव में 27 वर्ष पूर्व पट्टे में प्राप्त भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं मारपीट करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालिसवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की वाराणसी के पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय जिला अस्पताल में स्टाफ सहित अन्य प्रसव चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालिसवीं सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया की जनपद महोबा में सिंचाई विभाग के मौदहा बांध निर्माण खण्ड प्रथम में करोड़ों रुपये का घपला किये जाने एवं किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालिसवीं सूचना श्री जय प्रकाश निषाद की जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-खैरा के विकास खण्ड सरदार नगर की सरैया शुगर मिल प्रा0 लि0 द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौवालिसवीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड-सीटी की ग्राम सभा कुरकुटिया पाण्डेय के निवासी श्री हरीदास के परिवार की 11000 हाई वोल्टेज तार गिरने से हुई आकस्मिक मृत्यु का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालिसवी सूचना श्री सन्त प्रसाद की मा0 मुख्य मंत्री सन्दर्भ/तत्काल के पत्रांक सं0-130499/2012 व 130689/12 के क्रम में न्याय विभाग के पत्रांक संख्या-3834सी0एम0/सात-न्याय-5-2012-2010 डब्लू0सी0/2012 पर अपेक्षित कार्यवाही में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में है, छियालिसवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की चिकित्सा क्षेत्र में आवश्यक विशिष्ट सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु निजी निवेश करने वाले संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सैंतालिसवीं सूचना श्री रवीन्द्र भड़ाना की प्रदेश में केन्द्र संचालित दूरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त तकनीकी शिक्षा के आधार पर विभिन्न विभागों में प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालिसवीं सूचना श्री भीम प्रसाद

सोनकर की जनपद लखनऊ अन्तर्गत नजूल खसरा संख्या-87, 88 व 89 गोलागंज, लखनऊ पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद लखनऊ के शारदा नगर योजनान्तर्गत रतन खण्ड (लखनऊ विकास प्राधिकरण) में विकास कार्य सुचारु रूप से कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्रीमती सीमा द्विवेदी की प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त अध्यापकों की पदोन्नति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा खोटही में जल निगम की पानी की टंकी का निर्माण एवं पाइप लाइन न बिछाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली जनपदों के कृषि क्षेत्रों की सिंचाई हेतु सोन कनाल व धनरौल बांध का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की प्रदेश के स्टाम्प विक्रेताओं की वर्तमान स्टाम्प बिक्री सीमा 15000 से 75000 रुपये किये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर के ब्लाक खोरावार मौजा केवटलियां परगना भौवआपार तहसील सदर के किसानों के चकबन्दी प्रकरण के निस्तारित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों की तैनाती न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री सुशील सिंह की जनपद चन्दौली के मुख्यालय भवन का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की जनपद बस्ती में सरकारी क्रय केन्द्रों की संख्या कम होने तथा गलत क्रय केन्द्रों पर न्याय पंचायत से सम्बद्धता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री अभय नारायण सिंह की जनपद लखनऊ के कलेक्ट्रेट कर्मचारी श्री अनिल कुमार के रुके हुए वेतन व जी0पी0एफ0 के अपेक्षित भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत पुराने म्युनिसिपल बोर्ड से जी0टी0 तक बने गन्दा नाला की सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद बलरामपुर के सदर में बने पुल के अगल-बगल में मिट्टी पटाई व ड्रेसिंग कराने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री बब्बन चौहान की जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में न0 पा0 परिषद् मुगलसराय, नगर पंचायत चन्दौली तथा प्रा0ख0 लोक निर्माण मुगलसराय एवं वि0 ख0 चन्दौली द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री राजबली जैसल की प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री सुनील कुमार लाला की जनपद लखनऊ के सेक्टर-22 कालोनी में सीवर के पानी, संक्रमण रोग की रोकथाम न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री जय प्रताप सिंह की जनपद लखनऊ विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज निवासी स्वर्गीय गोकरन प्रसाद की भूमि उनके पुत्रों के नाम किये जाने के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह की जनपद शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद् में निदेशक के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया की जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड ईसानगर के अन्तर्गत खमरिया ईसानगर मार्ग से शंकरपुर, शेखपुर तक के मार्ग की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सरसठवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया

की आश्रयहीन योजना के आवंटित गरीबों के आवास देवपुर पारा लखनऊ में गिराकर उसके स्थान पर नवीन आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर में भगवान बुद्ध से जुड़ी मैत्रेय परियोजना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, उन्हत्तरवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में इगलास गोण्डा, क्षैर मार्ग से निठवारी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्री भगवती प्रसाद की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र खैर में राजवाहा पर पुल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इकहत्तरहवीं सूचना ठा0 दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक प्रदर्शनी, अलीगढ़ नामक सोसाइटी की वसूली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्री शारदा प्रताप शुक्ला की लखनऊ शहर में स्ट्रीट लाइट न जलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तिहत्तरहवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की वाराणसी नगर निगम द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि तथा विधायक द्वारा संस्तुत अन्य विकास कार्यों को समयान्तर्गत तथा गुणवत्तायुक्त कराने में रुचि न लेने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री गोरख पासवान की जनपद बलिया के सोनौली मार्ग की तुर्ती पर रेगुलेटर पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्रीमती लालमुन्नी सिंह की विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के अन्तर्गत आने वाले सभी धान क्रय केन्द्रों पर किसानों के धान का विक्रय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना में तैनात जिला कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरहवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम सिरसा के ग्रामवासियों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, अठहत्तरहवीं सूचना डा0 मो0 अयूब की प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हुए साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नायासवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया में नये विद्युत कनेक्शन लेने पर विद्युत विभाग द्वारा किसानों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की नवम्बर, 2011 में गोरखपुर में गोड़धहिया नाले के ऊपर 4 पुलों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त हो जाने के उपरान्त भी कार्य प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इक्यासवीं सूचना श्री राजेश अग्रवाल की उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा प्रस्तावित बरेली के श्यामतगंज में उपरिगामी सेतु का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, बयासवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों की भर्ती किये जाने हेतु विभिन्न प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासवीं सूचना प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी की जनपद लखनऊ के गुरूनानक नगर, चारबाग के दुकानदारों एवं फ्लैटवासियों को दिनांक 15-11-12 को दी गई नोटिस को निरस्त किये जाने एवं मालिकाना हक दिये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की नगरपालिका परिषद्, मेरठ के कतिपय क्षेत्रों को नगरीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा नगर की शान्ती नगर, भूड का बाग, कमला नगर कालोनी की सड़क व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, छियासवीं सूचना श्री बावन सिंह की प्रदेश के परिषदीय अध्यापकों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में है, सतासवीं सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की प्रदेश के माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों को

जीविकोपार्जन के लिये मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में है, अठासवीं सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर के गांव में बार-बार फुंक रहे विद्युत ट्रांसफार्मरों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, नवासवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री मदन चौहान की नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत सेक्टर-44 व 45 के पास चल रहे स्टोन क्रशर से हो रहे प्रदूषण के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ से होकर गुजरने वाली सई नदी पर पथरिया रोडा घाट एवं गुलरिहा घाट पर पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, बान्नबेवीं सूचना श्रीमती रूबी प्रसाद की जनपद जालौन में डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल संस्थान द्वारा वर्ष 2005 में वाटर रिचार्जिंग के लिये की गई एक पक्षीय जांच को निरस्त करते हुए आदेश जारी करने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवी श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी के कैन्ट विधान सभा में स्थित विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सीवर लाइन का निर्माण ठीक तरह से कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली की आंवला विधान सभा में दो वर्ष पूर्व निर्मित रमपुरा-अलीगंज-सिरौली मार्ग की तकनीकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, पन्चानबेवीं सूचना श्री गेंदा लाल चौधरी की जनपद हाथरस में अलीगढ़-आगरा रोड पर फ्लाई ओवर बनाये जाने के सम्बन्ध में है, छियान्ववीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर की खागा विधान सभा क्षेत्र में यमुना नदी पर हो रहे अवैध बालू खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री मनीष असीजा की नगर फिरोजाबाद के प्राचीन कांच/चूड़ी उद्योग को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर की डालमियां चीनी मिल के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के कतिपय ब्लाकों में सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सौंवी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की फैजाबाद जनपद के रुदौली स्टेशन पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

वाराणसी जिला कारागार तथा केन्द्रीय कारागार में आपातकाल में डी0आई0आर0 तथा मीसा बन्दियों का रिकार्ड न रहने से लोकतंत्र सेनानियों के समक्ष उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री श्यामदेव राय चौधरी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27-11-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत निम्नवत् सूचना दी गयी है :-

जिला कारागार तथा केन्द्रीय कारागार में सैकड़ों की संख्या में आपातकाल के बंदियों .....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[का रिकार्ड गायब हो गया है। व्यक्तिगत रूप से बन्दियों द्वारा जन सूचना अधिकार नियम के तहत रिकार्ड की मांग करने पर कारागार के जन सूचना अधिकारी द्वारा अपने लिखित उत्तर में ''रिकार्ड'' उपलब्ध नहीं है, लिखकर दिया जा रहा है जिससे लाभार्थियों के समक्ष विषम स्थिति उत्पन्न हो गयी है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 3000 हजार रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि दिये जाने का शासनादेश निर्गत किया गया है जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले से दी जा रही डी0आई0आर0 बन्दियों को 6000/-रुपये को बढ़ाकर 10,000/-प्रतिमाह तथा मीसा बन्दियों का 15,000/-रुपया प्रतिमाह सम्मान निधि दिये जाने हेतु 04 जनवरी, 2012 को अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

वाराणसी में आपातकाल में जिन बन्दियों के रिकार्ड जेल में उपलब्ध नहीं हैं अथवा नष्ट हो गये हैं उन सैकड़ों लाभार्थियों हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनाते हुए उन्हें सम्मान राशि प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी, वाराणसी को शासन द्वारा आवश्यक निर्देश देने एवं पात्र लाभार्थियों को 3000/-रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 10,000/-रुपये सम्मान राशि देने हेतु शासनादेश निर्गत किया जाय। अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित मंत्री द्वारा वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, वाराणसी से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी द्वारा अधीक्षक जिला कारागार, वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार एवं संयुक्त निदेशक अभियोजन से जानकारी प्राप्त कर अवगत कराया गया है कि आपातकाल में मीसा/डी0आई0आर0 के अन्तर्गत जो बन्दी केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध हुए थे, उनसे सम्बन्धित समस्त अभिलेख केन्द्रीय कारागार में उपलब्ध हैं। जिला कारागार, वाराणसी में दिनांक 02-07-1975 से दिनांक 05-09-1975 तथा दिनांक 28-10-1975 से दिनांक 27-12-1975 तक के मीसा तथा डी0आई0आर0 में निरुद्ध बन्दियों के रिकार्ड दीमकों द्वारा नष्ट कर दिये जाने के कारण कारागार अभिलेखों में उपलब्ध नहीं हैं, जिस अवधि के अभिलेख जिला कारागार में उपलब्ध नहीं हैं उनके सम्बन्ध में जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा यह सूचित किया गया है कि जनपद के सम्बन्धित थानों से डी0आई0आर0 तथा मीसा बन्दियों से सम्बन्धित अभियोगों का विस्तृत विवरण तथा रजिस्टर नं0-4, जिसमें अभियोगों का विवरण अंकित किया जाता है, को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में डी0आई0आर0 तथा मीसा में बन्द लोकतंत्र सेनानियों के पास उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट आरोप-पत्र या अन्य किसी सुसंगत अभिलेख के आधार पर भी निर्णय लिया जा सकेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि नियमावली में लोकतंत्र सेनानी घोषित करने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। यदि कोई विशिष्ट प्रकरण जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जायेगा तो उस पर विचारोपरान्त आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोकतंत्र सेनानियों को पूर्व में दिनांक 01-04-2006 से रु0 500/-प्रतिमाह सम्मान राशि अनुमन्य की गयी थी, जिसे दिनांक 01-01-2007 से बढ़ाकर रु0 1000/-प्रतिमाह कर दिया गया है। उक्त योजना दिनांक 01-04-2006 से दिनांक 31-03-2007 तक के लिये मान्य थी। वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि में वृद्धि करते हुए रु0 1000/- के स्थान पर रु0 3000/-प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लिया गया और इस सम्बन्ध में शासनादेश/नियमावली दिनांक 14-09-2012 को जारी किये जा चुके हैं।]

प्रदेश के जनपदों के विकास हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वांचल विकास निधि को तत्काल अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीमा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

पूर्वांचल विकास निधि जारी किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीमा द्विवेदी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27-11-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[''प्रदेश के जनपदों के विकास हेतु सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि, पूर्वान्चल विकास निधि की व्यवस्था अपने बजट 2012-13 में की है। बुन्देलखण्ड विकास निधि का धन आवंटित किया जा चुका है परन्तु पूर्वी क्षेत्र के जिलों के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निधि का धन अभी तक जारी नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अब 4 माह ही शेष बचे हैं। अभी तक पूर्वान्चल विकास निधि का धन अवमुक्त न किया जाना पूर्वान्चल के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे इस क्षेत्र के विकास कार्य रुके हुए हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पूर्वान्चल विकास निधि जारी किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करती हूं।''

(1) पूर्वान्चल विकास निधि अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट प्राविधान रु0 153.50 करोड़ (रुपये एक अरब तिरपन करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रु0 76.75 करोड़ (छिहत्तर करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल क्षेत्र के 30 जनपदों हेतु जिलांश का जनपदवार फण्ड के अनुसार आवंटन, शासनादेश संख्या-698/23-14-2012-20 जनरल/2012, दिनांक 22-11-2012 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) बुन्देलखण्ड विकास निधि के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट प्राविधान रु0 41.50 करोड़ (रुपये इक्तालिस करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रु0 20.75 करोड़ (रुपये बीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों हेतु जिलांश का जनपदवार फण्ड के अनुसार आवंटन, शासनादेश संख्या-698(2)/23-14-2012-20 जनरल/2012, दिनांक 22-11-2012 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

(3) पूर्वान्चल विकास निधि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट प्राविधान रु0 100.00 करोड़ (रुपये एक अरब मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रु0 50.00 करोड़ (रुपये पचास करोड़ मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल क्षेत्र के 30 जनपदों हेतु जिलांश का जनपदवार फण्ड के अनुसार आवंटन, शासनादेश संख्या-428अ/26-ब0प्र0-2012-20 जनरल/2012, टी0सी0 दिनांक 31-10-2012 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

(4) बुन्देलखण्ड विकास निधि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट प्राविधान रु0 30.00 करोड़ (रुपये तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् रु0 15.00 करोड़ (रुपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों हेतु जिलांश का जनपदवार फण्ड के अनुसार आवंटन, शासनादेश संख्या-428/26-ब0प्र0-2012-20 जनरल/2012, टी0सी0 दिनांक 31-10-2012 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।]

जनपद-फैजाबाद के विधान सभा रूदौली में जर्जर विद्युत व्यवस्था, आपूर्ति एवं ट्रान्सफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त सूचना में अवगत कराया गया है कि जनपद-फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के नगर व देहात क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था अत्यन्त पुरानी व क्षतिग्रस्त हो चुकी है.....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[पूरे क्षेत्र की विद्युत लाइनों के तार व खम्भे इतने क्षतिग्रस्त हो गये हैं कि विद्युत स्पर्शाघात से अब तक एक दर्जन मौतें हो चुकी हैं जिनके परिवारों को विद्युत विभाग द्वारा एक पैसे का भी मुआवजा नहीं दिया गया है। रुदौली नगर में ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत 4 करोड़ 49 लाख की वित्तीय स्वीकृति केन्द्र सरकार ने दी है व ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी फेस-2 में पूरे क्षेत्र के सभी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अविद्युतीकृत मजरों की विद्युतीकरण की भी स्वीकृति हो चुकी है। बिजनेश प्लान/व्यापार विकास निधि वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत तीन दर्जन से अधिक ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाये जाने का भी प्रस्ताव मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में लम्बित है। उपरोक्त सभी कार्यों की स्वीकृति हो जाने के बाद अभी भी विद्युत विभाग/सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। जिसके कारण पूरे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था चरमरा गयी है। जबकि मेरे द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को माननीय मुख्य मंत्री जी को कई बार लिखित अनुरोध किया गया है। स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराये जाने का बिन्दु उठाया गया है।

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली के नगरीय क्षेत्र हेतु आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना स्वीकृत है जिसके अन्तर्गत नगर के वितरण परिवर्तकों का मीटर लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। एच0टी0/एल0टी0 लाइनों को सुदृढ़ करने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। ग्रामीण क्षेत्र हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 300 से ऊपर की आबादी वाले अविद्युतीकरण मजरों में विद्युतीकरण की कार्य योजना मे0 आर0ई0सी0 के माध्यम से भारत सरकार को भेजी गयी थी जिन पर स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् निगम मुख्यालय द्वारा निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है जिसके निस्तारित होते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। बिजनेस प्लान के अन्तर्गत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम द्वारा परिवर्तकों को बदलने इत्यादि की कार्यवाही यथाशीघ्र प्रारम्भ की जा रही है।]

जनपद-बलरामपुर के उतरौला क्षेत्रान्तर्गत गैडास बुजुर्ग एवं रेहरा बाजार में सरकारी एजेन्सियों द्वारा धान का क्रय न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र, उतरौला जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड उतरौला, गैडास एवं रेहरा बाजार में सरकारी एजेन्सियों द्वारा सरकारी धान का केन्द्र नहीं खोला गया है .....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[मजबूरी में किसान अपना धान औने-पौने दामों पर आढ़तियों को बेच रहे हैं। जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तुरन्त सरकारी धान खरीद कराने एवं दोषियों को दण्डित किये जाने की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्तमान खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड उतरौला, गैडास बुजुर्ग तथा रेहरा बाजार में राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं उ0 प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम एवं उ0 प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ के दो-दो क्रय केन्द्र इस प्रकार कुल छः क्रय केन्द्र स्थापित हैं जो कि विगत वर्ष उक्त विकास खण्डों में स्थापित तीन क्रय केन्द्रों की तुलना में अधिक हैं। धान क्रय नीति 2012-13 के अन्तर्गत सीधे किसानों से खरीद की व्यवस्था की गयी है।

उल्लेखनीय है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक कारणों से अपेक्षाकृत देर से खरीद प्रारम्भ होती है। अब क्षेत्र में धान की आवक प्रारम्भ हो गयी है। वर्तमान में उक्त क्रय केन्द्रों पर कुल 261.20 मी0 टन धान की खरीद की जा चुकी है।]

उत्तर प्रदेश की कतिपय जातियों को राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करके आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(घोर व्यवधान)

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

उत्तर प्रदेश की अग्रहरि, अयोध्यावासी, दोसर, केसरवानी, बरनवाल, ओमर-ऊमर, गुलहरे, पोरवाल, कमलापुरी तथा सन्मानी आदि जातियों को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर आरक्षण दिये जाने हेतु.....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[सामाजिक संस्थाओं द्वारा विगत कई वर्षों से मांग उठाई जा रही है। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी भी जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने अथवा निष्कासित करने की संस्तुति ''राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग'' करता है तथा आयोग की संस्तुतियों को मानने के लिए सरकार सामान्यतः बाध्य है। उक्त जातियों का सामाजिक व शैक्षणिक अध्ययन तथा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त आयोग ने इन्हें पिछड़ा माना है तथा पिछड़ा वर्ग में शामिल करने हेतु अपनी संस्तुति सरकार को भेज दी है। आरक्षण नहीं मिलने से एक तरफ जहां उक्त जाति के लोगों का विकास रुका हुआ है वहीं उन्हें सामाजिक न्याय से वंचित कर सरकार द्वारा संविधान की मूल भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है। इस विषय में हो रहे विलम्ब से उक्त जाति के लोग आन्दोलित हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उत्तर प्रदेश की अग्रहरि, अयोध्यावासी, दोसर, केसरवारी, बरनवाल, ओमर-ऊमर, गुलहरे, पोरवाल, कमलापुरी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा सन्मानी आदि जातियों को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर आरक्षण दिये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-श्री पारसनाथ मौर्य, तत्कालीन अध्यक्ष, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 1-4-2010 द्वारा 17 जातियों को पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित करने/हटाने हेतु शासन को प्रेषित संस्तुतियों के क्रम में यह अनुरोध किया गया कि आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए एतद् सम्बन्धी अधिसूचना/गजट जारी किया जाये। आयोग द्वारा जिन जातियों की संस्तुति की गयी उनका विवरण निम्नांकित है :-

1-बोरा कार्की, 2-खंगार, 3-भूतियां, 4-काछी, मुराई, कोराई, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, माली को एक क्रमांक पर अंकित करने के सम्बन्ध में, 5-केसरवारी वैश्य, 6-बरनवाल वैश्य, 7-दोसर वैश्य, 8-सैंथवार एवं मल्ल, 9-चिकवा, कस्साब, कुरैशी चक (पिछड़ी जाति की सूची से हटाने हेतु), 10-फकीर, 11-ओड़ क्षत्रिय राजपूत, 12-कमलापुरी वैश्य, 13-उमर बनिया, 14-सनमाननीय वैश्य, 15-गुलहरे वैश्य, 16-पोरवाल व पुरवार, 17-माली, सैनी।

3-श्री राजेश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उक्त जातियों में से मात्र 08 जातियों का ही पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल करने का उल्लेख किया गया है अन्य 02 जातियां यथा अग्रहरि एवं अयोध्यावासी उक्त सूची में सम्मिलित नहीं हैं इन दोनों जातियों के प्रस्ताव पृथक-पृथक शासन में प्राप्त हुए हैं।

4-मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा जिन 17 जातियों की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में तत्कालीन प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2010 द्वारा सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को यह निर्देशित किया गया कि उक्त जातियों को पिछड़े वर्गों के लिए अनुमन्य सूची में शामिल करने के संदर्भ में शासन की अपेक्षानुसार संस्तुति/आख्या शीघ्र उपलब्ध करायी जाये ताकि इन इन निर्णय लिया जा सके। वांछित संस्तुति प्राप्त न होने पर प्रमुख सचिव द्वारा पुनः अपने पत्र दिनांक 21 मई, 2010 द्वारा आयोग का ध्यान आकृष्ट किया गया व अपेक्षा की गयी कि वांछित आख्या/संस्तुति इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ में निर्धारित मानक/मानदण्डों (क्राइटेरिया) के अनुरूप उपलब्ध करायी जाये। इस क्रम में आयोग की बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2010 के कार्यवृत्त की प्रति आयोग द्वारा इस अपेक्षा से उपलब्ध करायी गयी कि 17 जातियों की प्रेषित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विचार हेतु मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाये।

5-यहां यह उल्लेखनीय है कि इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ में 11 बिन्दु निर्धारित हैं जो किसी जाति के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति के सम्बन्ध में है और न इन बिन्दुओं पर प्राप्त आख्या/सर्वेक्षण के आधार पर ही जाति को पिछड़ी जाति की सूची में सम्मिलित किया जाता है।

शासन द्वारा आयोग को पुनः यह अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या, शासन की अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। अतः शासन द्वारा आयोग को बार-बार यह स्पष्ट किया गया कि प्रकरण में वांछित आख्या/संस्तुति इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानक/मानदण्डों के अनुरूप ही उपलब्ध करायी जाये तभी इन मामलों को निस्तारण कराया जाना शासन स्तर पर संभव हो सकेगा और मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का

सम्यक् अनुपालन हो सकेगा। प्रकरण में उक्त मानकों के अनुरूप आयोग की संस्तुतियां शासन को उपलब्ध करायी जाये ताकि प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

6-सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र दिनांक 06 अगस्त, 2012 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में आयोग में कोई भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण का मनोनयन नहीं हुआ है। शासन द्वारा अपेक्षित मानकों/मानदण्डों के अनुसार संस्तुतियां प्रेषित करने एवं तत्सम्बन्धी कार्यवाही करने हेतु मा0 आयोग का निर्णय अपेक्षित है। अतः जब तक आयोग में मा0 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण का मनोनयन नहीं हो जाता, तब तक इस प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

उक्तानुसार आयोग की संस्तुति मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानकों/मानदण्डों के अनुरूप न पाये जाने के कारण इस विषय पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।]

नोएडा में डिप्टी डाइरेक्टर (फैक्ट्रीज) के विरुद्ध जांच कराये जाने एवं उनका स्थानान्तरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-26 पर निर्धारित वक्तव्य स्थगित है।

शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत बनैचा के कु0 सरस्वती के साथ बलात्कार करने एवं उसकी लाश जंगल में मिलने के बाद भी आरोपियों पर पुलिस कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद शाहजहांपुर, बरैचा की कु0 सरस्वती की बलात्कार करने के बाद हत्या करके शव को खेत में गाड़ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 29-11-2012 को यह सूचना दी गयी कि .....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत क्षेत्र तिलहर विकास खण्ड निगोही थाना-तिलहर के ग्राम पंचायत बरैचा में दिनांक 18-10-2012 को समय करीब 4.00 बजे दिन में कु0 सरस्वती उम्र 11 वर्ष मूली की फसल को देखने चंदन पंडित की मठिया के पास गयी थी और देर शाम तक वापस न आने पर उसके परिवार वालों के तलाश करने पर वह नहीं मिली जिसकी सूचना उसी रात थाना तिलहर को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दी गयी थी। दिनांक 20-10-2012 को हेमराज पुत्र दयाराम के खेत से होकर निकल रहे थे तभी भीट की मिट्टी से दबी लाश के पैर की उंगली दिखायी दी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने आकर मिट्टी हटवायी तो नग्न अवस्था में लाश मिली जिसके गुप्तांग में जख्म व गरदन कटी हुई थी। इसी बीच रामानन्द व गुड्डू गांव से गायब हो गये, जिन्होंने ही कु0 सरस्वती की हत्या करके खेत में गाड़ दिया था, उनके खिलाफ थाना तिलहर पर तहरीर दी गयी तो एक मुल्जिम को जेल भेज कर दूसरे मुल्जिम रामानन्द पुत्र भगवानदीन को संरक्षणवश बचाया जा रहा है।

श्री रोशन लाल वर्मा, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि दिनांक 18-10-2012 को श्री राकेश पुत्र राम भरोसे (लोधी) निवासी ग्राम बरैचा, थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर द्वारा अपनी पुत्री कु0 सरस्वती उम्र 11 वर्ष के सम्बन्ध में गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना-तिलहर में दर्ज करायी गयी, जिसका उल्लेख थाना तिलहर के रोजनामचा आम की रपट संख्या-19 समय 10.00 बजे पर किया गया है। गुमशुदा की तलाश के दौरान दिनांक 20-10-2012 को हेमराज पुत्र दयाराम के खेत में भीट की मिट्टी से दबी हुई लाश मिलने पर वादी के अवगत कराने पर पुलिस द्वारा मृतका की लाश मिलने पर अभियोग सं0-701/12 धारा-302/201 भा0द0वि0 में तरमीम कर विवेचना संपादित की गयी। खरगापुर गांव के रहने वाले भूरे पुत्र दयाराम ने अभियुक्त गुड्डू उर्फ चन्द्रहास पुत्र राम सेवक को कुमवा नाले में खून से सने कपड़े धोते हुए देखा गया। तत्क्रम में विवेचना में गुड्डू उर्फ चन्द्रहास को साक्ष्य के आधार पर आलाकत्ल सहित गिरफ्तार कर दिनांक 30-10-2012 को जेल भेजा गया एवं इस सम्बन्ध में साक्ष्यों के आधार पर आरोप-पत्र सं0-ए-236/12 दिनांक 26-11-2012 को मा0 न्यायालय भेजा गया जो विचाराधीन न्यायालय है। सम्पूर्ण अभियोग की विवेचना का पर्यवेक्षण क्षेत्राधिकारी, तिलहर एवं अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, शाहजहांपुर द्वारा किया गया है तथा रामानन्द का नाम प्रश्नगत विवेचना से किसी राजनैतिक संरक्षणवश नहीं निकाला गया है।]

जनपद-बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शिवपुरी के निकट पक्का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री धर्मपाल सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव, विधान सभा को सम्बोधित नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 27-11-12 को दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि.....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में ग्राम शिवपुरी में रामगंगा नदी पर पान्टून पुल से लगभग 50 ग्रामों के लोगों के आने-जाने तथा धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने का उल्लेख करते हुए पान्टून पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाये जाने हेतु वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में ग्राम शिवपुरी रामगंगा नदी के दक्षिण की तरफ कैलाश गिरि बाबा (हाजीपुर घाट) के नाम से पान्टून पुल स्थित है। उक्त सेतु के लगभग 4.00 कि0मी0 डाउनस्ट्रीम में जनपद बरेली में मीरगंज आंवला तहसील के मध्य गोराघाट भूड़ा बसन्तपुर रामगंगा नदी पर शासनादेश सं0-2011/23-10-09-119 (सेतु)/09, दिनांक 30-9-09 द्वारा 18x28.25 मी0 का वृहद सेतु, लागत रु0 1499.59 लाख का स्वीकृत किया जा चुका है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

2-अतः विधान सभा क्षेत्र जनपद बरेली में ग्राम शिवपुरी के पास 4.00 कि0मी0 की दूरी पर डाउन स्ट्रीम में सेतु निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण प्रस्तावित स्थल पर सेतु बनाये जाने का औचित्य नहीं है।]

जनपद-बलिया के रसड़ा क्षेत्रान्तर्गत स्थित राजकीय बालिका विद्यालय का भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय विधायक द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि विधान सभा रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्र रसड़ा में राजकीय बालिका विद्यालय अपने स्थापना काल सन् 1986 में किराये के भवन से.....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[शुरू होकर वर्तमान में खाली पड़ी पुरानी जर्जर तहसील भवन में संचालित है। पुरानी तहसील भवन काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जहां पर विद्यालय बनाने हेतु जिलाधिकारी ने अपनी संस्तुति भी दिया है। भवन न बनने से बालिकाओं एवं स्कूल कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। राजकीय बालिका विद्यालय एक लम्बे अन्तराल से अपने निजी भवन की आस में है। मा0 सदस्य द्वारा विद्यालय के भवन न बनने एवं किसी सम्भावित दुर्घटना से बचने हेतु शासन से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत नगर पालिका क्षेत्र रसड़ा के राजकीय कन्या हाई स्कूल की स्थापना सन् 1986 में हुई थी जो इण्टर कालेज स्तर पर वर्ष 2009 में उच्चीकृत हुआ। विद्यालय नगर क्षेत्र में संचालित है। विद्यालय का अपना भवन नहीं है। विद्यालय पूर्व में किराये के भवन में संचालित था, बाद में पुराने तहसील भवन की जमीन पर निर्मित टीन शेड में संचालित किया जा रहा है। उक्त विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक कक्षायें संचालित हैं जिनमें कुल छात्राओं की संख्या-122 है एवं 10 शिक्षिकायें पद स्थापित हैं। यह भी अवगत कराना है कि उक्त विद्यालय के लिये नगर क्षेत्र की सीमा में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वर्ष 2009 में उप जिलाधिकारी, रसड़ा द्वारा पुरानी तहसील भवन की भूमि राजकीय कन्या इण्टर कालेज को दिये जाने की संस्तुति की गयी थी परन्तु उक्त भूमि राजकीय कन्या इण्टर कालेज के नाम दर्ज नहीं हो पायी। विद्यालय हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु जिलाधिकारी, बलिया एवं शिक्षा निदेशक (मा0) को निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त भूमि का सीमांकन करने एवं भूमि को राजकीय कन्या इण्टर कालेज के नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया के स्तर से भी कार्यवाही की गयी है। भूमि की उपलब्धत होने पर भवन निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। ,

रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम खड़िया के पास भाखड़ा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के ग्राम खड़िया के पास भाखड़ा नदी पर पुल नहीं है, जिसके कारण इस क्षेत्र के 40-50 ग्रामों का रास्ता....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री के दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[बाधित है तथा बरसात के दिनों में इस पुल के न बनने से इन ग्रामों का सम्पर्क जिला मुख्यालय से कट जाता है तथा इस पुल के निर्माण की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही है तथा इसके लिये जनता द्वारा अक्सर धरने व प्रदर्शन भी होते रहते हैं। इस पुल का आगणन काफी समय से शासन में लम्बित है। जनहित में इस पुल का निर्माण होना नितान्त आवश्यक है तथा इस पुल का निर्माण न होने से जनता में सरकार के प्रति काफी शेष व्याप्त है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान गया।

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में ग्राम खड़िया के पास केमरी से पिपलिया ऐरो मार्ग पर भाखड़ा नदी पर 89.15 मीटर लम्बे सेतु के निर्माण हेतु लागत रु0 442.55 लाख का आगणन प्राप्त हुआ है।]

जनपद रामपुर के ग्राम तिराहा में 132 के0वी0 उपकेन्द्र चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कपूर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम तिराह में 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[यहां पर 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्वीकृत हुआ है जिसका निर्माण कार्य कई माह पूर्व प्रारम्भ हो चुका है मगर ये कार्य बन्द हो गया है जिसके कारण जनता में भारी रोष व्याप्त है क्योंकि इस तहसील को विद्युत आपूर्ति जनपद रामपुर के जिला मुख्यालय से की जाती है तथा जनपद रामपुर में अधिभारिता के कारण तहसील मिलक को विद्युत आपूर्ति बहुत कम मिल पाती है। जिससे अक्सर यहां पर धरने प्रदर्शन तथा रोड़ जाम होते रहते हैं। यह तहसील राष्ट्रीय राजमार्ग 24, लखनऊ दिल्ली मार्ग पर है। यहां पर 132 के0वी0 का विद्युत उपकेन्द्र बनाने की मांग बहुत लम्बे समय से चली आ रही है। यदि अविलम्ब इस विद्युत उपकेन्द्र का कार्य दुबारा से प्रारम्भ नहीं हुआ तो कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अतः जनहित में इस विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

आख्या :-

जनपद रामपुर की तहसील ग्राम तिराह में 132 के0वी0 का निर्माण का कार्यादेश उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को दिया गया है एवं उनके द्वारा उपकेन्द्र हेतु बाउन्ड्रीवाल का कार्य प्रारम्भ किया गया था किन्तु उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवंटित भूमि उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को हस्तान्तरित नहीं हो पाई। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में खलिहान श्रेणी में दर्ज है। सम्बन्धित भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु राजस्व परिषद् द्वारा जिलाधिकारी रामपुर को निर्देशित किया गया कि इस भूमि के समतुल्य भूमि किसी अन्य स्थान पर उपलब्ध कराकर खलिहान में दर्ज कर दी जाये। जिसके पश्चात् उपरोक्त भूमि उ0 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 को हस्तान्तरित की जा सकती है। अन्यत्र स्थान समतुल्य भूमि उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही की जा रही है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-चन्दौली के थाना बबुरी अन्तर्गत वयोवृद्ध किसान नेता श्री लोलारक सिंह के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, चन्दौली से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि दिनांक 11-7-12 को थाना बबुरी की पुलिस द्वारा किसान नेता एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक.....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[श्री लोलारक सिंह के साथ दुर्व्यवहार करने, प्रताड़ित करने व अपमानित करने के बावत क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक, चन्दौली को सम्बोधित करते हुये दिया गया था। इस प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक, आपरेशन श्री विजय भूषण से जांच करायी गयी। प्रकरण की जांच में सम्बन्धित लोगों के बयान आदि के बाद श्री लोलारक सिंह के साथ उप निरीक्षक श्री राम लखन यादव द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की बात प्रकाश में आयी, जिसके फलस्वरूप उप निरीक्षक श्री राम लखन यादव की इस प्रकार की अनुशासनहीनता के लिये उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली, 1991 के नियम-4 (1) (ख) के उप नियम 4 (4) सपठित नियम 14 (2) के अन्तर्गत परिनिन्दा लेख की नोटिस निर्गत की गयी है। अभी उक्त उप निरीक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किय गया है। उप निरीक्षक को जवाब प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय प्रदान किया गया है। जवाब प्रस्तुत करने की अवधि पूर्ण होने के साथ ही तत्काल इस मामले में उचित निर्णय ले लिया जायेगा। फिलहाल उप निरीक्षक श्री राम लखन यादव के इस प्रकार के कार्य एवं आचरण के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही प्रचलित है।]

जनपद मथुरा में यमुना पर बने पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन प्रकाश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, आभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि जनपद मथुरा से हाथरस, अलीगढ़, बदायूं, मुरादाबाद एवं प्रदेश के अन्य जनपदों को आने जाने का एक मुख्य सड़क मार्ग यमुना पुल के ऊपर से है .....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[इस मार्ग पर जाने के लिये मथुरा से यमुना पुल के ऊपर से होते हुये गुजरना पड़ता था परन्तु मथुरा के इस यमुना पुल की जर्जर हालत होने के कारण शासन/प्रशासन ने इस यमुना पुल के ऊपर से सारा हैवी ट्रैफिक का आवागमन पिछले तीन माह से बन्द कर दिया गया है।

अब यह ट्रैफिक गोकुल बैराज होकर मथुरा सादाबाद मार्ग से गुजर रहा है। इस मथुरा सादाबाद मार्ग की हालत मार्ग के टूटने, मार्ग की गिट्टी-पत्थर बाहर निकलने एवं एक-एक फुट गड्ढे होने के कारण इतनी जर्जर है कि रोजाना दुर्घटनायें हो रही है एवं मार्ग जाम होता रहता है। इस मथुरा से सादाबाद मार्ग की मरम्मत/नवनिर्माण के अभाव में इसकी मात्रा में 4 से 6 घण्टे तथा कभी-कभी तो दिन भर बीत जाता है।

इसी प्रकार राया से बल्देव मार्ग तथा मथुरा के अन्तर्गत झुडावई से अछनेरा मार्ग की स्थिति है जो कि राजस्थान सीमा को जोड़ता है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तीनों सम्पर्क मार्गों पर आये दिन होने वाली घटनाओं के कारण जनता में भारी आक्रोश है तथा आवागमन प्रभावित हो रहा है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं।

उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि प्रश्नगत सेतु जनपद मथुरा में पीलीभीत-बरेली-मथुरा, भरतपुर राजमार्ग सं0-33 के किमी0 260 में स्थित है जिसके क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन माह सितम्बर, 2012 से बन्द कर दिया गया है।

मथुरा सादाबाद मार्ग पर अत्यधिक यातायात घनत्व एवं यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण में प्रयुक्त अत्यधिक भारी वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत/नवनिर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

राया बल्देव मार्ग पर अत्यधिक यातायात घनत्व एवं यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण में प्रयुक्त अत्यधिक भारी वाहनों पर कारण मथुरा सादाबाद मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत/नवनिर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत झुड़ावई से अछनेरा मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है जिसका पुनर्निर्माण जिला योजना (सामान्य) वर्ष 2012-13 में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद-वाराणसी में राजकीय तथा सहायतित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में शादी-विवाह हेतु अनुमति को जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रतिबंधित कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

वाराणसी में अब तक गरीब परिवारों का गुजारा उक्त राजकीय तथा सहायतित विद्यालयों के परिसर में गरीब परिवारों को शादी विवाह हेतु बहुत कम शुल्क पर अनुमति प्राप्त होता रहा है....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[लेकिन खेद का विषय है कि इस वर्ष उक्त आयोजनों पर अनुमति देने से मना कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जो गरीब परिवार अधिक खर्च कर बड़े-बड़े लान इत्यादि लेने में अक्षम होते थे, उनका गुजारा उक्त विद्यालयों के परिसरों में हो जाया करता था जो आर्थिक रूपसे विपन्न परिवारों के लिये एक बड़ा सहारा का काम करता था। मेरी मांग है कि लोग कल्याणकारी राज्य में गरीबों और आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को शादी विवाह हेतु पूर्व की भांति कम शुल्क में पठन-पाठन में बिना कोई व्यवधान के अनुमति दिये जाने हेतु शासन स्तर पर जिला मुख्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया जाय।

अतः नियम-51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभावी सकारात्मक कार्यवाही करने एवं मंत्री जी द्वारा वक्तव्य की मांग करता हूं।

2-उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश के मान्यता प्राप्त/सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के भवन/परिसर का उपयोग शिक्षण कार्य एवं सहगामी क्रिया-कलाप के अतिरिक्त विवाह समारोहों, निजी संस्थाओं एवं कोचिंग सेन्टरों को संचालित कर दुरुपयोग किये जाने की स्थिति का संज्ञान होने पर तथा संगत तथ्य के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष योजित रिट याचिका सं0-42603/2011 प्रबन्ध समिति श्री कैलाश नाथ बालिका इण्टर कालेज, कानपुर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24-9-2012 के समादर में शासन में कार्यालय ज्ञाप सं0-960/15-9-12-2003(66)/12 दिनांक 29-9-2012 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-1008/15-9-12-2003(66)/2012 दिनांक 12-10-2012 द्वारा यह निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के भवन/परिसर में विवाह समारोह का आयोजन एवं कोचिंग सेन्टरों का संचालन न किया जाय।

उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24-9-2012 के समादर में निर्गत किये गये है। प्रश्नगत रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय में अद्यतन विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त निर्देशों में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन किया जाना उपयुक्त नहीं होगा।]

जनपद-शामली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर लगी रोक के बाद भी खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा दिनांक 29-11-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना मांगी गयी थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर लगी रोक के बाद भी जनपद शामली में खनन माफियाओं द्वारा कुछ अधिकारियों से सांठ-गांठ करके रेत का.....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[अवैध खनन पूर्ण जोरों से कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को बार-बार कहने के बावजूद भी आज तक क्षेत्र में हो रहे इस खनन को रोका नहीं जा रहा है। जनपद शामली के गांव इस्सोपुर टील कामोर, खुरगांन सुल्हेटी, पंजीत, बसेड़ा, ख्याजपुर आदि गांव से प्रतिदिन सैकड़ों ट्राली एवं ट्रकों द्वारा रेत का अवैध खनन किया जा रहा है और इस अवैध खनन से सरकार को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। यदि कोई अवैध खनन करते हुये पकड़ा भी जाता है तो उसे राजनैतिक दबाव में या फिर पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा खनन पर लगी रोक के बावजूद भी जनपद शामली में रेत के हो रहे अवैध खनन को रोकने के सम्बन्ध में सदन की कार्यवाही रोक कर सरकार से वक्तव्य की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा दिनांक 29-11-2012 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी, शामली से आख्या प्राप्त की गयी। जिलाधिकारी, शामली द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जनपद शामली में बालू/रेत के अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाये जाने के निमित्त उप जिला मजिस्ट्रेट, शामली एवं कैराना तथा पुलिस विभाग एवं खनन निरीक्षक के माध्यम से प्रवर्तन कार्य कराते हुये क्षेत्र में निरन्तर दृष्टि रखते हुये प्रभावी कार्यवाही करायी गयी है। माह जून, 2012 से अब तक अवैध खनन/परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही के अन्तर्गत थाना-कैराना के अन्तर्गत 13, थाना-झिंझाना के अन्तर्गत 02, थाना-गढ़ीपुख्ता के अन्तर्गत 04 एवं थाना-कांधला के अन्तर्गत 01, कुल 20 व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराते हुये वाद योजित कराये गये हैं। इसी क्रम में थाना-झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्तगण इन्तास पुत्र जमील, निवासी-चौतरा, वाजिद पुत्र यूसुफ, मुमताज पुत्र नन्दा एवं नौशाद पुत्र अशरफ, निवासीगण चौतरा, थाना झिंझाना के विरुद्ध मु0अ0 संख्या 306/12 अन्तर्गत धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट भी पंजीकृत कराया गया है। आकस्मिक निरीक्षण/प्रवर्तन कार्य के समय अवैध रूप से बालू/रेत खनन का परिवहन किये जाने वाले वाहनों को सीज कर शमन शुल्क भी आरोपित किया गया है। इस कार्यवाही के अन्तर्गत माह मई, 2012 से अब तक कुल 54 वाहनों को सीज करते हुये अंकन 10,10,134/- (रुपये दस लाख दस हजार एक सौ चौतीस) की धनराशि वसूल की गयी है। इसी क्रम में ग्राम युसूफपुर उर्फ चौतारा, थाना झिंझाना, ग्राम पंजीठ, थाना कैराना में अवैध रूप से भण्डारित बालू को अभिग्रहित (जब्त) कर सार्वजनिक नीलामी की कार्यवाही करायी गयी। इन दोनों नीलामी कार्यवाहियों से क्रमशः रुपये 4,01,000/-(रुपये चार लाख एक हजार मात्र) एवं रुपये 3,40,000/-(रुपये तीन लाख चालीस हजार मात्र), इस प्रकार कुल रुपये

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7,41,000/- (रुपये सात लाख इक्तालीस हजार मात्र) की धनराशि प्राप्त हुयी जिसको राजकोष में जमा कराया गया है।

शासनादेश संख्या-1971/86-2012-371/2005, दिनांक 30 जुलाई 2012 के क्रम में जिलाधिकारी, शामली द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2012 को संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बालू/रेत के अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही के निर्देश भी दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर उप जिला मजिस्ट्रेट, शामली/कैराना एवं खनन निरीक्षक तथा पुलिस अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर क्षेत्र में निरन्तर निरीक्षण करते हुये बालू/रेत के अवैध खनन एवं परिवहन पर अंकुश लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी, शामली द्वारा दिये गये हैं। इस प्रकार मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में बालू/रेत के अवैध खनन/परिवहन पर रोक लगाये जाने पर प्रभावी कार्यवाही की गयी है।]

गाजियाबाद के अन्तर्गत लोनी क्षेत्र में निम्न वर्ग के व्यक्तियों के ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्ड न बनाने के सम्बन्ध में श्री जाकिर अली द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री जाकिर अली, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 29-11-2012 को सूचना दी गयी है कि जनपद गाजियाबाद में विधान सभा क्षेत्र लोनी में निम्न आय के निवासियों जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[के ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 कार्ड स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से नहीं बन पाये हैं, जिसके कारण शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ जनमानस को नहीं मिल पा रहा है। इसके अतिरिक्त वहां के ज्यादातर निवासियों के वोटर आई0डी0 कार्ड भी नहीं बन पाये हैं। मान्यवर, यह जनहित का प्रश्न है।

अतः जनहित के इस विषय पर सदन में वक्तव्य कराये जाने की मांग की गयी है।

लोनी क्षेत्र में ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड पूर्व से निर्गत है, जिन पर नियमानुसार आवश्यक वस्तुए उपलब्ध करायी जा रही है। लक्ष्य पूर्ण होने के कारण बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्य योजना के अन्तर्गत नये राशन कार्ड निर्गत नहीं किये जा सके हैं। अतिरिक्त बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत ए0पी0एल0 परिवारों में से

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पात्र निम्न आय वर्ग के राशन कार्ड धारकों को चिन्हांकित कर राशन कार्डों पर अतिरिक्त बी0पी0एल0 की मोहर लगाकर अगले माहों से बी0पी0एल0 दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा।

वर्तमान में ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत जनपद में लोकवाणी एवं जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर राशन कार्ड जारी किये जा रहे हैं। अभ्यर्थी अपने किसी भी निकटतम जनसुविधा केन्द्र पर निर्धारित औपचारिकतायें पूर्णकर राशन कार्ड निर्धारित अवधि में प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार लोनी क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को पात्रता अनुसार राशन कार्ड निर्गत किये जा रहे हैं। विधान सभा क्षेत्र लोनी में वर्तमान में कुल प्रचलित ए0पी0एल, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्डों की संख्या 150584 है तथा माह अप्रैल, 2012 से अब तक कुल 783 ए0पी0एल0 राशन कार्ड बने हैं।

वोटर आई0 डी0 कार्ड बनाने का कार्य राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशें पर किया जाता है।]

जनपद-सोनभद्र के कतिपय गांवों में पानी में मरकरी की मात्रा पाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती रूबी प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय सदस्य द्वारा दुद्धी जनपद-सोनभद्र के अन्तर्गत आने वाले गांव जैसे-कुसुम्हा, चिल्काडांड, कमरीडांड, अनपारा, ओवरा इत्यादि गांवों में पानी के अन्तर्गत 84.1 प्रतिशत मरकरी की मात्रा पाये जाने से वहां की मछलियों में मिथाईल मरकरी पाये जाने और इसके...

प्रोटोकाल राज्यमंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[खान से इन्सानों के प्रभावित होने तथा वनवासी सेवाश्रम द्वारा 55 गांवों में सर्वे किये जाने जिससे 4900 परिवारों की महिलाओं में समयपूर्व गर्भपात की समस्या तथा शरीर पर सफेद दाग की शिकायत पाये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आख्या के आधार पर स्थिति यह है कि सहायक निदेशक, मत्स्य, सोनभद्र से प्राप्त पत्र दिनांक 27-11-2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि सेंटर फार साइन्स इन्वायरन्मेंट द्वारा 27.235 हेक्टेयर में फैले रिहन्द जलाशय से मात्र 03 मछलियों का सैम्पल लिया गया है। अतः सैम्पल अत्यधिक कम होने के कारण जो परिणाम मिले हैं वह सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। सैम्पल साइज के लिये रिहन्द क्षेत्र के फैलाव को देखते हुये दुद्धी सोनभद्र में इंगित ग्राम क्षेत्रों को समाहित करते हुये लगभग 100 स्थलों से मछलियों के विभिन्न प्रजातियों का सैम्पल लिया जाना आवश्यक है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मुख्य चिकित्साधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 27-11-2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुद्धी एवं अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, म्योरपुर, सोनभद्र के आख्यानुसार उनके चिकित्सालयों में विगत 05 वर्षों में कोई भी व्यक्ति मरकरी से अपमिश्रित खाद्यान्न/पेयजल से ग्रसित होकर नहीं आया है तथा न ही उससे किसी की मृत्यु हुई है।]

(घोर व्यवधान जारी रहा)

जनपद-अम्बेडकर नगर के आलापुर क्षेत्रान्तर्गत नहरी, ड्रेनों व नालों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री भीम प्रसाद सोनकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, शासन के पत्र संख्या-107 एनक्यू/12-27-सिं0-4-75(नियम)/12, दिनांक 29-11-12 द्वारा प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश.....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जनपद अम्बेडरकर नगर विधान सभा क्षेत्र आलापुर में नहर व ड्रेन, नगला जो पिछली सरकार के समय से बन्द पड़े हैं उनकी सफाई पिछली सरकार में केवल कागजों में होती चली आयी थी और सिंचाई के लिये किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा था। वर्तमान समय में मैने कई पत्र जिले के अधिकारियों को दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। किसानों को सिंचाई के लिये असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विगत पांच वर्षों में कागजों पर की गई ड्रेन, नाला की सफाई मद में खर्च की गई धनराशि की उच्च स्तरीय जांच कराई गई एवं तत्काल उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया जाय कि किसानों को पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाय। यह किसानों से जुड़ा विषय है एवं जनहित का है तत्काल निस्तारण किये जाने की आवश्यकता है।

लखनऊ को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।]

जनपद-महोबा के चन्देल कालीन इतिहास को जिन्दा रखने हेतु महोबा को पर्यटन उद्योग से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री राज नारायण बुधौलिया, म0 सदस्य, विधान सभा द्वारा यह सूचना दी गयी है कि ''जनपद-महोबा, जो कि चन्देल शासकों एवं जीर आल्हा-ऊदल की शौर्यता का प्रतीक है जहां पर अनेक....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[चन्देल कालीन धरोहरों के रूपमें मन्दिर, मठ, गढ़ी, किले, झीले तालाब इत्यादि स्थित हैं जिनका भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग द्वारा भी प्रमुखता से उल्लेख किया जा चुका है जिनको सहेजने एवं सवारने के साथ ही सुरक्षित रखने की आवश्यकता लेकिन भारी उपेक्षा के कारण सभी धरोहरें अपनी पहचान खोती जा रही है। वर्तमान जिला अधिकारी द्वारा महोबा विकास एवं संरक्षण समिति गठित कर इन सभी धरोहरों को सुरक्षित रखने के साथ ही महोबा जनपद को पर्यटन उद्योग से जोड़ने हेतु गम्भीर प्रयास किये गये हैं। जिला प्रशासन द्वारा भारत के प्रमुख टूर आपरेटरों से खजुराहों आने वाले सभी पर्यटकों को महोबा भ्रमण से जोड़ने का आग्रह किया गया है। इस कार्य में सभी जन प्रतिनिधियों एवं समाज सेवी संस्थाओं के साथ ही आम जनमानस का भारी समर्थन इस समिति को प्राप्त हुआ है। लेकिन धनाभाव के कारण प्रयास अधूरे ही रहेंगे।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त प्रकरण में मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि महोबा के चन्देल कालीन इतिहास को जिन्दा रखने के लिये वहां की सभी अमूल्य धरोहरों को उचित सम्मान देते हुये महोबा को पर्यटन उद्योग से जोड़ने हेतु अविलम्ब विशेष पैकेज के तहत आवश्यक धनराशि जारी कराने का कष्ट करें।''

2-अवगत कराना है कि जनपद महोबा जो कि चन्देल शासकों एवं वीर आल्हा-ऊदल की शौर्यता का प्रतीक है जहां पर अनेक चन्देल कालीन धरोहरों के रूप से मन्दिर, मठ, गढ़ी, किले, झीले, तालाब इत्यादि स्थित हैं। पर्यटन विभाग सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड को पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु सजग है। इस दृष्टि से बुन्देलखण्ड का टूरिज्म मास्टर प्लान बनाने के लिये दिनांक 05-07-2010 को कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया जिसके अन्तर्गत दो बिट्स प्राप्त हुयी। विभाग के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 06-09-2010 को टेक्निकल बिड्स खोली गयी जिसका मूल्यांकन करके दिनांक 23-02-2010 को फाइनेन्शियल बिड्स खोली गयी, जिसमें न्यूनतम धनराशि रु0 15.00 लाख मै0 दि नेल्सन कम्पनी नई दिल्ली की थी, समिति के द्वारा न्यूनतम धनराशि की संस्था मै0 दि0 नेल्सन कम्पनी, नई दिल्ली का चयन किया गया। विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड पर्यटन परिपथ की कन्सल्टेन्सी कराये जाने हेतु रु0 15.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति दिनांक 13-01-2011 को निर्गत की गयी। तत्पश्चात् दिनांक 21-01-2011 को चयनित संस्था को एल0ओ0ए0 निर्गत किया गया। संस्था के द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 20-04-2012 को उपलब्ध करायी गयी। जिसमें जनपद-महोबा की साइट्स के विकास का उल्लेख किया गया है जिसमें मुख्य रूप से विजय सागर, कीरत सागर, मोहन सिंह गढ़ी, मदन सागर, गोखार हिल, सूर्य मन्दिर

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहेला, खखरा मठ, चरखारी की झीलें, श्रीनगर में गढ़ी आदि का विकास लिये जाने का उल्लेख है। महोबा के पर्यटन विकास के बारे में विभागीय बजट उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से विकास के लिये कटिबद्ध है। इसके अलावा पर्यटन परिपथ के अन्तर्गत महोबा के विकास की योजना है। उक्त परिपथ के विकास के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। इस प्रकार पर्यटन विभाग बुन्देलखण्ड पर्यटन विकास के साथ महोबा के पर्यटन विकास के लिये प्रयासरत है।]

जनपद-प्रतापगढ़ के रामपुर खास क्षेत्रान्तर्गत तहसील-लालगंज में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला के समीप में कोई चिकित्सालय नहीं है....

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[जिसके कारण उक्त दोनों स्थलों पर जनहित में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है, इन क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधाा न होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर लोगों का समुचित उपचार नहीं हो पाता है जिसके कारण समीप में कोई अन्य चिकित्सालय न होने की वजह से कभी-कभी चिकित्सीय सुविधा न मिलने के कारण इलाज के अभाव में छोटी से छोटी बीमारी भी भयंकर रूप ले लेती है और लोगों की असामयिक मृत्यु तक हो जाया करती है। जनहित में उपरोक्त दोनों स्थानों पर एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जाना अति आवश्यक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों को समय रहते चिकित्सा की सुविधा मिल सके और उनके जीवन को बचाया जा सके। इस क्षेत्र के समीप में कोई अन्य चिकित्सालय न होने एवं नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना अभी तक न होने के कारण लोगों में निराशा तथा चिन्ता व्याप्त है, और उनमें रोष है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये वक्तव्य की मांग करता हूं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद प्रतापगढ़ तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम राहाटीकर की जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 5081 है। इस ग्राम के आस-पास 08 अन्य न्याय पंचायतों को मिलाकर कुल जनसंख्या 32864 है। ग्राम राहाटीकर सांगीपुर ब्लाक में स्थित है, जिसमें एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन है, जो कि उक्त ग्राम से 10 कि0मी0 दूर है तथा तीन

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंगापुर, अठेहा, भैसना स्थापित हैं, जो उक्त ग्राम से क्रमशः 8 कि0मी0, 12 कि0मी0 व 22 कि0मी0 पर स्थित है।

इसी प्रकार ग्राम पूरेनौती इटैली की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2009 है। इस ग्राम के आस-पास की अन्य 13 न्यायपंचायतों को मिलाकर कुल जनसंख्या 32023 है। ग्राम पूरेनौती इटैला लालगंज ब्लाक में स्थित है, जिसमें एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लालगंज क्रियाशील है, जो कि उक्त ग्राम से 08 कि0मी0 दूर है तथा 02 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़पुर व रानीगंज कैथोला स्थापित हैं, जो उक्त ग्राम से क्रमशः 20 कि0मी0 व 25 कि0मी0 पर स्थित है।

वर्तमान में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 सामान्य जनसंख्या पर उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।]

जनपद-शाहजहांपुर के पुराने अस्पताल, शाहजहांपुर में आपातकालीन सेवा प्रारम्भ कराये जाने एवं निगोही रोड पर एक पी0एच0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

शाहजहंपुर नगर में तथा निगोही रोड पर ग्राम टिकरी तक चिकित्सीय सुविधायें बहुत कम हैं, जहां है भी वहां इतनी महंगी है कि कमजोर गरीब आदमी उसको प्राप्त करने में असमर्थ है।...

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[नगर के मध्य मो0 बिजलीपुरा में पुराने अस्पताल के भवन में जहां सी0एम0ओ0 बैठते है, गरीबों के लिये आपातकालीन चिकित्सा सुविधायें अवश्य होना चाहिये। क्योंकि गरीब आदमी के जलालाबाद रोड पर नये जिला अस्पताल में जाने-आने में ही 50 से 70 रुपये खर्च हो जाते है जिसके कारण सरकारी अस्पताल जाने का कोई अर्थ नहीं है। यदि ये सुविधा पुराने जिला अस्पताल में चालू कर दी जावे तो गरीबों, असहायों के लिये वरदान होगी, साथ ही शाहजहांपुर से निगोही रोड पर ग्राम संतवा से ग्राम टिकरी तक एक पी0एच0सी0 बन जावे तो हजारों को लाभ होगा। अतः लोक महत्व के इस अवलिम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये पुराने अस्पताल शाहजहांपुर में आपात कालीन सेवा चालू करने तथा निगोही रोड पर शाहजहांपुर से 13 कि0मी0 पर ग्राम टिकरी में एक पी0एच0सी0 बनवाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ मान गया।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में जनपदवासियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो रही है, क्यों नया पुरुष/महिला जिला संयुक्त चिकित्सालय, शाहजहांपुर पुराने अस्पताल से मात्र 03 कि0मी0 की दूरी पर मो0 अजीजगंज में स्थित है, जिसे वर्ष 1999 में हस्तान्तरित किया गया था। वर्तमान में पुराने अस्पताल में प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक ओ0पी0डी0 में एक चिकित्सक, फार्मासिस्ट एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के माध्यम से चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है तथा वहां आने वाले अति गम्भीर मरीजों को वहां से एम्बुलेंस से नये जिला चिकित्सालय में शिफ्ट कराया जाता है। पुराने भवन में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जहां तक ग्राम टिकरी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने का प्रश्न है, के संबंध में उल्लेख करना है कि ग्राम टिकरी विकास खण्ड ददरौला के अन्तर्गत आता है। ग्राम सतवां में उपकेन्द्र स्थापित है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भावलखेड़ा से लगभग 14 कि0मी0 दूर स्थित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ददरौला ग्राम टिकरी से 20 कि0मी0 दूर स्थित है। ग्राम सतवां तथा ग्राम टिकरी के बीच लगभग 7 कि0मी0 की दूरी है। ग्राम टिकरी के निकट सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निगोही है, जो 13 कि0मी0 दूर स्थित है।

वर्तमान में वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 सामान्य जनसंख्या पर उपलब्ध कराये जाने का उद्देश्य है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 में जनपद शाहजहांपुर के ग्राम टिकरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद-कुशीनगर के हाटा क्षेत्रान्तर्गत धान क्रय केन्द्रों पर की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा जनपद कुशीनगर में धान क्रय केन्द्रों पर अब तक धान खरीद शुरू न होने से किसानों में आक्रोश है।...

प्रोटोकाल राज्य मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

माननीय अध्यक्ष जी, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

विभागीय लापरवाही से किसी क्रय केन्द्रों पर बोरा है तो कर्मचारियों का कहना है कि पैसा नहीं है धान माफियाओं द्वारा किसानों का धान औने-पौने दाम पर खरीद कर सहकारी क्रय केन्द्रों के प्रभारियों से सांठ-गांठ बना कर धान क्रय-विक्रय कर रहे हैं। अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने व धान क्रय केन्द्रों पर किसानों का धान

न लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने एवं सरकार से व्यक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद कुशीनगर में कुल 65 धान क्रय केन्द्र स्वीकृत व स्थापित किये गये हैं जिनमें दिनांक 27-11-2012 तक कुल 3,467 मी0 टन धान की खरीद की जा चुकी है।

जनपद हाटा विधान सभा क्षेत्र में खरीद के प्रारम्भिक सत्र में कम्बाइन से धान काटने के कारण नमी अधिक होने से कुछ केन्द्रों पर क्रय प्रारम्भ नहीं हो सका था। वर्तमान में हाटा तहसील में सरकारी क्रय एजेंसियों के कुल 28 क्रय केन्द्र संचालित हैं तथा दिनांक 27-11-2012 तक कुल 1581.06 मी0 टन धान खरीद की जा चुकी है।

वर्तमान में खाद्य विभाग के क्रय केन्द्रों पर रु0 30.74 लाख, पी0सी0एफ0 के क्रय केन्द्रों पर रु0 85 लाख, कर्मचारी कल्याण निगम के क्रय केन्द्रों पर रु0 26.72 लाख एवं यू0पी0एस0एस0 क्रय एजेंसी के केन्द्रों पर रु0 21 लाख कुल रु0 243.46 लाख उपलब्ध हैं। हाटा तहसील के खाद्य विभाग के केन्द्रों पर कुल 4,99,952 पी0सी0एफ0 एजेन्सी के केन्द्रों पर 1,32,500 कर्मचारी कल्याण निगम एजेन्सी के केन्द्रों पर 87,500 व यू0पी0एस0एस0 एजेन्सी के क्रय केन्द्रों पर 20,000 बोरे कुल 7,39,952 बोरे उपलब्ध हैं। धान खरीद में किसानों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की कोई शिकायत नहीं है।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 30-5-2012 को श्री जीतेन्द्र यादव थानाध्यक्ष चौरी-चौरा, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध अभिसूचित विशषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

श्री जय प्रकाश निषाद, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत श्री जितेन्द्र यादव, थानाध्यक्ष, चौरी-चौरा, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन की सूचना, दिनांक 30 मई, 2012 के मामले मे मैंने निर्णय ले लिया है और उसमें सदन की अवमानना तथा विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्गत न पाये जाने के कारण उक्त सूचना अग्राह्य कर दी गयी है।

इस मामले में मेरे द्वारा लिया गया निर्णय सदन के दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग माना जायेगा।

निर्णय-

श्री जय प्रकाश निषाद, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री जितेन्द्र यादव, थानाध्यक्ष, चौरी-चौरा, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-63/64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 30 मई, 2012 को दी गई।

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 22 मई, 2012 को जन शिकायत प्राप्त होने पर जनसमस्याओं के निस्तारण हेतु श्री जितेन्द्र यादव, थानाध्यक्ष चौरी-चौरा, जनपद-गोरखपुर के

दूरभाष पर उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से वार्ता की गई। वार्ता में श्री यादव ने माननीय सदस्य से असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि ऐसे तो तमाम विवाद रोज होते रहते हैं उन्होंने समस्याओं को निपटाने का ठेका नहीं ले रखा है। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष जन समस्याओं में रुचि नहीं लेते हैं एवं उनके प्रति गम्भीर नहीं हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि थानाध्यक्ष द्वारा उनका अनादर एवं अपमान करने की शिकायत उनके द्वारा उच्चाधिकारियों को भी दी गई है। माननीय सदस्य द्वारा श्री जितेन्द्र यादव के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना देते हुए प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित किये जाने की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से श्री जितेन्द्र यादव, थानाध्यक्ष, चौरी-चौरा, गोरखपुर का स्पस्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री जितेन्द्र कुमार यादव, थानाध्यक्ष, चौरी-चौरा द्वारा अपने स्पष्टीकरण, दिनांक 21 जून, 2012 में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 22 मई, 2012 को श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा ने उनके मोबाइल नम्बर 9454403507 पर बताया कि वह जय प्रकाश निषाद बोल रहे हैं। सुनील शर्मा पुत्र हरिश्चन्द्र शर्मा, सूर्यनाथ रमेश, राजेश, निवासी शत्रुघनपुर, भगवान टोला को थाने पर बुलाकर समझौता कैसे करवा दिया गया। सुनील शर्मा बसपा कार्यकर्ता हैं। वह क्षेत्रीय विधायक हैं, उन्हें थानाध्यक्ष पद से हटवा देंगे आदि कठोर वाक्य अत्यन्त कड़े लहजे में कहे। श्री जितेन्द्र यादव ने उल्लेख किया कि उन्होंने माननीय सदस्य को विनम्रतापूर्वक बताया कि श्री हरिश्चन्द्र शर्मा पुत्र गब्बू शर्मा तथा प्रतिपक्षी सूर्यनाथ पुत्र लक्ष्मी निवासीगण-शत्रुघनपुर, पासीटोला, जमीन के प्रकरण में उनकी नियुक्ति से पूर्व ही दिनांक 06 मार्च, 2007 को स्टाम्प सुलह समझौता कर लिया गया था। पुनः विवाद होने पर दिनांक 20 मई, 2012 को दोनों पक्षों ने अपने समर्थकों के साथ ग्राम प्रधान की उपस्थिति में थानें में सुलह कर लिया इसमें पुलिस स्तर से कोई दखल नहीं दिया गया है। इस बात पर माननीय सदस्य अप्रसन्न होकर धमकी देने लगे। श्री यादव द्वारा माननीय सदस्य को यह भी अवगत कराया गया कि प्रकरण जमीनी विवाद का है इसलिये प्रकरण राजस्व विभाग को संदर्भित कर दिया जाय तो दोनों पक्षों द्वारा जो समझौता हुआ है, असहमति पर विधि मान्य सुलह समझौता नहीं रह जायेगा। इस पर माननीय विधायक जी ने अप्रसन्न होकर मोबाइल बन्द कर दिया। श्री जितेन्द्र कुमार यादव द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि थाना चौरी-चौरा में थानाध्यक्ष के पद पर रहते हुए जो भी समस्याएं आती हैं उनका त्वरित गति से निष्पक्ष होकर स्थापित विधि व्यवस्था के आलोक में निस्तारण किया जाता है। इसके पूर्व भी माननीय सदस्य द्वारा उनसे कई बार फोन पर वार्ता की गई और बताई गई समस्याओं का विधिक रूप से निदान किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में भी श्री हरिश्चन्द्र द्वारा किसी प्रक्रम पर कोई शिकायत नहीं की गई है। इस आधार पर श्री यादव ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामला दो पक्षों के बीच जमीन के विवाद में हुए आपसी सुलह-समझौते से सम्बन्धित है, जिसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से थानाध्यक्ष को टेलीफोन पर अपेक्षित कार्यवाही करने के कथित निर्देश दिये गये थे। श्री जितेन्द्र कुमार यादव, थानाध्यक्ष, चौरी-चौरा, जनपद-गोरखपुर के प्राप्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में मा0 सदस्य, सदन अथवा विधान सभा की किसी समिति के विशेषाधिकार-हनन अथवा अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

अतः मा0 सदस्य की उक्त सूचना को मैं अग्राह्य घोषित करता हूं।

(घोर व्यवधान)

विधान मण्डल पुस्तकालय द्वारा अब तक वितरण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण, आपको एक सूचना देनी है कि विधान पुस्तकालय की ओर से संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया से संबंधित कौल एवं शकधर द्वारा लिखित पुस्तक का वितरण किया जाना है। यह कार्य अभी सेन्ट्रल हॉल में होगा।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

(11.27 बजे) संसदीय कार्य एव नगर विकस मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

राष्ट्र-गान

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे।
भारत-भाग्य-विधाता।।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद घोर व्यवधान के मध्य ही सदन का उपवेशन 11 बजकर 28 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 5 दिसम्बर, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

सूची

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 20 पर।)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश

वर्ष 2012

बाढ़ प्रभावित जनपदों में बाढ़ संरचनाओं के कराये गये कार्यों का विवरण

धनराशि लाख रु0 में

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजना का विवरण/नाम	वर्ष 2012-13 में आवंटन
1	2	3	4
1	बहराइच	जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली-आदमपुर तटबंध के कि0मी0 9.00 से कि0मी0 10.70 तक 3 स्पर निर्माण की कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	9.26
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर के कि0मी0 11.235 से कि0मी0 12.00 के मध्य कटाव निरोधक परियोजना।	75.00
		जनपद बहराइच में चौ0 सरयू बैराज के अपस्ट्रीम में ग्राम पड़रिया एवं अस्सी नब्बे के पास सरयू नदी में लूप कटिंग एवं स्पर के निर्माण का कार्य।	34.16
		जनपद बहराइच में दहौरा ताल की बाढ़ से सुरक्षा हेतु भिलौरा तटबंध के निर्माण की परियोजना।	13.10
		जनपद बहराइच में सरयू नदी के बायें तट पर सरयू बैराज एवं ग्राम पड़रिया के मध्य कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	75.00
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के सुरक्षा हेतु कि0मी0 9.450 से कि0मी0 7.725 के मध्य स्लोप पिचिंग व लाचिंग एप्रन कार्य की परियोजना।	68.42
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के सुरक्षा हेतु कि0मी0 9.725 से 9.990 तक स्लोप पिचिंग व लांचिंग एप्रन की कार्य की परियोजना।	184.16
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के सुरक्षा हेतु कि0मी0 9.395 से कि0मी0 9.750 के मध्य 5 अदद बोल्डर स्पर एवं कि0मी0 9.350 के अपस्ट्रीम में रिवरएज पर 4 अदद डैम्पनर के निर्माण कार्य की परियोजना।	112.53

1	2	3	4
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के कि0मी0 10.175 पर स्पर के निर्माण का कार्य एवं कि0मी0 10.00 पर क्षतिग्रस्त स्पर के रिक्यूपमेंट कार्य की परियोजना।	200.00
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध की सुरक्षा हेतु कि0मी0 10.350 पर क्षतिग्रस्त स्पर एवं कि0मी0 10.115 तथा 10.230 पर क्षतिग्रस्त परक्यूपाइन स्टड के रिक्यूमपमेंट का कार्य की परियोजना।	200.00
		जनपद बहराइच में सरयू नदी के बायें किनारे पर ग्राम रघुनाथपुरवा के पास कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	100.00
		जनपद बहराइच में सरयू/घाघरा नदी के बायें तट पर बेल्हा बेहरौली तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण की योजना। कि0मी0 0.00 से 25.00 तक।	25.00
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर निर्मित बेलहा-बेहरौली तटबंध के किमी0 62.400 कि0मी0 62.760 एवं कि0मी0 63.120 पर जियो बैग से स्पर निर्माण की परियोजना।	300.00
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के कि0मी0 11.200 से 11.460 तक प्रस्तावित लाचिंग एप्रन एवं परक्यूपाइन स्टड के निर्माण हेतु कार्यों की परियोजना।	300.00
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर रेवली आदमपुर तटबंध के कि0मी0 11.460 से 11.750 तक प्रस्तावित लाचिंग एप्रन एवं परक्यूपाइन स्टड के निर्माण हेतु कार्यो की परियोजना।	300.00
		जनपद बहराइच में घाघरा नदी के बायें तट पर निर्मित बेलहा-बेहरौली तटबंध के कि0मी0 63.400 कि0मी0 से कि0मी0 64.00 तक परक्यूपाइन से सुरक्षात्मक कार्यों की परियोजना।	300.00
		जनपद बहराइच का योग	**10430.35**
1	2	3	4
2	बलिया	जनपद बलिया में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित तुर्तीपार-श्रीनगर तटबंध के कि0मी0 70.200 से कि0मी0 70.600 के मध्य जियो-टेक्सटाईल्स बैग में लांचिंग एप्रन एवं स्लोप पिचिंग की परि0।	349.23

1	2	3	4
		जनपद बलिया में घाघरा नदी के दायें तट पर रामपुर बिहरा रिंग बांध पर स्थित ग्राम बिहरा व सूर्य मन्दिर के सुरक्षार्थ पिचिंग एवं एप्रन निर्माण की परि0।	100.00
		जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें तट पर भुसौला, जगदीशपुर, गुड़रिया ग्राम एवं समूह संसार टोला बन्ध की सुरक्षा हेतु पिचिंग एवं लांचिंग एप्रन की परि0।	100.00
		जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें तट पर दूबे छपरा टेंगरही तटबंध की पुनरीक्षित परियोजना।	75.00
		जनपद बलिया में घाघरा नदी के बायें तट पर स्थित तुर्तीपार-श्रीनगर तटबंध के कि0मी0 69.300 से 70.00 तक जिओ टेक्सटाइल बैग एवं नए ई0सी0 बैग में नायलोन क्रेट में आर0बी0एम0 भरकर लांचिंग एप्रन एवं पिचिंग के रिक्यूपमेंट तथा परक्यूपाइन डालकर सुरक्षा की परियोजना।	400.00
		जनपद बलिया में घाघरा नदी के बायें तट पर स्थित तुर्तीपार-श्रीनगर तटबंध कि0मी0 67.400, 67.800, 68.600 पर पूर्व निर्मित क्षतिग्रस्त स्परों का जियो टेक्सटाइल बैग एवं नयी सीमेंट की खाली बोरियों में आर0बी0एम0 भरकर रिक्यूपमेंट की परियोजना।	300.00
		जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें तट पर बलिया बैरिया तटबंध (एन0एच0 31) के कि0मी0 25.900 से 26.300 तक सुरक्षा हेतु पिचिंग एवं लाचिंग एप्रन तथा परक्यूपाइन डालने की परियोजना।	350.00
		जनपद बलिया में यमुना ड्रेन के कि0मी0 8.150 पर वी0आर0वी0 के निर्माण कार्य की परियोजना। लागत रु0 14.99 लाख।	8.00
		जनपद बलिया का योग	**1682.23**
3	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी में घाघरा नदी कि दायें तट पर अलीनगर रानीमऊ बंधा को कि0मी0 0.000 से 28.250 तक उच्चीकरण की परियोजना।	200.00

1	2	3	4
		जनपद बाराबंकी में घाघरा नदी के दाहिने तट पर एल्गिन ब्रिज के डाउन स्ट्रीम में निर्मित सुरजपुर मुख्य तटबंध, सुरजपुर एफलेक्स तटबंध, अलीगढ़ एफलेक्स तटबंध तथा तवक्कलपुर एफलेक्स तटबंध को वर्ष 2009 के उच्च बाढ़ तल के अनुरूप उंचाई बढ़ाने की परियोजना।	106.36
		जनपद बाराबंकी में घाघरा नदी के दायें तट पर अलीनगर रानीमऊ तटबंध के कि0मी0 19.500 से 21.00 तक की सुरक्षा के लिए क्यूनिट बनाकर धारा परिवर्तन करने की परियोजना।	64.76
		जनपद बाराबंकी में अलीनगर रानीमऊ बंध के कि0मी0 20.300 पर निर्मित स्पर के अपस्ट्रीम में कि0मी0 20.020 से कि0मी0 20.270 एवं डाउन स्ट्रीम में कि0मी0 20.320 से कि0मी0 20.570 तक बांध की सुरक्षा की परियोजना।	200.00
		जनपद बाराबंकी के ब्लाक सिरौली गौसपुर तथा दरियाबाद ब्लाक में जल प्लावन से बचाने हेतु घाघरा तथा कल्याणी नदी बेसिन में ड्रेनों की क्षमता पुर्नस्थापना की परियोजना। (योजना की लागत रु0 155.03 लाख)	30.00
		जनपद बाराबंकी कल्याणी नदी बेसिन ड्रेनों की क्षमता पुर्नस्थापना की परियोजना। (लागत रु0 388.27 लाख)	52.82
		जनपद बाराबंकी का योग	**653.94**
4	फैजाबाद	जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित रौनाही तटबंध के कि0मी0 5.00 से कि0मी0 5.500 तक सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	75.00
		जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित रौनाही गांव व पम्प हाउस सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	100.00
		जनपद फैजाबाद में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित अयोध्या-बिल्वहरिघाट तटबंध के कि0मी0 8.500 से कि0मी0 तक बाढ़ सुरक्षा परियोजना।	50.00
		जनपद फैजाबाद का योग	**225.00**

1	2	3	4
5	फर्रुखाबाद	जनपद फर्रुखाबाद में ग्राम खान आलमपुर, गहुआ, साधु सराय इत्यादि 20 ग्रामों की गंगा नदी से बाढ़ सुरक्षा की पुनरीक्षित परियोजना।	300.00
		जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत रामगंगा नदी के दायें तट पर ग्राम कड़क्का वीरसिंहपुर, झब्बू की मडइया आदि 12 गांवों एवं कड़क्का तटबन्ध को रामगंगा नदी की बाढ़ से बचाने हेतु कटाव निरोधक परियोजना।	400.00
		जनपद फैजाबाद का योग	**700.00**
6	गोण्डा	जनपद गोण्डा में घाघरा नदी के बायें तट पर एल्गिन ब्रिज चरसरी तटबंध के कि0मी0 22.775 से कि0मी0 22.900 के मध्य कटाव निरोधक एवं स्पिल बन्द करने की परियोजना।	150.00
		जनपद गोण्डा में घाघरा नदी के बायें तट पर एल्गिन ब्रिज चरसरी तटबंध के किमी0 36.200 से 36.400 के मध्य कटाव निरोधक कार्य एवं स्पिल बन्द करने के कार्य की परियोजना।	250.00
		जनपद गोण्डा का योग	**400.00**
7	लखीमपुर खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में गिरिजा बैराज के दायें एफलक्स बन्ध की सुरक्षा हेतु किमी0 9.00 से किमी0 11.00 तक कौड़ियाला नदी के दायें तट पर कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	150.00
		जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा बैराज के दायें एफलक्स बन्ध के किमी0 7.00 से कि0मी0 8.00 के बीच कटाव निरोधक कार्य की परि0 5 परियोजनाओं का संकलित प्रस्ताव।	150.00
		जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के बायें तट पर एरापुल से अम्बरपुर तक ग्राम गौर चौखड़िया एवं महमदापुर के समीप निर्मित तटबंध के कि0मी0 9.500 से कि0मी0 10.200 तक सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	75.00
		जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के बायें तट पर एरापुल से अम्बरपुर तक ग्राम खडवामितमऊ के समीप तटबंध के कि0मी0 17.500 से कि0मी0 18.500 की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	75.00
		जनपद लखीमपुर खीरी में गिरिजा बैराज के दायें एफलक्स बन्ध की सुरक्षा हेतु कि0मी0 10.00 से कि0मी0 11.500 तक कौड़ियाला नदी के दायें तट पर रिवेटमेन्ट कार्य की परियोजना।	150.00

1	2	3	4
		जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा बैराज के दायें एफलक्स बन्ध के किमी0 4.00 से कि0मी0 5.00 के बीच कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	40.00
		जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत शारदा नदी के दायें किनारे पर ग्राम पिपरिहा भूड़ एवं अन्य ग्रामों की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना। (लागत रु0 716.76 लाख)।	100.00
		शारदा बैराज के बायें एफलक्स बंध के कि0मी0 4.00 से 4.800 के मध्य बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	200.00
		जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी के दायें किनारे पर ग्राम दौलतपुर के निकट वर्ष 2011 में आई बाढ़ से भीरा-पलिया रेलवे लाइन एवं अन्य परिसम्पत्तियों की बाढ़ से सुरक्षा हेतु परियोजनाएं।	574.34
		जनपद लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में ग्राम सकेथू के पास स्पिल बंद करने एवं कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	744.16
		जनपद लखीमपुर खीरी का योग	**2258.50**
8	पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में शारदा नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम हजारा, शास्त्रीनगर, मुर्जनिया, खजुरिया आदि ग्रामों की बाढ़ सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 7 अदद स्पर निर्माण योजना।	70.11
		जनपद पीलीभीत में देवहा नदी के बायें किनारे पर रोडवेज बस स्टेझउ के समीप पीलीभीत शहर को बाढ़ से बचाने हेतु बाढ़ सुरक्षा परियोजना। (लागत रु0 117.18 लाख)	21.60
		जनद पीलीभीत में कैलाश नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम उड़रा, बनी, भदसरा, भूड़ा आदि ग्राम सूह को बाढ़ से बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा परियोजना।	84.23
		जनपद पीलीभीत में मित्तेपुर पटनिया पर देवहा नदी द्वारा हो रहे कटान की बाढ़ सुरक्षा कार्य।	25.00
		जनपद पीलीभीत का योग	**200.94**
9	आजमगढ़	जनपद आजमगढ़ में विधान सभा अतरौलिया के जलनिकास हेतु ड्रेनों की पुनर्स्थापना ।	28.13
		जनपद आजमगढ़ में गांगेपुर मटिया एडवांस बांध की पुनर्स्थापना की परियोजना।	25.00
		जनपद आजमगढ़ में मंगई ड्रेन के कि0मी0 21.500 से 9.500 तक क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना।	41.90
		जनपद आजमगढ़ का योग	**95.03**

1	2	3	4
10	बलरामपुर	जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित करमहना भेजपुर बांध के कि0मी0 8.50 से 9.00 के मध्य ग्राम नौबस्ता की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	150.00
		जनपद बलरामपुर में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित टेगहनिया मानकोट इत्यादि ग्राम समूह की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	50.00
		जनपद बलरामपुर का योग	**200.00**
11	सिद्धार्थ नगर	जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के दायें तट पर बांसी पनघटिया बांध के किमी0 21.950 से 22.250 के कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	29.35
		जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बायें तट पर नरकटहा शहर सुरक्षा बांध के कि0मी0 0.850 से 1.100 तक कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	6.85
		जनपद सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी के दायें तट पर गोवर्धनपुर बांध के कि0मी0 4.70 से 5.00 के मध्य ग्राम-रोहुडिला के समीप कटाव निरोधक कार्य की परियोजना। (लागत रु0 97.29 लाख)	44.53
		जनपद सिद्धार्थनगर में कूड़ा नदी के दायें तट पर उस्का बाजार की बाढ़ सुरक्षा की परियोजना।	100.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर मदरहवा अशोगहवा तटबंध के किमी0 7.900 से 8.200 तक पिचिंग एवं लाचिंग एप्रन की परियोजना।	50.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर अशोगवा-नगवा तटबंध के कि0मी0 4.000 से 4.350 के मध्य ग्राम-कोड़रवा के पास कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	50.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित सूपा-एडवांस बांध के कि0मी0 2.00 से किमी0 2.500 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	40.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर ककरही-गोनहा बांध के कि0मी0 1.100 से 1.400 के मध्य कटाव निरोधक कार्य की परियोजना।	40.00

1	2	3	4
		जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के दायें तट पर कैथवलिया रिटायर बांध के कि0मी0 0.960 एवं कि0मी0 3.850 पर रेगुलेटर के निर्माण की परियोजना।	20.64
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित मदरहवां अशोगवां बांध के कि0मी0 0.00 से 15.900 तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना।	116.94
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के बायें तट पर भवारी गयाघाट अजगरा बन्ध कि0मी0 14.00 से 14.300 के मध्य ग्राम अजगरा कटान स्थल के निकट बाढ़ सुरक्षा कार्य की परियोजना।	150.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर फत्तेपुर खजूरडांड अजगरा बांध के कि0मी0 9.050 पर ग्राम अजगरा घाट में रेगुलेटर निर्माण की परियोजना।	40.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर बैदौला-भडरिया बांध के कि0मी0 6.600 से 7.150 तक बांध की सुरक्षार्थ योजना।	40.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर बांसी-बनकटा बांध के कि0मी0 2.550 से 2.950 के मध्य बाढ़ सुरक्षा कार्य की परियोजना।	100.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी के दायें तट पर अशोगवा नगवा बांध के कि0मी0 2.150 से 2.400 के मध्य ग्राम ओदनवा के निकट कटान स्थल पर बाढ़ सुरक्षा कार्य की परियोजना।	50.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में सोतवा ड्रेन के कि0मी0 0.00 से 23.200 तक पुनरोद्धार की परियोजना।	75.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के बायें तट पर भवारीगाय घाट अजगरा बांध के कि0मी0 2.00 से 2.250 के मध्य ग्राम आजमागढ़ कटान स्थल पर बाढ़ सुरक्षा कार्य की परियोजना।	25.00
		जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के दायें पर स्थित बांसी पनघटिया बांध के कि0मी0 29.150 पर रेगुलेटर के निर्माण की परियोजना।	13.58
		जनपद सिद्धार्थनगर का योग	**991.89**

1	2	3	4
12	श्रावस्ती	जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर खजुआ झुनझुनिया, अंधापुरवा सीमान्त बांध निर्माण की परियोजना।	75.00
		जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर स्थित परसाडेहरिया, तिलकपुर तटबंध के कि0मी0 1.905 से कि0मी0 2.515 तक तटबंध की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक परियोजना।	55.45
		जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के दायें तट पर स्थित कलकलवा मार्जिनल बांध के कि0मी0 5.350, 5.460, 13.700 एवं 14. 350 पर कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	225.00
		जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें किनारे पर परसा डेहरिया तिलकपुर तटबंध के कि0मी0 1.740 से 1.890 तक तटबंध की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्यो की परियोजना।	75.00
		जनपर श्रावस्ती में राप्ती ओल्ड कोर्स नाला की क्षमता वृद्धि की परियोजना। (470.86)	60.00
		जनपद श्रावस्ती में राप्ती नदी के बायें तट पर जिला मुख्यालय तथा शासकीय भवनों को बाढ़ से सुरक्षा की परियोजना।	15.00
		जनपद श्रावस्ती का योग	**505.45**
13	अम्बेडकर नगर	जनपद अम्बेडकर नगर तहसील टाण्डा में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित ग्राम शाहपुर चहोड़ा घाट बरहीपुर की सुरक्षा परियोजना।	615.55 (3/12 तक आवंटन)
		जनपद अम्बेडकर नगर का योग	**615.55**
14	शाहजहांपुर	जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खगरिया के पास गंगा नदी के बायें किनारे पर स्वीकृत भैसार ढाई घाट अतिरिक्त वाल की योजना। क्र0-66/31वीं बैठक दिनांक 29-3-08	585.00 (3/12 तक आवंटन)
		जनपद शाहजहांपुर का योग	**585.00**
		जनपद लखीमपुर खीरी/सीतापुर में घाघरा नदी के दायें तट पर ग्राम हटवा, मठापुरवा, मोचनापुर, सधुवापुर झबरा की बाढ़ से सुरक्षा हेतु एण्टी इरोजन वर्क्स की परियोजना।	3040.00 (3/12 तक आवंटन)
15	लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर	जनपद लखीमपुर खीरी/सीतापुर में शारदा नदी के बायें एवं दायें तट तहसील लहरपुर एवं धौरहरा में ग्राम रतौली रमपुरव मौचियाना चहमलपुर, चिकना जती, मंदूरा की बाढ़ की सुरक्षा हेतु एण्टी इरोजन वर्क्स की परियोजना।	2504.00 (3/12 तक आवंटन)
		जनपद लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर का योग	**5544.00**

संलग्नक-01

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर।)

आगरा शहर के अनुबन्ध की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :-

1-प्रथम वर्ष हेतु विद्युत आपूर्ति की दरें रु0 1.54 प्रति यूनिट एवं 20वें वर्ष हेतु दरें 2.23 पैसे प्रति यूनिट एवं लेबलाईज्ड दरें रु0 1.962 प्रति यूनिट हैं। शासन के निर्णयानुसार दिनांक 15-4-2010 से अनुमन्य टैरिफ के लाभ के परिपेक्ष्य में प्रति यूनिट बढ़ोत्तरी रु0 0.26 प्रति यूनिट की दर से विद्युत आपूर्ति की दरें बीसों वर्ष हेतु संशोधित की गयी हैं। संशोधनापरान्त प्रथम वर्ष की दर रु0 1.80 प्रति यूनिट एवं 20 वर्ष हेतु दर रु0 2.49 हो गयी है। तद्नुसार बिलिंग की जा रही है।

2-फ्रेन्चाइजी को उक्त दर पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को भुगतान करना होगा तथा सभी परिचालन व्यय भी वहन करने होंगे।

3-फ्रेन्चाइजी को न्यूनतम 1905 मि0यू0 अथवा 3 वर्षों में इनपुट इनर्जी में हुई चक्रवर्ती वृद्धि के समतुल्य विद्युत आपूर्ति की जायेगी।

4-निर्धारित ऊर्जा से अतिरिक्त आहरित ऊर्जा की दर बल्क विद्युत क्रय रेट, पारेषण हानियां, पारेषण चार्जेज एवं ट्रेडिंग मार्जिन पर आधारित होंगे।

5-ए0टी0 एण्ड सी0 हानियां 7 वर्षों में 15 प्रतिशत के स्तर पर लाना होगा। अन्यथा राजस्व हानि के 10 प्रतिशत दण्ड का प्राविधान है।

6-फ्रेन्चाइजी ओपन एक्सेस द्वारा अन्य स्त्रोतों से विद्युत क्रय कर सकता है।

7-उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रथम 10 वर्ष में फ्रेन्चाइजी को कम से कम रु0 200 करोड़ पूंजीगत कार्य में व्यय करना होगा।

8-फ्रेन्चाइजी आपूर्ति ऊर्जा का साप्ताहिक भुगतान दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा को करेगा।

9-फ्रेन्चाइजी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त कार्य किये जाने होंगे जो दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा द्वारा किये जा रहे थे।

10-फ्रेन्चाइजी को माननीय विद्युत नियामक आयोग, उ0 प्र0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के साथ-साथ भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 एवं सप्लाई कोड में निहित आदेशों के अन्तर्गत ही अपने कार्य का निर्वाहन करना होगा।

केस्को अनुबन्ध की मुख्य शर्तें निम्नवत् हैं :-(कानपुर शहर केस्को)

1-प्रथम वर्ष हेतु विद्युत आपूर्ति की दरें रु0 2.00 प्रति यूनिट एवं 20वें वर्ष हेतु दरें 2.30 पैसे प्रति यूनिट एवं लेबलाईज्ड दरें रु0 2.1744 प्रति यूनिट है।

2-फ्रेन्चाइजी को उक्त दर पर केस्को कानपुर को भुगतान करना होगा तथा सभी परिचालन व्यय भी वहन करने होंगे।

3-फ्रेन्चाइजी को न्यूनतम 2800 मि0यू0 अथवा 3 वर्षों में इनपुट इनर्जी में हुई चक्रवर्ती वृद्धि के समतुल्य विद्युत आपूर्ति की जायेगी।

4-निर्धारित ऊर्जा से अतिरिक्त आहरित ऊर्जा की दर बल्क विद्युत क्रय रेट, पारेषण हानियां, पारेषण चार्जेज एवं ट्रेडिंग मार्जिन पर आधारित होंगे।

5-ए0टी0 एण्ड सी0 हानियां 7 वर्षों में 15 प्रतिशत के स्तर पर लाना होगा। अन्यथा राजस्व हानि के 10 प्रतिशत दण्ड का प्राविधान है।

6-फ्रेन्चाइजी ओपन एक्सेस द्वारा अन्य स्त्रोत्रों से विद्युत क्रय कर सकता है।

7-उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रथम 10 वर्ष में फ्रेन्चाइजी को कम से कम रु0 400 करोड़ पूंजीगत कार्य में व्यय करना होगा।

8-फ्रेन्चाइजी आपूर्तित ऊर्जा का साप्ताहिक भुगतान केस्को कानपुर को करेगा।

9-फ्रेन्चाइजी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त कार्य किये जाने होंगे जो कि केस्को कानपुर द्वारा किये जा रहे थे।

10-फ्रेन्चाइजी को माननीय विद्युत नियामक आयोग, उ0 प्र0 द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुपालन के साथ-साथ भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 एवं सप्लाई कोड में निहित आदेशों के अन्तर्गत ही अपने कार्य का निर्वाहन करना होगा।

पी0एस0यू0पी0-एल0 339 विधान सभा (607)-14-2-2013-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।